लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9, मंगलवार, 30 मार्च, 1971/ 9 चैत्र, 1893 (शक)

No. 9, Tuesday, March 30, 1971/ Chaitra 9, 1893 (Saka)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण Member Sworn

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र.संख्या./S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
16 कटक-पारादीप रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Cuttack Paradep Rail Link	1-3
17 रेलवे सैलून सुविधा	Railway Saloon Facility	3-5
19 औद्योगिक लाइसेंसों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending Applications for Industrial Licences ...	5-9
20 नांगल से तलवाड़ा तक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण	Survey for laying a new line from Nangal to Talwara	-9
21 उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रधान उद्योगों की स्थापना	Setting up of Employment oriented Industries in U. P.	9-10
22 मतपत्रों पर अदृश्य स्याही का कथित उपयोग	Alleged use of invisible ink on Ballot Papers	10-12
25 ब्रेथवेट कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड का बन्द होना	Closure of Braith Wait Co. (India) Ltd.	12-13
28 इस्पात का मूल्य	Price of Steel	13-14
31 रेलगाड़ियों की संख्या में कमी करने के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railway due to curtailment of trains ...	14-15

---

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
32 मतदाता सूचियों में दर्जन हुए नाम	Unregistered names in Electroal Rolls ...	15-17
33 मतदाता सूचियों में गलतियां	Discrepancies in Electroal Rolls	17-19
34 इस्पात कारखानों का कार्य संचालन	Working of Steel Plants ...	19-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		-20
ता. प्र. संख्या/S.Q.No.		
18 आंध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Andhra Pradesh	-20
23 कारों के मूल्य निर्धारित करने संबंधी आयोग का प्रतिवेदन	Report of Commission for determining Prices of Cars	-20
24 कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के बारे में रूसी विशेषज्ञों का रिपोर्ट	Soviet Experts Report re : Underground Railway in Calcutta ...	-21
26 राज्यों द्वारा समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धन की मांग	Demand for funds for Implementation of Social Welfare Programmes by the States ...	21-22
27 मद्रास में स्टैण्डर्ड कार फैक्टरी का फिर से चालू किया जाना	Reopening of Standard car Factory in Madras	-22
29 टायरों तथा ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of tyres and Tubes	22-23
30 कठुवा और जम्मू के बीच रेलवे लाइन का बिछाया जाना	Laying of Rail Track between Kathua and Jammu	-23
35 चतुर्थ योजना में राजस्थान में नए उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Rajasthan during Fourth Plan	23-24
36 बरास्ता दरभंगा (पूर्वोत्तर रेलवे) समस्तीपुर से रक्सोल तक बड़ी लाइन	Broad Gauge Line from Samastipur to Raxaul Via Darbhanga (North Eastern Railway) ...	-24

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. विषय Subject पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

37 गया और धनबाद स्टेशनों (पूर्व रेलवे) के बीच स्थानीय रेलगाड़ियों की कमी — Shartage of Local Trains between Gaya and Dhanbad stations (Eastern Railway .. -24

अत्ता. प्र. संख्या/U.S.Q. No.

27 राष्ट्रीय शिशु बोर्ड का गठन तथा शिशु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय नीति संबंधी संकल्प — Formation of a National Children Board and National Policy Resolution on Children's Programme ... — 24-25

28 दुर्गापुर इस्पात कारखाने पर किया गया व्यय — Expenditure incurred on Durgapur steel Plant 25-26

29 पूंजीगत माल तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का पूरी तरह प्रयोग न किया जाना — Under Utilisation of Installed Capacity in Capital Goods and Engineering Industries — ... 26-27

30 बिड़ला, टाटा तथा साहू जैन उद्योग समूह के समवायों को लाइसेंस का जारी किया जाना — Issue of Licences to Birla, Tata and Sahu Jain Group of Concerns 27-28

31 गोल बई (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर हाल्ट स्टेशन का खोला जाना — Opening of a Halt Station at Golbai (South Eastern Railway) ... ... -28

32 पारादीप में रेलवे कालोनी का निर्माण — Construction of Railway Colony at Paradeep 28-29

33 रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार — Expansion of Rourkela Steel Plant... ... -29

34 उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने की स्थापना — Setting up of Second Steel Plant in Orissa... -29

35 विशाखापत्तनम में इस्पात कारखाने की स्थापना — Setting up of Steel Plant at Visakhapatnam — ... -30

36 रेलवे के विरुद्ध किये गये दावे — Claims preferred against Railways... ... 30-31

37 हर्रावाला रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर ओवर हैड वाटर टैंक से पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking water from overhead Water Tank at Harrawala Railway Station (Northern Railway)	31-32
38 टेन्नरी एण्ड फुटवीयर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कानपुर के कर्मचारियों को मजूरी बोर्ड पंचाट के अनुसार भुगतान	Wage Board Award to the Employees of Tannery and Footwear Corporation of India Ltd. Kanpur	-32
39 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन	Production in Durgapur Steel Plant	32-33
40 बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production in Bokaro Steel Plant ...	-33
41 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के निःशुल्क अध्ययन तथा छात्रवृतियों के पुराने ढांचे में संशोधन	Modification in the Old Pattern of Freeships and Scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribes	33-34
42 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को बेकार भूमि का आवंटन	Allotment of Waste Land to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes	-34
43 पूर्व रेलवे पर जसिदीह तथा वैद्यनाथधाम (देवघर) की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों पर चुंगीकर	Terminal Tax for Pilgrims and Tourists Visiting Jasidih and Baidnathdham (Deoghar) on Eastern Railway	34-35
44 गया होते हुए वाराणसी और वैद्यनाथधाम के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चलाया जाना	Express Train between Varanasi and Baidyanathdham Via Gaya ... —	-35

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

46 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors by HMT	35-36
47 अखिल भारतीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति	Recruitment of Judicial Members in the All India Income Tax Appellate Tribunal	-36
48 मैसूर राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा घरेलू बर्तनों को बनाने के लिये वित्तीय सहायता की मांग	Demand for Financial Assistance by Mysore State Khadi and Village Industry Board for Manufacture of Household Utensils	36-37
49 राज्यों में स्कूटर कारखाने	Scooter Plants in States	-37
50 मैसूर राज्य में हिंसा के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to Violance in Mysore State	37-38
51 इस्पात के फुटकर मूल्य	Retail Price of Steel	38-39
52 बैगुसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान बूथों पर कथित बलात् कब्जा	Alleged forcible occupation of Polling Booths in Begusarai Parliamentary Constituency ..	39-40
53 मध्यावधि चुनावों के दौरान बिहार में पोलिंग बूथों पर हुई घटनाएं	Incidents at Polling Booths in Bihar during Mid Term Poll	-40
54 बरौनी बैगूसराय, मोकामेह तथा हाथी दाह में रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance for Railway Employees at Barauni, Begusarai, Mokameh and Hathidah ...	-41
55 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के मुस्लिम कर्मचारियों का फिर से बसाया जाना	Rehabilitation of Muslim Employees of Heavy Engineering Corporption, Ranchi ...	-41
56 नई दिल्ली रेलवे साइडिंग पर कोयले का जमा होना	Accumulation of Stock of Coal at New Delhi Railway Siding.	41-42

अता. प्र. संख्या/विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
57 धनबाद में रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Employees at Dhanbad ...	-42
58 कोयले की कमी के कारण पश्चिम रेलवे में कुछ यात्री रेलगाड़ियों का बन्द किया जाना	Curtailment of Passenger Trains due to Coal Shortage of Western Railway ...	42-43
59 लन्ढोरा रेलवे स्टेशन के रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of overbridge at Railway Crossing at Landhaura Railway Station	-43
60 इस्पात का आयात तथा निर्यात मूल्य	Import and Export Prices of Steel ...	43-44
61 रायबरेली में रूस के सहयोग से उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Rae Bareli with Russian Collaboration	-44
62 बिहार तथा अन्य राज्यों में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of consumer goods in Bihar and other states	44-45
63 बिहार के हरिजनों को पीने के पानी की सुविधाएं	Drinking water facilities for Harijans in Bihar	45-46
64 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के इंजीनियरों की मांगें	Demands of the Engineers of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	-46
65 पूर्वोत्तर रेलवे में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी न बनाया जाना	Casual Labourers working on North Eastern Railway not made Permanent	-46
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	-46
श्री ए. सी. जार्ज	Shri A. C. George	46-47
श्री ल. न. मिश्र	Shri L. N. Mishra	48-49

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	Closure of Cashew factories in Kerala	-46
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importnnce (Query)	-49
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	49-51
समिति के लिये निर्वाचन	Electlon to Committee ...	-51
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	Indian Council of Agricultural Research ...	-51
हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	State of Himachal Pradesh (Amendment) Bill Introduced	-52
हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement re-State of Himachal Pradesh (Amendment) Ordinance ...	-52
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	-52
आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक	Imports and Exports (Control) Amendment Bill	-52
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion of consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री ल. ना. मिश्र	Shri L. N. Mishra ..	-52
श्री एन. श्रीकान्तन् नायर	Shri N. Sreekantan Nair ..	-53
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	54-56
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	56-57
श्री डी. डी. देसाई	Shri D. D. Desai	57-58
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	58-59
श्री आर. आर शर्मा	Shri R. R. Sharma ...	59-60
श्रीमती भार्गवी	Shrimati Bhargavi Thankappan ...	-60
श्री सी. भट्टाचार्य	Shri C. E. Bhattacharyya ...	-60
श्री जे. एम. गौडर	Shri J. M. Gowder	60-61
डा. लक्ष्मी नारायण पांडे	Dr. Laxminarain Pandey	-61

खंड 2,3 और 1	Clauses 2,3 and 1	
श्री ल. ना. मिश्र	Shri L. N. Mishra ...	61-64
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu — ...	--64
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ...	--64
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address...	--67
श्री बी. आर भगत	Shri B. R. Bhagat ...	67-68
श्री ए. सी. जार्ज	Shri A C. Geroge ..	--68
श्री ए. के. गोपालन	Shri A. K. Gopalan ...	116-121
डा. गोविन्द दास	Dr. Govind Das —	-122
श्री फतहसिंह राव गायकवाड	Shri Fatehsingh Gaekwad	122-124
श्री नाथू राम	Shri Nathu Ram ...	-124
श्री इरास्मो द. सक्वीरा	Shri Erasmo de Sequeira	-126
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	126-127
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	127-128

लोक–सभा
LOK--SABHA

मंगलवार, 30 मार्च, 1971/9 चैत्र, 1893 (शक)
Tuesday, March, 30 1971/Chaitra 9, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*}

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)

कटक-पारादीप रेलवे लाइन का निर्माण

*16. श्री चिन्तामणि पाणीग्रही :
श्री डी० के० पण्डा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक–पारादीप रेलवे लाइन का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्माण-कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(ग) इस रेल लाइन के निर्माण पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : वर्तमान अनुसूची के अनुसार यह लाइन जून, 1972 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) इस परियोजना पर लगभग 10.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से अब तक लगभग 3.12 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : 1968–70 के 10 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित व्यय में से केवल 3 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये हैं। सबसे पहले बनाई गई अनुसूची के अनुसार यह लाइन मार्च, 1971 तक बन कर तैयार हो जानी चाहिये थी परन्तु अब इसके निर्माण का समय जून, 1972 तक बढ़ा दिया गया है। क्या मन्त्री महोदय अब समझते हैं कि यह लाइन इस अनुसूची के अनुसार बन कर तैयार हो जायेगी अथवा अभी इसके बनने की अवधि को और बढ़ाया जायेगा।

श्री हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता समझता हूँ कि इसके बनने में विलम्ब हुआ है। मैंने यह बताया है कि समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार अनुसूची में परिवर्तन किए गए हैं। इसीलिए मैंने इसे वर्तमान अनुसूची कहा है।

वास्तव में इसमें रेलवे का कोई दोष नहीं था। मूलतः अयस्क का लदान जापान के साथ व्यापार के उद्देश्य से किया गया था। एक समय ऐसा आया जब वे समझौते से हट गए और उसी के बाद रूमानिया को काम दिया गया। अब उससे व्यापार चल रहा है। उड़ीसा खनिज निगम भी साइडिंग आदि के लिये योगदान देने सम्बन्धी अपने वचन से पीछे हट गया। इस प्रकार कई समस्यायें पैदा हो गई है। मैं आशा करता हूं कि अब रेलवे प्रशासन इस अनुसूची के अनुसार ही काम करता रहेगा। मैं भी माननीय सदस्यों के साथ उस स्थान पर जाकर देखना चाहता हूं कि कार्य शीघ्रता से पूरा हो।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जो कुछ भी मन्त्री महोदय ने बताया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। क्योंकि प्रगति बहुत ही धीमी है, इसलिए मैं उनसे उस स्थान पर जाने के लिए निवेदन करूंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी यदि मन्त्री महोदय वहां जाकर यह देखें कि काम शीघ्र पूरा हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके साथ बनने वाली पारादीप की रेलवे कालोनी का काम क्यों स्थगित किया गया था और क्या इस काम को भी रेलवे लाइन के साथ साथ ही शुरू किया जायेगा।

श्री हनुमन्तैया : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए। जब मैं निरीक्षण के लिए जाऊंगा तो इस बात की ओर भी ध्यान दूंगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि इस रेलवे परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं ?

श्री हनुमन्तय्या : मेरा भी माननीय सदस्य के समान ही विचार है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के मामले में सर्व प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये क्योंकि उस क्षेत्र की बेरोजगार की समस्या को ही सबसे पहले हल करना है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : यह एक स्वयंसिद्ध सत्य है। यह एक पवित्र भावना की अभिव्यक्ति मात्र है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह रेलवे लाइन के निर्माण से सम्बन्धित है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : यह भी उसी से जुड़ा है। यदि वे इसका उत्तर दे देते हैं तो हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री पी० जी० देव : क्या मैं इससे समझ सकता हूं कि इसके बाद निर्माण कार्य और अधिक स्थगित नहीं होगा ?

श्री हनुमन्तय्या : मेरे विचार में नहीं होगा।

रेलवे सैलून सुविधा

***17. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सैलून सुविधा को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या उक्त सुविधा के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

R. P. Yadav : It has been noticed that the Railway Officers generally travel by Air and the Railway Saloons remain un-utilised. Is there any programme to convert these Railway saloons into traveller's coaches ?

अध्यक्ष महोदय : यह इससे कैसे सम्बन्धित है ? क्या मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : इन निरीक्षण के सैलूनों को यात्री डिब्बों में बदलने का कोई विचार नहीं है। जहां कहीं भी वातानुकूलित डिब्बे हों, यदि वे इसका किराया देने के लिये तैयार हो तो हम इन्हें विदेशी अथवा अन्य पर्यटकों को दे देते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सर्व साधारण की रेल यात्रा सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और रेलवे बजट का घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है और फिर भी हम तीसरे दर्जे के यात्रियों को पर्याप्त सुविधायें प्रदान नहीं कर सकते हैं। क्या हम इन सैलूनों में सफर कर सकने वालों, जिसमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, को 10% के करीब किराया अदा करके इस सुविधा का उपयोग करने का अवसर दे सकेंगे। और क्या इस राशि को उस निधी में जमा नहीं कर सकते जिसका उपयोग तीसरे दर्जे के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत लम्बा है। क्या संसद सदस्यों के लिये भी सैलूनें हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह प्रश्न के भाग (क) से सम्बन्धित है । अगर सुविधायें हटायी भी नहीं जाती फिर भी इसकी आय के कुछ भाग का उपयोग सर्वसाधारण के उपयोग के हित में किया जा सकता है । अतः यह इससे सीधा जुड़ा हुआ है ।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं इन सैलूनों की सही तस्वीर सदन के सामने रखना चाहता हूं । कल ही मैंने स्वयं एक ऐसे डिब्बे का निरीक्षण किया था ताकि वास्तविक स्थिति के बारे में मैं उत्तर दे सकूं । मैंने देखा कि इस प्रकार के अधिकांश डिब्बे चलते फिरते दफ्तर हैं । जो अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनमें यात्रा करते हैं उन्हें मार्ग में लाइनों का निरीक्षण करना पड़ता है और तत्काल ही कई बातों पर विचार करके निर्णय लेना पड़ता है । अतः यह सुविधा कोई ऐश्वर्य के लिए नहीं बल्कि प्रशासन के कार्यों को निपटाने के लिए है । सच्चे अर्थों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपालों को ही सैलूनें मिली हुई हैं जो केवल चार, पांच ही हैं । यदि हम सभी सैलूनें हटा दें तो भी हमारे घाटे में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker. 900 Saloons are running throughout the country now and on the other side people are seen felling down due to heavy rush in the trains. I want to know from the hon. Minister whether he is considering to curtail the number of these saloons and run more trains in the areas short of the trains ? Secondly the hon. Minister in his reply has stated that he is not thinking terms of withdrawing these saloons. He has also stated that the hon. Minister has simply read what he received in writing from his officers. The hon. Minister has stated that he himself has visited these saloons and is fully convinced that these saloons are not misused but my information is that these carriages are actually misused....(Interruptions).. Facilities being provided to the Railway Officers are more than those of the 1st Class passengers what steps are being taken to bring about equality between these two categories ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । ये सुविधायें अधिकारियों को काम करने के लिए दी गयी हैं न कि सारी यात्रा के दौरान सोने के लिए । अतः माननीय सदस्य के सुझाव को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सैलूनों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री के० हनुमन्तैया : विभिन्न प्रकार की कई सैलूनें हैं जैसी बड़ी लाइनों के 8 पहियों के डिब्बे–143; 6 पहियों के–1; 4 पहियों के–541; छोटी लाइनों के 8 पहियों के–164; 6 पहियों के–42; 4 पहियों के–285; जिनकी कुल संख्या 8 पहियों के–307; 6 पहियों के–43; 4 पहियों के–826 है । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ये सैलूनें सारे देश के रेलवे अधिकारियों के लिये हैं । ये केवल एक स्थान अथवा क्षेत्र के लिये नहीं हैं ।

श्री कल्याण सुन्दरम : रेलवे अधिकारियों को किस आधार पर ये सुविधायें प्रदान की जाती हैं और क्या मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि इतने अधिक सैलूनों का होना जरूरी है ? मैं उन अधिकारियों की आवश्यकता को अनुभव करता हूं जिन्हे यात्रा पर रहना पड़ता है लेकिन अन्य अधिकारियों के लिए इतनी अधिक सैलूनों की क्या आवश्यकता है ? आठ पहियों वाले सैलूनों का उपयोग उच्च अधिकारी ही करते हैं । अतः किस आधार पर रेलवे अधिकारियों को इस सुविधा का उपयोग करने की आज्ञा दी जाती है ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य को रेलवे सम्बन्धी काफी अनुभव है। वे जानते हैं कि इस विषय पर नियम बने हुये हैं। यदि कोई अधिकारी दुरुपयोग करता है, यदि अनधिकृत अधिकारी इनका उपयोग करते हैं और वे ऐसा कोई मामला मेरी सूचना में लायें तो मैं इसकी छानबीन करूंगा।

औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए विचाराधीन आवेदनपत्र

* **19. डा० कर्णीसिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के विघटन के समय औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत कुल कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे

(ख) विघटन के पश्चात् कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया गया; और

(ग) उनमें से कितने आवेदन पत्र एक वर्ष से, कितने दो वर्ष से और कितने तीन वर्ष के विचाराधीन थे ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) : फरवरी, 1970 में नई औद्योगिक लाइसेन्स नीति की घोषणा हो जाने के बाद इस वर्ष में औद्योगिक लाइसेन्सों के लिये मिलने वाले आवेदनों में काफी वृद्धि हुई है और 1970 में कुल 2226 आवेदन प्राप्त हुए। यह संख्या उन 807 सी. ओ. बी. लाइसेन्स आवेदनों के अलावा हैं जो ऐसे उद्योगों के बारे में थे जिन पर से 18 फरवरी, 1970 के पहले लाइसेन्स उठा लिया गया था और जिनके लिए कोई लाइसेन्स नीति की घोषणा के पश्चात् लाइसेन्स लेना आवश्यक कर दिया गया है। 1969 के अन्त तक मिले आवेदनों और पहले से अनिर्णित पड़े आवेदनों को मिला कर लोक सभा भंग होने तक अनिर्णित पड़े आवेदनों की कुल संख्या 1937 हो गई थी इनमें सी ओ बी आवेदन पत्र सम्मिलित नहीं हैं। इसमें से 27 दिसम्बर, 1970 से 10 मार्च, 1971 की अवधि में निपटाने सम्बन्धी स्थिति निम्न प्रकार है :—

(क) जारी किये गये आशय पत्रों की संख्या	161
(ख) रद्द किये गए या वापस कर लिए गए आवेदनों की संख्या	241

इसके अलावा 88 सी ओ बी लाइसेन्स और भी जारी किए गए जो एसे उद्योगों के बारे में जिन्हें 18 फरवरी, 1970 के पूर्व लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था और जहां उपक्रम या तो स्थापित किए जा चुके थे अथवा इस तिथि के पूर्व ही इसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाए जा चुके थे। जारी किए गए आशय पत्रों में एक वर्ष से कम अवधि के 116 एक से दो वर्ष पुराने 42 तथा दो से 3 वर्ष पुराने 3 मामले थे। जहां तक आवेदन पत्रों के रद्द किये जाने और वापस

लिए जाने का प्रश्न है 195 मामले एक वर्ष पुराने थे 43 एक से 2 वर्ष पुराने थे और 3 प्रस्ताव 2 से 3 वर्ष पुराने थे ।

डा. कर्णीसिंह : देश में जिस समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने के हम प्रयत्न करते रहे हैं, उसके अन्तर्गत समाजवादी पद्धति के अनुसार चुनाव लड़ना अब सम्भव नहीं रह गया हैं । आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व डा. लोहिया जैसे व्यक्ति ने केवल 5,000 रुपये में चुनाव लड़ा था ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सीधा प्रश्न पूछें । भूमिका न बांधें ।

डा० कर्णीसिंह : मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ वह यह कि चुनाव की तिथि से पूर्व के दो महीनों की अवधि में दिये गए लाइसेन्सों की संख्या क्या है और इस संख्या की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि मे कितने लाइसेंस दिए गए थे ? यह लाइसेन्स देने के लिऐ क्या कसौटी अपनाई गई थी ? क्या यह कसौटी केवल गुणों पर आधारित थी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : 27 दिसम्बर, 1970 से 10 मार्च, 1971 तक की अवधि के दौरान 161 'आशय पत्र' जारी किए गए थे तथा 53 लाइसेंस जारी किए गए थे । इस अवधि के दौरान रद्द किए गए अथवा बापस लिए गए 'आशय पत्रों' की सख्या 241 थी । यह केवल मात्र गुणों के आधार पर ही जारी किए गए थे । अप्रैल–जून 1970 की अवधि के दौरान 163 'आशय पत्र' जारी किए गए थे, जुलाई–सितम्बर की अवधि में यह संख्या घट कर 91 हो गई थी और अक्टूबर–दिसम्बर की अवधि में 108 'आशय पत्र' जारी किए गये थे । यदि हम इन आंकड़ों की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि लोक सभा भंग किए जाने के पश्चात् इनमें कोई असाधारण रूप से वृद्धि नहीं हुई है ।

डा. कर्णीसिंह : मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक निर्दलीय सदस्य हूं और मेरा किसी दल से सम्बन्ध नहीं है । परन्तु देश में इस समय कुछ अफवाहें फैली हुई हैं । क्या यह सच है कि उन लोगों को लाइसेन्स जारी किए गए थे जो कांग्रेस दल को चुनावों के लिए प्रतिशतता के आधार पर पैसा देने को तैयार थे ? क्योंकि कम्पनियों एवं व्यापारिक गृहों से किसी रूप में धन लेना नियम विरुद्ध होता है अतः पक्षपात के आधार पर दिए गए लाइसेंसों पर सत्ताधारी दल द्वारा यह सहायता किस रूप में प्राप्त की गई थी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि कांग्रेस दल के लिए अथवा चुनावों के लिए चदा प्राप्त करने के आधार पर कोई लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी नहीं किया गया था ।

श्री भागवत झा आजाद : इस विवरण में यह नहीं बताया गया है कि उन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जिनकी जांच की गई थी अथवा क्या ऐसे आवेदन पत्र भी थे जो एकाधिपत्य अधिनियम की इस बात के विरुद्ध थे कि उन्हें कोई लाइसेंस न दिए जाए जिनके पास पहले से ही बहुत अधिक संख्या में लाइसेंस हैं और जिन्होंने आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण कर लिया है । इस प्रकार के कितने आवेदन पत्र थे, कितने रद्द किये गए थे और कितने इस समय विचाराधीन पड़े हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 2226 थी। 807 आवेदन पत्र सी० ओ० बी० के लिये थे। 1970 के दौरान बड़े व्यापार गृहों को जारी किये गए आशय पत्रों की संख्या 20 है जिसमें एक सी० ओ० बी० है। जनवरी–फरवरी 1971 के दौरान बड़े व्यापार-गृहों को जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या शून्य है।

श्री भागवत झा आजाद : यह सब कुछ विवरण में है। क्या कुछ ऐसे आवेदनपत्र थे जो एकाधिपत्य अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते थे ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : ऐसे मामले भी हैं।

श्री राम सहाय पांडे : एकाधिपत्य अधिनियम के अनुसार लाइसेंस या आशय-पत्र जारी करने से पहले क्या यह देखना आवश्यक होता है कि उनके पास बहुत से उद्योगों के बहुत अधिक लाइसेंस पहिले से तो नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस तथ्य को विचार में रखा जाता है कि जो लोग एकाधिपत्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत हों उन्हें लाइसेंस न दिये जायें।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जो लोग उक्त अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत आते थे उन आवेदकों में से किसी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं इसी प्रश्न को अधिक विशिष्ट रूप से पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि विवरण के अनुसार जो 161 आशय–पत्र जारी किये गये हैं इनमें से उन लाइसेंसों की संख्या कितनी है जो एकाधिपत्य जांच आयोग के प्रतिवेदन में दिये गये 75 एकाधिकार प्राप्त घरानों में से किसी को दिये गये हैं। इन एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों या घरानों में से उनकी संख्या कितनी है जिन्हें इन 161 आशय–पत्रों में से कुछ आशय पत्र जारी किये गये हैं ?

श्री मोइनुल हम चोधरी : मैंने पहिले ही बताया है कि जनवरी–फरवरी, 1971 के दौरान बड़े व्यापारिक घरानों को जारी किये गये 'आशय-पत्रों' की संख्या शून्य है। कोई आशय-पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : आज के विवरण में बताया गया है कि 161 की यह संख्या 27 दिसम्बर, 1970 से 10 मार्च, 1971 तक की अवधि के लिए हैं न कि केवल जनवरी तथा फरवरी के लिये।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जनवरी–फरवरी, 1971 के दौरान बड़े व्यापारिक घरानों को जारी किये गये आशय–पत्रों की संख्या शून्य है। जनवरी से 10 मार्च तक की अवधि के दौरान बड़े घरानों को दिये गये लाइसेंसों की संख्या, सी० ओ० बी० के 18 लाइसेंसों सहित, 23 है। इसके पश्चात 27 दिसम्बर, 1970 से 10 मार्च 1971 तक की अवधि के दौरान बड़े घरानों को दिये गये लाइसेंसों की सख्या 23 है जिसमें 18 सी० ओ० बी० लाइसेंस सम्मिलित हैं।

श्री पी० के० देव : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

श्री पी० के० देव : यह लगभग स्वीकृत बात है कि कांग्रेस दल की अभूतपूर्व विजय लाइसेंस–परमिट–कोटा राज का ही परिणाम है... (**अन्तर्बाधा**)। मेरे वक्तव्य की पुष्टि माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से हो जाती है क्योंकि उनके विवरण में.....

अध्यक्ष महोदय : आप से प्रार्थना है कि अपना प्रश्न पूछें। कोई वक्तव्य न दें।

श्री पी० के० देव : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। थोड़े समय के अन्तराल में, जब कि संसद भंग थी, इतिहास में यह अभूतपूर्व है – 161 लाइसेंस जारी किये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि चुनाव विधियां एकत्र करने के परोक्ष उद्देश्य से सरकार द्वारा लाइसेंस–परमिट कोटा प्रणाली का इस प्रकार दुरुपयोग किया गया है ?

दूसरे, मैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस देश में लाइसेंस-परमिट राज का कभी अन्त होगा।

अंत में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं कि इन 161 लाइसेंसों की तुलना में उड़ीसा राज्य से बहुत से लाइसेंस लम्बित हैं और रोजगार के अवसर बनाने के लिए उन्हें एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब असंगत है। श्री इसहाक सम्भली।

श्री पी० के० देव : मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय। ये असंगत प्रश्न हैं।

Shri Ishaq Sambhali : Is it not a fact that most of these applications for Industrial Licences, which were pending at the time of dissolution of the Lok Sabha, were disposed off after its dissolution and is it also not a fact that applications for industries from backward areas such as U. P. and other areas have been pending for 22 years and have not been disposed off yet ?

श्री मोइनुल हक चोधरी : क्या मैं अंग्रेजी में उत्तर दूं। जहां तक देरी का सवाल है, जिसके बारे में माननीय सदस्य शिकायत कर रहे हैं, हम स्वयं भी उसके बारे में चिन्तित हैं। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी उनकी तरह ही चिन्तित हूँ तथा मेरा यह प्रयत्न होगा कि देरी को कम किया जाये विशेष रूप से उन पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

श्री हेनरी आस्टिन : क्या इसमें वे छोटे उद्यमी भी, विशेष रूप से सम्मिलित हैं जो बेरोजगार हैं और जिन्होंने स्वयं अपने ही बल पर छोटे उद्योग शुरू किये थे और सरकार से लाइसेंस मांगे थे ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्यां इस प्रकार के लाइसेंस अब तक अविकसित क्षेत्रों को ही दिये गये हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस में सभी वर्ग सम्मिलित हैं।

नांगल से तलवाड़ा तक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण

***20. श्री नारायण चन्द :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में नांगल से तलवाड़ा तक बरास्ता ऊना एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य को आरम्भ करने में कितना समय लगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). अभी तक कोई इंजीनियरी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 1963 में ऊना के रास्ते नांगल और तलवाड़ा के बीच रेलवे सम्पर्क के लिए केवल यातायात का अनुमान तैयार किया गया था ताकि इस रेल सम्पर्क के वित्तीय प्रतिफल का अनुमान लगाया जा सके। यातायात के इस अनुमान से पता चला कि वित्तीय दृष्टि से यह लाभप्रद नहीं होगी। इसलिए इस परियोजना पर आगे विचार नही किया गया है।

श्री नारायण चन्द : क्या नांगल और तलवाड़ा के बीच रेलवे लाइन बिछाना संभव नहीं है ? ऊना हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है। अतः क्या रेलवे लाईन को ऊना तक बढ़ाना लोगों के हित में नहीं होगा ?

श्री हनुमन्तैया : मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में रोजगार-प्रधान उद्योगों की स्थापना

***21. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उत्तर प्रदेश में कुछ रोजगार–प्रधान उद्योग स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो ये उद्योग कौन–कौन से हैं; और

(ग) क्या ये सभी सरकारी क्षेत्र में स्थापित कियें जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह अजीब सी बात है कि उत्तर प्रदेश से दो चीजें प्राप्त हो रही है। बंगला देश के लिए सस्ते मजदूर तथा देश की प्रधान मन्त्री। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सदा से उपेक्षा की जाती रही है और पहले के सभी मुख्य मन्त्रियों ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं। बड़े ही दुःख की बात है कि वर्तमान मुख्य मंत्री केवल अपने पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं न कि उत्तर प्रदेश के लिए। मैं जानना

चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश और विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए योजना आयोग ने कोई निर्णय किया है, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उपाय किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है। अच्छा यही होगा कि जानकारी प्राप्त होने तक प्रतीक्षा की जाए।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं प्रश्न उद्योगों के बारे में है और इसमें बड़े छोटे और ग्रामीण उद्योग भी आ जाते हैं। बड़ी संख्या में उद्योग राज्य सरकारों के नियन्त्रण में है। अतः जब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि जानकारी एकत्र की जा रही है।

मतपत्रों पर अदृश्य स्याही का कथित उपयोग

***22. श्री जी० विश्वनाथन :** क्या **विधि तथा न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे इस प्रचार के बारे में जानकारी हैं कि हाल ही में हुए निर्वाचन में मत-पत्रों में किसी अदृश्य स्याही का उपयोग किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां।

(ख) यह आरोप निराधार है और इस योग्य नहीं है कि इस पर विचार किया जाए।

श्री जी० विश्वनाथन : कुछ उत्तरदायी दलों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे जनसंघ के श्री बलराज मधोक आदि ने सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने देश में बड़ी संख्या में मतदान पत्रों में एक ऐसे रसायन का प्रयोग किया है जिससे लगाई गई मोहर मिट गई तथा सत्तारूढ़ दल की अदृश्य मोहर उभर आई। क्या इस बारे में उन्होंने विशेषज्ञों की राय ली है कि क्या बड़े पैमाने पर किया जा सकता है ? निस्संदेह ऐसी बातें केवल कल्पित कथाओं में ही पढ़ने को मिलती हैं किन्तु क्योंकि आरोप ऐसे व्यक्तियों द्वारा लगाया गया है जो जिम्मेदार समझे जाते हैं मैं चाहता हूं कि सरकार इसका उत्तर दे।

श्री एच० आर० गोखले : यह सच है कि कुछ विरोधी दलों ने सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने मतपत्रों पर चुनाव से पहले ही अदृश्य स्याही द्वारा एक विशेष चुनाव चिन्ह के सामने मोहर लगा दी गई थी और उसके पश्चात उस पर कोई रसायन लगा दिया था जिसके कारण यह पहले लगी मोहर अदृश्य हो गई थी तथा बाद में यह दृश्य हो गई थी और मतदान के समय लगी मोहर जो दृश्य थी वह अदृश्य हो गई थी। यह आरोप इतना उटपटांग है कि इसके लिए किसी रसायन परीक्षण अथवा विशेषज्ञ की राय लेने का

प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस ढंग से इन मतदान पत्रों को छापा गया है उसमें तनिक भी गड़बड़ी की कोई गुंजायश नहीं है।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 275,000,000 थी तथा कुल 335,000,000 मतदान पत्र छापे गए थे। यह सभी मतदान पत्र बिना किसी अपवाद के सारे देश भर की गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेसों में ही छपे हैं। मिल से कागज लाने, प्रेस में छपने के लिये देने तथा चुनाव केन्द्रों पर ले जाने तक इतनी अधिक सतर्कता बरती गई है कि किसी प्रकार का हेर फेर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और न ही किसी रसायन परीक्षण की आवश्यकता ही प्रतीत होती है अतः इस स्थिति में अदृश्य के दृश्य होने तथा दृश्य के अदृश्य हो जाने जैसी विलक्षण घटना घटने की संभावना ही नहीं दिखती।

मतदान पत्र पुलिस के संरक्षण में मिलों से सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजे गए थे और मुद्रण के बाद उन्हें दोहरे ताले में हथियार बन्द पहरेदारों की देखरेख में रखा गया था। इन मतदान पत्रों को चुनाव से केवल एक अथवा दो दिन पहले ही निकाला गया था और चुनाव समाप्त होने तक यह पुलिस की कड़ी निगरानी में रहे थे। यह पहरा चुनावों के परिणाम घोषित होने तक लगा रहा। उम्मीदवारों के प्रतिनिधि स्वयं इस बात को पूर्णतया जानते हैं। यदि कथित जादू चल भी जाता तो कुछ क्षेत्रों में विरोधी दल के उम्मीदवार विजयी न हो पाते। कुछ क्षेत्रों में असफल उम्मीदवारों को बहुत भारी संख्या में वोट प्राप्त हुए हैं फिर ऐसी स्थिति में मोहर की दृश्यता अथवा अदृश्यता किस प्रकार संभव है, क्या ऐसा केवल सफल उम्मीदवारों के सम्बन्ध में हुआ है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यह आरोप बिल्कुल मनगढ़न्त है।

सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई है कि देश में चुनाव एक तारीख से प्रारम्भ हुए थे और लगभग 10 तारीख तक चले इन दस दिनों के अन्तराल में किसी ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा पर जैसे ही चुनाव के परिणाम घोषित किए गए और इन परिणामों को अपने पक्ष में न पाकर विरोधी दलों ने ऐसी निराधार बातों को उठाया।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' में संशोधन हेतु कोई अभ्यावेदन दिया गया है ताकि चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके।

श्री एच० आर० गोखले : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु इतना मैं अवश्य बता सकता हूं कि निर्वाचन सम्बन्धी कानून पर पिछली संसद की एक समिति विचार कर रही थी जो सभा के भंग होने के कारण अपना कार्य पूरा न कर सकी है। निर्वाचन कानून में कुछ न कुछ संशोधन अवश्य होना चाहिए और मैं आशा करता हूँ नई लोक सभा इस ओर ध्यान देगी। मैं यह समझता हूं कि इस सारे प्रश्न पर पृथक रूप से पुनः विचार किया जाएगा।

Shri Narsingh Narayan : Will the hon. Minister be pleased to state that whether this question of invisible ink was raised when the votes of that candidate who have made complaint were going on. I feel that this, has been done only for propeganda purposes ?

श्री एच० आर० गोखले : मैंने अभी सदन में बताया कि चुनाव का निर्णय घोषित होने तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया था ।

श्री भुरासोली भारन : इस प्रचार के जन्मदाता, जनसंघी, रूसी रोटर मशीन पर अपना समाचार पत्र 'मदरलैण्ड' निकाल रहे हैं तथा वह रूसी स्याही का भी प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : यह प्रश्न किस प्रकार संगत है ।

श्री भुरासोली भारन : मैं यह भी समझता हूं कि जब यह समाचार पत्र विक्रेताओं के पास भेजे जाते हैं तब इनका नाम 'मदरलैण्ड' से बदलकर 'नैशनल हैरल्ड' हो जाता है इसका अर्थ यह हुआ कि रूसी हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं को निर्वाचन से लेकर समाचार पत्रों को सभी को नष्ट करने पर तुले हैं। यदि ऐसा है, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं कृपया अगला प्रश्न कीजिए!

श्री भुरासोली भारन : यह प्रश्न भी अदृश्य स्याही से सम्बद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : हम अब अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः इस पर अन्य प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाए ।

श्री स० मो० बनर्जी : स्वयं भी सदस्यों को इस पर सोच विचार कर लेना चाहिए ।

ब्रेथवेट कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड का बन्द होना

***25 डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेथवेट कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड 18 जनवरी, 1971 से बन्द कर दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कम्पनी को पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनल हक चौधरी) : (क) से (ग) : मे० ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड की दि क्लाइव वर्क्स फैक्टरी, 18 जनवरी, 1971 को बन्द हुई थी । सरकार ने कारखाने के बन्द होने के कारणों का पता लगाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन, अधिनियम, 1951 के अधीन एक समिति गठित की । समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कारखाने के बन्द होने का मुख्य कारण ठीक बन्दोबस्त का न होना था । समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लेने के पश्चात् सरकार ने अपने गठित प्रबन्धक बोर्ड द्वारा कम्पनी के बन्दोबस्त

को 6 मार्च, 1971 से अपने हाथ में लेने का प्राधिकार दे दिया । नई प्रबन्धक समिति तथा श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच हुई दीर्घकालीन बातचीत के बाद बन्द हुए कारखाने को पुनः खोलने के बारे में समझौता हो गया है । इस समझौते के मुताबिक दि क्लाइव वर्क्स फैक्टरी कल से फिर खुल गई है ।

डा० रानेन सेन : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कारखाने को पुनः चालू करने के बाद, मजदूरों को, कम्पनी के कुप्रबन्ध के परिणामस्वरूप हुई तालाबन्दी के समय के लिए कुछ राशि दे रही है ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से समझौते की शर्तों को यहां पढ़कर सुनाता हूँ । शर्त यह है कि कर्मचारियों की सेवा में बाधा पड़े बिना वर्तमान तीन शिफ्टों के बजाए दिन और रात की शिफ्टों के आधार पर 29–3–71 को कारखाना पुनः चालू किया जाएगा । तालाबन्दी के समय प्रत्येक कर्मचारी को 150 रुपये की तदर्थ राशि दी जाएगी ।

डा० रानेन सेन : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह 150 रुपये कंपनी की तालाबन्दी के समय के हैं अथवा कोई तदर्थ राशि है जो बाद में काट ली जायेगी । कम्पनी ने कारखाने को बन्द कर दिया था । कर्मचारियों को पूरी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये । वह राशि किस रुप में दी जायेगी ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : उसके लिये सूचना चाहता हूँ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्योंकि अब सरकार ने इस कम्पनी को अपने हाथ में ले लिया है और इसमें उत्पादन आरम्भ हो गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि भविष्य में कभी भी इस कारखाने में इस्पात की कथित कमी नहीं होगी । यद्यपि इस कम्पनी के पास 15 करोड़ रुपये के क्रयादेश के जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्यात आदेश भी थे । परन्तु फिर भी भूतपूर्व प्रबन्ध समिति ने पर्याप्त सप्लाई के अभाव के कारण इस कम्पनी को बन्द कर दिया है । क्योंकि अब सरकार ने इस कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेलिया है अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस्पात की सप्लाई में उच्च प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाया है ताकि कारखाना बन्द न करना पड़े ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : तालाबन्दी का कारण केवल इस्पात की कमी नहीं था । कुप्रबन्ध भी इसका एक कारण था । जो भी हो, पर्याप्त इस्पात की सप्लाई करना बहुत आवश्यक बात है । हम कच्चे माल उपलब्ध कराने के सभी प्रयत्न करेंगे ।

इस्पात का मूल्य

***28. श्री एस० एल० सक्सेना :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो मास में इस्पात के मूल्य में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस्पात का मूल्य पहले वाले स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : (क). जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री एस० एल० सक्सेना : क्या यह सच नहीं हैं कि गत दो महीनों से इस्पात के मूल्य में 100 रुपये से 150 रुपये तक वृद्धि हुई है ।

श्री मोहन कुमार मंगलम : इस्पात के मूल्य में कुछ वृद्धि हो रही है, मगर जैसे कि आपने कहा गत दो महीनों से कोई वृद्धि नहीं हुई है····(व्यवधान) आपने पूछा कि क्या गत दो महीनों से इस्पात के मूल्य में वृद्धि हो रही है । मैंने कहा कि वृद्धि नहीं हुई है । वस्तुतः खुले बाजार में इस्पात के मूल्य में कुछ वृद्धि हो रही है । जहां तक **जे० पी० सी०** मूल्यों का सम्बन्ध है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि 50 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हुई है ! मैं जानना चाहता हूँ कि मूल्य में कहां तक वृद्धि हुई है ।

श्री मोहन कुमार मंगलम : जैसा मैंने बताया, जनवरी 1971 और फरवरी 1971 के बीच में वृद्धि नहीं हुई है । खुले बाजार में इस्पात के मूल्य में कुछ कमी हुई है ।

जहां तक जे० पी० सी० और स्टाक चार्ज मूल्यों का सम्बन्ध है, वह स्थिर रहा है ।

रेल गाड़ियों की संख्या में कमी करने का कारण रेलवे को हानि

***31. श्री पी० के० देव** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कुछ सवारी गाड़ियों को चलाना बन्द कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री श्री हनुमन्तैया : (क) जी हां ।

(ख) पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल में कुछ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण कोयले कमी हो गयी जिससे कोयले के लदान और यातायात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा ।

(ग) यह हानि लगभग 78 लाख रुपये की है ।

श्री पी० के० देव : श्रीमान्, यह बहुत दुख की बात है कि करदाताओं के 78 लाख रुपये नष्ट हो गए। माननीय मंत्री के बने बनाये जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि करदाताओं के 78 लाख रुपये की क्षति की जिम्मेदारी किस पर है।

श्री हनुमन्तय्या : पता नहीं जिम्मेदारी किस की है। एक ओर रेलवे प्रशासन है और दूसरी ओर श्रमिक संघ है।

श्री पी० के० देव : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कब तक यात्री गाडियां पुनः चालू की जाएगी।

श्री हनुमन्तय्या : यात्री गाडियों को शीघ्र ही चालू किया जाएगा। बंद की गई यात्री गाडियों की संख्या . . .

श्री पी० के० देव : श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय एक अवधि निर्धारित करें जिसके अन्दर ये गाडियां चालू की जा सकें। मंत्री महोदय इस सरल प्रश्न का जवाब नहीं देते।

श्री हनुमन्दैया : वर्तमान स्थिति में हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि वे कब चालू होंगी। हम इन गाडियों को चालू करने के लिए सभी प्रयत्न करेंगे।

श्री पी० के० देव : यह बहुत असंतोषजनक जवाब है।

Shri Bibhuti Mishra : The Minister said that it is neither his fault nor the fault of the Trade unions. Trains are cancelled due to the shortage of coal which create a lot of difficulties to the passengers. Recently, due to the strike launched by the employees of Barauni, all the passenger trains on the meter gauge are cancelled. May I know what permanent arrangement the Government is making so as to remove these difficulties. May I know who is responsible for the cancellation of trains ?

श्री हनुमन्तैया : मैं यह कह रहा था कि इन दोनों एजेंसियों के बीच इसकी जिम्मेदारी बांटना कठिन है। मैं इस मामले को संकीर्ण नहीं बनाना चाहता हूं।

श्री कल्याणसुंदरम : मंत्री महोदय यह बता रहे थे कि हड़ताल के कारण रेलगाडियां बंद की गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हाल में कुल कितनी हड़तालें हुईं, उस में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया और हड़तालों के क्या कारण थे।

श्री हनुमन्तैया : आप सूचना दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न रेलगाडियों के बंद किये जाने से संबंधित है। अगर कोई अन्य बात पूछना चाहते हैं, तो आप अलग से प्रश्न पूछें।

Unregistered Names in Electoral Rolls

32. Shri Mulki Raj : Will the Minister of Law and Justice be pleased to state :

(a) where the names of a large number of eligible persons remain unregistered in the electoral rolls; and

(b) if so, the steps proposed to be taken in future to bring the electoral rolls up-to-date ?

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं। निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के रूप में जनवरी, 1970 के प्रति निर्देश से किया गया था। चौथी लोक सभा के विघटन के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन आयोग ने जनता को इस बात की जानकारी देने के लिए 29.12.70 और 14.1.71 को दो प्रेस-नोट भी जारी किए कि ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को, जिन्होंने 1 जनवरी, 1970 को या उससे पूर्व 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किन्तु जिनको अपने नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज किए हुए नहीं मिले, सम्बद्ध निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ने अपने-अपने नाम सम्मिलित कराने के लिए तत्काल आवेदन करना चाहिए। ऐसे सब आवेदनों की, जो 18.1.71 को अपरान्ह 5 बजे तक प्राप्त हो गए, जांच की गई और उन्हें निपटा दिया गया।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) (ख) के उपबन्धों के अनुसार, निर्वाचक नामावलि विहित रीति से किसी वर्ष में 'अर्हता की तारीख' (जिससे उस वर्ष की 1 जनवरी अभिप्रेत है जिसमें उसका पुनरीक्षण किया गया है) के प्रति निर्देश से पुनरीक्षित की जाएगी यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निदिष्ट किया गया है ; आयोग, निर्वाचक नामावलियों का पूरी तरह से पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के रूप में 1 जनवरी, 1971 के प्रति निर्देश से करने की प्रस्थापना करता है।

Shri Mulki Raj : In other democratic countries these persons who have attained the age of eighteen years have a right to vote but in our country this right only those persons who are 21 years old have. Not only this but this time a large number of eligible persons have not been registered in the electoral rolls Even the names of great political leaders were not found in the voters list. The machinery engaged in this work did not work properly. May I know the steps taken by this Government to set this machinery right and whether this, Government propose to take or have already taken the action against those who are responsible for such Lapses ?

श्री एच० आर० गोखले : 1967 में हुए निर्वाचन में मतदाताओं की संख्या 25 करोड़ थी जबकि इस मध्यावधि निर्वाचन के समय उनकी संख्या 27·50 करोड़ थी। इससे सिद्ध होता है कि मतदाता सूचि को अद्यतन बनाये रखने के लिए प्रयास जारी रहा है, यद्यपि निर्धारित तिथि बीत चुकी थी। मध्यावधि निर्वाचन की दृष्टि से निर्वाचन आयोग ने अन्तिम तारीख और आगे बढ़ा दी थी और नाम दर्ज कराने या आपति करने की तारीख भी बढ़ा दी थी। इस आशय के जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी जांच पड़ताल की गई थी और यथावश्यक कार्यवाही की गई। परिणामतः कुछ लोगों के नाम मतदाता-सूची में दर्ज किये गये और कुछ के नाम उनमें से निकाले गये। फिर भी कुछ लोगों के नाम मतदाता-सूची में सम्मिलित नहीं किये जा सके। इसका मुख्य कारण यह था कि स्वयं मतदाताओं अथवा नेताओं ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त जागरूकता नहीं दिखाई और उन्होंने निर्वाचन आयोग को इस आशय का आवेदन नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम प्रश्न संख्या 33 और 32 को एक साथ ले लें ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Law Minister has not given the answer to the question put by the hon. Member. The question was : the steps taken by Government to correct the discrepancies in the exeisting electoral roll. This question has not been answered by the Minister.

श्री एच० आर० गोखले : मैंने अभी प्रश्न 33 का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने अभी प्रश्न पूछा ही कहां है ? क्या मैं अब अपना प्रश्न पूछूं ?

Discrepancies in Electoral Rolls

***33. Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of Law and Justice be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there were a large number of disrcepancies in the electoral rolls prepared for the recent mid-term eleections to Lok Sabha;

(b) whether it is also a fact that no effort was made to revise the electoral rolls systematically before the mid-term poll; and

(c) the steps now being taken to exclude fictitious names from the electoral rolls and to include the names of genuine voters therein ?

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री एच.आर. गोखले): (क)और (ख). जी नहीं । निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के रूप में 1 जनवरी, 1970 के प्रति निर्देश से किया गया था । चौथी लोक सभा के विघटन के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन आयोग ने जनता को इस बात की जानकारी देने के लिए 29.12.70 और 14 1.71 को दो प्रेस–नोट भी जारी किए कि ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को, जिन्होंने 1 जनवरी, 1970 को या उससे पूर्व 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किन्तु जिनको अपने नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज किए हुए नहीं मिले, सम्बद्ध निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर से अपने–अपने नाम सम्मिलित कराने के लिए तत्काल आवेदन करना चाहिए । ऐसे सब आवेदनों की, जो 18 1.71 को अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त हो गए, जांच की गई और उन्हें निपटा दिया गया ।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 (2) (ख) के उपबन्धों के अनुसार, निर्वाचक नामावलि विहित रीति से किसी वर्ष में 'अर्हता की तारीख' (जिसमें उस वर्ष की 1 जनवरी अभिप्रेत है जिसमें उसका पुनरीक्षण किया गया है) के प्रति निर्देश से पुनरीक्षित की जाएगी यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचक आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । आयोग, निर्वाचक नामावलियों का पूरी तरह से पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के रूप में 1 जनवरी, 1971 के प्रति निर्देश से करने की प्रस्थापना करता है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker Sir, I would like to draw the attention of the Minister to part (a) of my question. In that I asked whether there were a large number of discrepancies in the electoral rolls prepared for the recent mid-term elections to Lok Sabha The Minister has replied to it negatively. I would like to know whether the attention of Minister has not been invited to large number of letters to the editors of

newspapers written by people complaining that the names of lakhs of eligible Voters were not included in the list; and that some electoral rolls contained the names of husbands while excluding the names of there wives. Even then the Minister says that there were no discrepancies in the Voters' list.

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न जिस रूप में था उसी रूप में उसका उत्तर दिया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या मतदाता सूची में बहुत अधिक गलतियां नहीं थीं ? देश में पात्र मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है। मतदाताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए और मतदाता-सूची में नये नाम जोड़ने और कुछ नाम काटने के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जो नाम मतदाता सूचियों में सम्मिलित नहीं किये जा सकते थे, वे बहुत अधिक थे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अब लोक सभा के लिये कराये गये मध्यावधि चुनाव समाप्त हो चुके हैं। परन्तु ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि अब राज्य की विधान सभाओं के लिए मध्यावधि चुनाव होंगे। क्या निर्वाचन आयोग ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे विधान सभाओं के लिए निर्वाचन का आदेश जारी होने से पूर्व सभी मतदाता-सूचियों में संशोधन करके उन्हें पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाये ?

श्री एच. आर. गोखले : जी, हां।

Shri Naval Kishore Sharma : I think that the hon. Member has changed his attitude towards the language.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Does the Hon. Membr not khow that the Hon. Minister cannot understand and speak Hindi ?

श्री एच. आर. गोखले : माननीय सदस्य यह भूल गये हैं कि मैंने अपनी चुनाव-सभाओं में हिन्दुस्तानी में भाषण दिए थे। हां, मैं उतनी अच्छी प्रकार हिन्दी में नहीं बोल सकता, जितनी अच्छी प्रकार माननीय सदस्य बोलते हैं। किन्तु मैं हिन्दी समझता अवश्य हूं।

Some Hon. Member : Answer in hindi.

Shri H. R. Gokhle : I said that Election Commission proposes to revise the lectoral rolls with reference to 1st January 1971 as qualifying date. This work will be finished before the polls for assemblies are ordered but I would like to request the member to be present this time at the time of verification after making applications.

श्री एच. एन. बहुगुणा : क्या मतदाता-सूचियों में गलतियों की अधिकांश शिकायतें उन स्थानों से आई हैं जहां जनसघ और उसके साथियों का शासन था।

श्री एच. आर. गोखले : ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, इतना अवश्य कह सकता हूं कि कुछ स्थानों की मतदाता-सूचियों में कुछ नाम सम्मिलित किये जा सके थे।

श्री इरास्मो द. सक्केरा : हमारे संघ राज्य क्षेत्र में यह आरोप लगाया गया है कि एक गांव के एक भाग के मतदाताओं का नाम सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज न था, बल्कि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज था। क्या सरकार ऐसा प्रयास करेगी जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें।

श्री एच. आर. गोखले : इस बार भी इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज न हो। मुझे विश्वास है कि निर्वाचन आयोग भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखेगा।

श्री कल्याण सुन्दरम : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि तामिल नाडु में शासक दल अर्थात द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने मतदाता-सूचियों में नाम दर्ज किये जाने के बारे में और उन्हें ठीक प्रकार से रखे जाने के बारे में शिकायत की थीं ? दो मास पूर्व स्थानीय स्वायत्त प्रशासन (सिविल एडमिनिस्ट्रेशन) के निर्वाचन हुए थे। उस समय मतदाता-सूचियों में जो नाम दर्ज थे वे इस मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार की गई सूचियों में नहीं पाये गये। क्या सरकार को इस शिकायत की जानकारी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह विशिष्ट प्रश्न है। इसमें द्रविड़ मुनेत्र कषगम तथा अन्य कहां से आ जाते हैं। यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

Shri Ramji Ram : In some electoral rolls People of 12, 13 or 14 years of age, who were actually underage, were registered as people of 40, 45 or 50 years and in some rolls they were shown otherwise. Will the Minister take some steps to correct these discrepancies ?

श्री एच. आर. गोखले : इन सब गलतियों को ठीक करने का काम निर्वाचन आयोग का है। मुझे पूरा विश्वस है कि ऐसी सभी गलतियों को ठीक करने के बारे में कार्यवाही की जायेगी।

Shri Sarjoo Pandey : At present a man, who is eligible to cast Vote, has to get his name registered in the electoral roll. First by he has to deposit 10 Paisa in treasury and get the form, Then he has to submit the duly filled in form in duplicate. I would like to know whether government will take measures to simplify the said prccedure.

श्री एच. आर. गोखले : जहां तक फार्म की फीस का सम्बन्ध है, वह केवल 10 पैसे ही है। जहां तक प्रक्रिया को आसान बनाये जाने का सम्बन्ध है, यह एक सुझाव है जिस पर ध्यान दिया जायेगा।

Working of Steel Plants

*34. **Shri Laxmi Narain Pandey** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the number and locations of steel plants fnnctioning in the country at present;

(b) whether it is a fact that the said plants are not working to their full production capacity; and

(c) if so, the reasons therefor ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : (क) इस समय देश में पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने उत्पादन कर रहे हैं। ये कारखाने भिलाई (मध्य

प्रदेश), राउरकेला (उड़ीसा), दुर्गापुर (प. बंगाल), जमशेदपुर (बिहार) तथा बर्नपुर (पश्चिमी बंगाल) में स्थित है।

(ख) और (ग) जब कि अप्रेल 1970 से फरवरी 1971 की अवधि में भिलाई और जमशेदपुर के कारखानों में उत्पादन सामान्यत: सन्तोषजनक रहा, दुर्गापुर और बर्नपुर में तथा कुछ हद तक राउरकेला में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों में कुछ तकनीकी तथा परिचालन सम्बन्धी रुकावटें, कमियां भी हैं, जिन पर ध्यान दिया जा रहा है।

Shri Laxami Narain Pandey : May I know the total loss suffered by these factories during the last three or four years and the causes thereof and also the extent of dowu fall in production in the country as a result thereof,

श्री एस. मोहन कुमार मंगलम : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। यदि माननीय सदस्य गत दो मदों के आंकड़े जानना चाहते हैं तो वह उनको उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आंध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

*18. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुडाप्पा जिले (आंध्र प्रदेश) के येरगिन्टला नगर में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव दूसरी पंचवर्षीय योजना से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ग) रायलसीमा में सूखे की गम्भीर स्थिति तथा उस क्षेत्र में किसी सरकारी क्षेत्रीय परियोजना न होने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) : उन कुछ पार्टियों को जिन्होंने 1956–65 की अवधि में येरगुन्टला में सीमेंट का कारखाना लगाने का प्रस्ताव रखा था, लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए थे। ये या तो वापस कर दिये गये थे अथवा किन्हीं कारणों से रद्द कर दिये गये। सीमेंट निगम द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार इस स्थान पर एक कारखाना लगाना सम्भव था। सरकार की वर्तमान नीति केवल कमी वाले इलाकों में सरकारी क्षेत्र के अन्दर ही सीमेंट के कारखाने खोलने और बहुतायत वाले इलाकों में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को हतोत्साहित करने की है। आंध्र प्रदेश सीमेंट उत्पादन में बहुतायत वाला इलाका है और इस स्थान पर फिल हाल कोई कारखाना खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

कारों के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

*23. **श्री जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार मूल्य जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : रिपोर्ट केवल 29 मार्च, 1971 को अर्थात् कल ही प्राप्त हुई हैं और इस पर अभी विचार किया जाना है ।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के बारे में रूसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट

*24. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में प्रस्तावित भूमिगत रेलवे के बारे में रूसी विशेषज्ञों के दल ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) रूसी परामर्शदाताओं के दल ने अपनी रिपोर्ट में एक भूगत रेलवे बनाने की सिफारिश की है जो दक्षिण में टालीगंज से लेकर उत्तर में दम-दम तक जायेगी और नगर के केन्द्रीय व्यवसायिक जिले से होकर गुजरेगी । रूसी दल ने उपनगरीय विर्सजन लाइन के निर्माण की सिफारिश नहीं की है ।

(ग) इस रिपोर्ट पर, फिलहाल, सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

राज्यों द्वारा समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धन की मांग

*26. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन भेजे हैं कि वे धन की कमी के कारण समाज कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने का है ताकि जिला परिषदें सक्रिय हो सकें ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) नहीं; बहुत सी राज्य सरकारों ने समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए अधिक धन की मांग की है। योजना कार्यक्रमों के लिए निश्चित किए गए आवंटनों के भीतर राज्य सरकारों को अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) समाज कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर हैं। जिला परिषदों को गतिशील बनाने यदि 'समाज कल्याण' गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक समझा जाता है, तो उस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कार्यवाही करनी है।

मद्रास में स्टैण्ड्र्ड कार फैक्टरी का फिर से चालू किया जाना

*27. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक समस्याओं का समाधान करके मद्रास स्थित स्टैण्डर्ड कार फैक्ट्री के फिर से चालू कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप, 22 फरवरी, 1971 से मद्रास स्थित स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इण्डिया फैक्ट्री फिर से चालू हो चुकी है।

टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य में वृद्धि

*29. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टायरों तथा ट्यूबों की कमी के कारण चोर बाजार में इनके मूल्य बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो टायरों और ट्यूबों के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) यद्यपि देश मे सम्पूर्ण रूप से मोटरगाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों की कमी नहीं है, तो भी कुछ प्रकार के टायरों, विशेषकर ट्रक तथा ट्रैक्टर के टायरों की कमी, कुछ सीमा तक, महसूस की जा रही है और 1970 की अन्तिम तिमाही में इनके वितरण के बारे में कुछ कथित कदाचार तथा अनियमितताओं के समाचार प्राप्त हुए थे।

(ख) सरकार ने हाल ही में मोटरगाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों प्रत्येक की 24 लाख संख्या की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। निर्माताओं ने भी

अपनी वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और उसमें सुधार करने के लिए कार्रवाई की है ।

कठुआ और जम्मू के बीच रेलवे लाइन का बिछाना

*30. **श्री इन्द्रजीत** मल्होत्रा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर राज्य में कठुआ और जम्मू के बीच रेल लाइन बिछाने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) फरवरी, 1971 के अन्त तक कुल मिलाकर 28.6% वास्तविक प्रगति हुई ।

(ख) आशा है, लाइन 1972 में बन कर तैयार हो जायेगी ।

Setting up of Industries in Rajasthan during Fourth Plan

*35. **Shri Mool Chand Daga : Will the Minister of Industrial Development** be please to stated :

(a) whether Government propose to set up new Industries in Rajasthan during the Fourth Five Year Plan in order to provide employment to thousands of technically qualified youth;

(b) if so, the nature and locations thereof and the time by which they are likely to be set up; and

(c) Whether Rajasthan Government have recommended the setting up of any new industry in the State and, if so, when ?

The Minister of Industrial Development Shri Moinul Haque Choudhury : (a)and(b) The Central Industrial projects proposed to be set up by the Central Government in the various States, including Rajasthan, during the Fourth Five Year Plan, their nature, locations and the investments proposed to be made on them, are given at pages (327-330) of the Fourth Five Year Plan 1969-74 Report.

Two large Central industrial projects viz. Zinc smelter at Udaipur and Precision Instruments Factory, Kota have been set up. Provision have also been made for the completion of Khetari Copper Project and Machine Tool Plant, Ajmer which are under implementation.

A provision of Rs. 2.08 crores have been made in the Plan for State Industrial projects ; which are : State Woollen Mills, Bikaner: expension of Sodium sulphate Plant at Didwana: Leather Tannery, Tonk : Salt Industry : development of Industrial areas and share participation in Rajasthan Industrial and Minerals Development Corporation. Of these, the State Woollen Mills is already in operatton and the sodium sulphate plant is ready for commissioning.

All these projects-central as well as State-when completed would add to the national wealth and income and would also provide employment to the technical and non-technical personnel of the area.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बरास्ता दरभंगा समस्तीपुर से रक्सौल तक बड़ी लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे)

*36. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर से दरभगा होकर रक्सौल तक बड़ी लाइन का विस्तार करने सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कार्यान्विति की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : सर्वेक्षण कार्य लगभग पूरा हो गया है लेकिन रिपोर्टों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है और वह अभी तक रेलवे बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है । मुजफ्फरपुर के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग का भी सर्वेक्षण किया गया है । सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों विकल्पों के गुण-दोषों की जांच कर लेने के बाद इस आमान–परिवर्तन के लिये अपनाये जाने वाले सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से विनिश्चय किया जायेगा । वास्तविक आमान–परिवर्तन सर्वेक्षणों के परिणाम, इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों में इस काम को मिलने वाली अग्रता और धन की उपलब्धता पर भी निभर है ।

Shortage of Local Trains between Gaya and Dhanbad stations (Eastern Railway)

*37. **Shri Gyneshwar Prasad Yadav** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of local trains between Gaya and Dhanbad Stations; and

(b) whether Government propose to introduce one Up and one Down train there and if so, the probable time for introduction of the trains ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Sir, the shortage is estimated to be one passenger train.

(b) It may be possible to introduce the train as soon as certain additional facilities are ready.

राष्ट्रीय शिशु बोर्ड का गठन तथा शिशु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी संकल्प

27. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिशु बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इस बोर्ड के कृत्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने शिशु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी संकल्प के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में और कितना समय लगने की संभावना है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने शिशु बोर्ड स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और उन मामलों में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) (क) और (ख). शिशु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी प्रस्ताव, जिसमें राष्ट्रीय शिशु बोर्ड की स्थापना शामिल है, अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) सरकार को आशा है कि प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

(घ) और (ङ) : हरयाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, तामिलनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने राष्ट्रीय शिशु बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव के मसौदे की पुष्टि कर दी है । महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया हैं कि बाल कल्याण की सभी समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य-पोषण इत्यादि पर विचार करने हेतु इस राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की बजाय उस बोर्ड को केवल शिशुओं के विशेष वर्गों, जैसे शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग और आवारा बच्चों इत्यादि, की समस्याओं का सौंपा जाना ही अच्छा होगा ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने पर किया गया व्यय

28. डा० कर्णीसिंह : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने पर मूलत: कितनी लागत आने का अनुमान था;

(ख) उस पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है;

(ग) क्या कारखाना सभी पहलुओं से पूरा हो गया है जैसा कि अपेक्षित था;

(घ) यदि नहीं, तो उस पर और कितना व्यय आने की सम्भावना है;

(ङ) इस कारखाने को अब तक कितनी हानि हो चुकी है; और

(च) यह कारखाना कब तक ऐसी स्थिति में पहुँचेगा जहां इसको हानि न हो ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आरम्भ में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के एक मिलियन टन के चरण पर 115 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। इसमें बस्ती तथा सहायक कार्यों का खर्च शामिल नहीं था । 0.6 मिलियन टन के विस्तार पर मूलत: 66·20 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान था।

(ख) 28 2–1971 तक कारखाने, बस्ती, तथा सहायक सुविधाओं पर हुआ कुल खर्च 276·18 करोड़ रुपए है। इसमें बस्ती तथा सहायक सुविधाओं पर खर्च हुए 43·46 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ग) और (घ). 2 करोड़ रुपये के मूल्य के कुछ उपकरणों को छोड़कर कारखाना पूरा हो गया है। ठेकों की अन्तिम अदायगी फालतू पुर्जों तथा ऐस्केलेशन पर 1·1 करोड़ रुपये नकद खर्च होने की सम्भावना हैं। इसमें राज्य सरकार से ली गई भूमि का मूल्य जिसे अभी अन्तिग रूप से तय किया जाना है शामिल नहीं है।

(ङ) 30–3–1970 तक हुई कुल हानि 83·54 करोड़ रुपये है।

(च) यदि श्रमिक अशान्ति पर नियन्त्रण पा लिया जाए और निर्धारित क्षमता का 90 प्रतिशत उत्पादन होने लगे तो दुर्गातुर इस्पात कारखाना हानि से बच सकता है। आशा है कि इस सुधार से 1973–74 तक निर्धारित क्षमता पर उत्पादन होने लगेगा।

पूंजीगत माल तथा इन्जीनियरिंग उद्योगों में अधिस्ठापित क्षमता का पूरी तरह प्रयोग न किया जाना

29. **डा० कर्णीसिंह** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूंजीगत माल तथा इन्जीनियरिंग उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का पूरा प्रयोग नही किया जा रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और इसके कारण क्या हैं, और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक कारखाने अपनी निर्धारित क्षमता तक कार्य करें, क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) : पूंजीगत माल और इन्जीनियरी उद्योगों की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की है कि सभी एककों में अनिश्चित समय तक शत प्रतिशत अथवा उसकी निकटतम क्षमता के उपयोग का पता लगा सकना सम्भव नहीं है। 1966-68 की अवधि में पूंजीगत माल बनाने वाले अनेकों एककों में प्रारम्भ में अधिष्ठापित क्षमता का कम आर्थिक स्थिति में उपयोग करने की स्थिति रही है । इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में मन्दी की प्रवृत्ति बढ़ी है। फिर भी, 1969 में और गत वर्ष की औद्योगिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाने के फलस्वरूप विभिन्न इन्जीनियरिंग उद्योगों में क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में सुधार हुआ है। जहां विभिन्न प्रकार की मशीन बनाने वाले एककों में पुन: कार्य प्रारम्भ होने की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा है वही कुछ अन्य क्षेत्रों में जिसमें 1968–

1969 और 1970 के प्रथमार्द्ध के उत्पादन आकड़ों से 50 प्रतिशत के लगभग या उससे भी कम क्षमता का उपयोग किया जा सका है। इन उद्योगों में लकड़ी के काम में आने वाली मशीने सीमेंट मिल मशीनें वोहीकुलस टाइप डीजल इंजिन, सड़क कूटने के इंजिन, ढांचे क्रेने, मालगाड़ी के डिब्बे, ट्रान्समिशन टावर, पानी के मीटर, सीसा और सीसे की चादरें, पीतल की चादरें, इस्पात की ढली वस्तुएं और ढले लोहे पाइपों से सम्बन्धित उद्योग सम्मिलित हैं।

2. कम उपयोग के विशद कारणों में कम मांग का होना, कच्चे माल की कमी और श्रम व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें हैं। धातुओं का केवल एक कच्चे माल का सम्भरण कम होने में महत्वपूर्ण स्थान है और विशेष रूप से इस्पात की कमी होने से समस्त इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई है। सरकार अधिष्ठापित क्षमता को बनाए रखने और कच्चे माल की नई क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में अधिकाधिक कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तौर से सजग है।

चौथी योजना की अवधि में अनुमानित कुल 9730 करोड़ रुपये की आयात नीति संबंधी आवश्यकताओं में से 7840 करोड़ रुपये की आवश्यकता आयात को बनाए रखने या कच्चे माल पुर्जों और फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए होगी जिसकी आवश्यकता औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने और उसकी वृद्धि करने के लिए पड़ेगी। आयात नीति में आयातित कच्चे माल की आवश्यकता पर अत्यधिक ध्यान दिया जानां चाहिये विशेषकर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये, निर्यात करने वाले उद्योगों और लघु क्षेत्र के उद्योगों के मामले में, वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए इस्पात के आयात के सम्बन्ध में उदार आयात की अनुमति दे दी गई है।

सरकार हमेशा उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उत्पादन पर बल देती रही है। मन्दी के प्रारम्भ में सरकार ने विविधीकरण की नीति की भी घोषणा की थी जिसका तात्पर्य यह था कि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त, उपक्रम अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25 प्रतिशत तक के मूल्य की किसी नई वस्तु का बिना उसके लिये लाइसेंस प्राप्त कर तब तक उत्पादन कर सकते हैं जब तक कि उन्हें उसके लिए अतिरिक्त पूंजी अथवा मशीन सीमान्त सन्तुलन उपकरणों के अलावा की आवश्यकता न पड़े। बहुत से उद्योगों विशेष रूप से इन्जीनियरी क्षेत्र ने इस उपाय से लाभ उठाया है। यह लाभ नई लाइसेंस नीति के अधीन भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ चालू रहेगा।

बिड़ला, टाटा तथा साहू जैन उद्योग समूह के समवायों को लाइसेंस का जारी किया जाना।

30. श्री एस० एम० सोलंकी : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 में बड़े तथा लघु उद्योगों को कितने नये लाइसेंस जारी किये गये तथा उनमें से बिड़ला, टाटा और साहू जैन उद्योग–समूह के समवायों को कितने लाइसेंस दिये गये;

(ख) विशिष्ट कम्पनियों को, जो बार–बार ये लाइसेंस दिये जाते हैं, इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आधारभूत सिद्धान्त क्या है; और

(ग) वर्ष 1969–70 में जिन कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये थे उनमें से कितनी कम्पनियों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) औद्योगिक लाइसेंस से सम्बन्धित आंकड़े वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं, कैलेन्डर वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं । 1969 तथा 1970 में पर्याप्त विस्तार करने वाले मामलों, नई वस्तुओं के बनाने तथा काम चालू रखने वाले मामलों, के अतिरिक्त 'नए कारखानों' के स्थापनार्थ कुल औद्योगिक लाइसेंस क्रमशः 34 तथा 62 जारी किए गये थे आशय पत्रों के प्रकरण इनसे पृथक हैं। इन दो वर्षों में बिड़ला, टाटा तथा साहू जैन से सम्बन्धित किसी भी कम्पनी को 'नया कारखाना' स्थापित करने के लिए कोइ लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

(ख) प्रत्येक आवेदन पत्र के गुणावगुण तथा योजना के विभिन्न तकनीकी औचित्यों जैसे विदेशी मुद्रा, स्थान आदि को ध्यान में रखकर आशय पत्र लाइसेंस जारी किये जाते हैं । प्रथमतः आशय पत्र जारी किया जाता है आशय पत्र में दी गई शर्तों का पूरा कर देने पर उसे लाइसेंस परिवर्तित कर दिया जाता है ।

(ग) साधारणतया, नए उद्योगिक कारखाने के उत्पादन प्रारम्भ करने में दो से लेकर तीन वर्ष तक का समय लग जाता हैं। अतः लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

गोलबई (दक्षिण पूर्व रेलवे)पर हाल्ट स्टेशन का खोला जाना।

31. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1970 में हुई क्षेत्रीय बैठक में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर गोलबई में हाल्ट स्टेशन बनाने का निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सवारी गाड़ी के लिए हाल्ट स्टेशन बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे गन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पारादीप में रेलवे कालोनी का निर्माण

32. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में कोई रेलवे कालोनी बनाई जा रही है ; और

(ख) रेलवे कालोनी के निर्माण के लिये जिस ठेकेदार व्यक्ति को ठेका दिया गया है, उसका नाम क्या है और इस कार्य के लिये कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पारादीप पत्तन प्राधिकारियों से भूमि मिलने में विलम्ब होने के कारण काम अभी शुरू होना है। परियोजना के दूसरे चरण में इस काम को पूरा करने की योजना है।

(ख) पारादीप रेलवे बस्ती में क्वार्टरों के निर्माण का ठेका मई, 1970 में मैसर्स रिपब्लिक ट्रेडर्स, कलकत्ता को दिया गया था। इन क्वार्टरों पर कुल लगभग 11.25 लाख रुपये की लागत का अनुमान है।

रू०केला इस्पात संयंत्र का विस्तार

33. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने की स्थापना

34. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री डी० के० पण्डा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये, जैसा कि पिछली लोक सभा में वचन दिया गया था, स्थान के चयन के सम्बन्ध में छानबीन कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : अगले दस वर्षों में इस्पात की मांग के मूल्यांकन का प्रश्न इस समय विचाराधीन है। अपेक्षित इस्पात के लिए की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता के बारे में निश्चय हो जाने के पश्चात् ही स्थल-निर्धारण हेतु अध्ययन करने का काम शुरु किया जा सकता है।

विशाखापत्तनम में इस्पात कारखाने की स्थापना

35. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष 1971 और 1972 में पूरे किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा तथा खर्च का अनुमान क्या है ; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विशाखापत्तनम से लगभग 25 किलोमीटर दूर बालचेरुवु नामक स्थान पर इस्पात कारखाना लगाने के बारे में सरकार ने स्थल-निर्धारण की समिति की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है। सरकार के महा सलाहकार की हैसियत में हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो और मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० (प्रा) लि० की संयुक्त रूप से की गई सिफारिशों के आधार पर मुख्य कारखाने के लिए 8400 एकड़ तथा अनुपूरक भण्डार के लिए 840 एकड़ भूमि को निशानदेशी का काम हो गया है तथा राज्य सरकार को इन क्षेत्रों को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचित करने की सलाह दी गई है। मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० को 2 मिलियन टन के सर्वतोमुखी कारखाने के लिए तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा गया है। आशा है नवम्बर 1971 तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। कोयला समिति तथा कोयले और लोह-खनिज के अलावा अन्य कच्चे माल के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी-अपनी रिपोर्टें तैयार कर ली है। लोह-खनिज समिति की रिपोर्ट भी शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। भारतीय सर्वेक्षण संस्था से प्रायोजना क्षेत्र का भौगोलिक सर्वेक्षण आरम्भ करने के लिए कहा गया है। विशाखापत्तनम् प्रायोजना के लिए गोदावरी नदी से (कारखाने के स्थल से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से) पानी की सप्लाई प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। रेलवे से मार्शलिंग तथा एक्सचेंज यार्डों, रेलवे साइडिंग आदि के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए भी कहा गया है।

(ख) 1971 और 1972 के वर्षों में खर्च मुख्यत: तकनीकी-आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन तथा विस्तृत प्रायोजना प्रतिबेदन तैयार करने, स्थल सर्वेक्षण कार्य, और भूमि-अर्जन प्राथमिक स्थल कार्य तथा समर्थकारी कार्य तथा बस्ती के विकास के लिए आवश्यक आरम्भिक कार्य तथा पानी और बिजली की सप्लाई की व्यवस्था आदि पर किया जाएगा।

(ग) अभी यह बताना कठिन है कि प्रायोजना कब तक पूरी हो जाएगी। शक्यता प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रायोजना को पूरा करने का अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

रेलवे के विरुद्ध किये गये दावे

36. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मार्ग में माल के क्षतिग्रस्त होने या माल की चोरी के सम्बन्ध में रेलवे के विरुद्ध कुल कितने दावे किये गये तथा उन दावों की कुल राशि कितनी थी ;

(ख) कितने मामलों में निर्णय रेलवे के विरुद्ध गया ; और

(ग) रेलवे पर नष्ट हुए माल के लिये कुल कितने मूल्य की डिगरी की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) क्षेत्रीय रेलों द्वारा क्षतिपूर्ति के दावों के सम्बन्ध में जो आंकड़े रखे जाते हैं उनमें अलग-अलग यह नहीं बताया जाता कि मार्ग में माल की चोरी या क्षति के कारण कितने दावे किये गये। बहुत से दावों में रकम का भी उल्लेख नहीं होता। इसलिए दावों की कुल संख्या से संबंधित कुल रकम का भी पता नहीं लग सकता। विभिन्न कारणों से रेलों के विरुद्ध जो दावे किये गये उनकी कुल संख्या इस प्रकार है : –

वर्ष	प्राप्त हुए नये दावों की कुल संख्या
1967–68	7,03,424
1968–69	7,20,036
1969–70	7,00,082

(ख) जिन मामलों में रेलों ने पिछले तीन वर्षों में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	भुगताये गये दावों की संख्या
1967–68	3,64,647
1968–69	4,10,394
1969–70	4,01,667

(ग) पिछले तीन वर्षों में क्षतिपूर्ति के दावों से सम्बन्धित मुकदमों के फलस्वरूप अदा की गयी रकम नीचे दिखायी गयी है :—

वर्ष	मुकदमों के सम्बन्ध में अदा की गयी रकम
1967–68	71,72,705 रुपये
1968–69	79,35,050 रुपये
1969–70	92,28,375 रुपये

Supply of Drinking Water from over-head Water Tank at Harrawala Railway Station (Northern Railway)

37. **Shri Mulki Raj** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the overhead water tank for the supply of drinking water at Harrawala Railway station in District Dehradun, U. P, has been completed since long;

(b) if so, the reasons for delay in the supply of water; and

(c) the arrangements Government propose to make in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) Construction of an overhead tank of 1600 gallon capacity was completed in October, 1970 for supply

of drinkiug water at Harrawala station. This tank could not, however, be commissioned for want of water connection. The Hydro-electric Department of the State Government had originally agreed to provide water connection to the Railway from the supply of the Municipal Board, Dehradun. Subsequently they declined, saying that it was not permissible under the Municiple bye-laws to give sub-connections.

(c) The Railway subsequently approached the Municipal Board, Dehradun for giving a direct connection from the Municipal main to the Railway. When this connection is given, the overhead tank would be brought into use.

टेन्नरी ऐड फुटवियर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारियों को मंजूरी बोर्ड के पंचाट के अनुसार भुगतान ।

38. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेन्नरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर के कुछ कर्मचारियों को मंजूरी बोर्ड पंचाट के अन्तर्गत अभी कोई अदायगी नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) उन्हें अदायगी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) उन सभी कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है जो इस प्रकार के भुगतान के पात्र थे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन

39. श्री जी० विश्वनाथन : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का वर्ष 1969–70 का उत्पादन लक्ष्य क्या है ; और

(ख) क्या उत्पादन में कुछ कमी आई है और यदि हां, तो उसे बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने का वर्ष 1969–70 का उत्पादन लक्ष्य 11 लाख टन इस्पात पिण्ड का था जबकि वास्तविक उत्पादन 818,254 टन हुआ ।

उत्पादन में कमी मुख्यतया मजदूर संघों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण उत्पन्न हुए श्रमिक झगड़ों तथा इस क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता के कारण हुई जिससे आस-पास के उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा है। अन्य उपायों के साथ-साथ स्थिति में सुधार लाने के लिए किये गये कुछ उपायों में कर्मचारियों के अधिकृत संघ को मान्यता देना, प्रबन्धकवर्ग तथा मान्यता-प्राप्त संघ के बीच नियमित रूप से द्विपक्षीय बातचीत करना, प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन तथा शिकायत निवारण समितियों की स्थापना शामिल है। जून 1969 से लेकर अब तक मजदूर संघ के साथ 40 करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं और प्रबन्धकवर्ग ने उनका पालन किया है। दूसरा कारण यह है कि रख-रखाव का काफी काम पड़ा हुआ है तथा फालतू पुर्जों की कमी है। पूंजीगत मरम्मत को पूरा करने, फालतू पुर्जों तथा उष्मसह को शीघ्र मंगाने तथा आवश्यक अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की गई है।

बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन

40. श्री जी० विश्वनाथन : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) उस पर कुल कितनी लागत आयेगी और उत्पादन के समय इस्पात की प्रति टन क्या लागत होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, पहली धमन भट्टी और उससे सम्बन्धित संयंत्र जो कच्चा लोहा तैयार करेंगे, दिसम्बर, 1971 तक तैयार हो जाएंगे तथा समस्त प्रथम चरण, जिसमें 17 लाख टन इस्पात पिण्ड प्रतिवर्ष का उत्पादन होगा, मार्च 1973 तक पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के तीन से छह मास पश्चात् वास्तविक उत्पादन होने लगेगा।

(ख) बोकारो के अनुसार प्रथम चरण की संशोधित लागत, जिसमें आफ-साइट सुविधाएं भी शामिल हैं, 758 करोड़ रुपये बैठती है अर्थात एक टन के लिए लगभग 4200 रुपये का विनियोजन होगा। इसमें 900,000 टन के लगभग अतिरिक्त कच्चे लोहे के उत्पादन को भी शामिल किया गया है। प्रथम चरण के साथ-साथ कारखाने की क्षमता का 40 लाख टन इस्पात पिण्ड प्रति वर्ष तक विस्तार किया जा रहा है। अनुमान है कि विस्तार को शामिल कर के कुल 1090 करोड़ रुपये के लगभग खर्च होगा। 900,000 टन के लगभग अतिरिक्त कच्चे लोहे के उत्पादन को शामिल करने पर प्रतिटन पूंजीगत लागत 2500 रुपये से कुछ कम बैठेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के नि.शुल्क अध्ययन तथा छात्रवृत्तियों के पुराने ढांचे में संशोधन

41. श्री एस० एम० सोलंकी : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के निःशुल्क अध्ययन तथा छात्रवृत्तियों के पुराने ढांचे में परिवर्तन किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के निःशुल्क अध्ययन तथा छात्रवृतियों का ढांचा सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को बेकार भूमि का आवंटन

42. श्री एस० एम० सोलंकी : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों तथा शहरों में पड़ी सरकारी बैकार भूमि का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में आवंटन करने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ग्राम पंचायतों के नियमों के संशोधन हेतु कोई सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं ताकि बैकार भूमि का आवंटन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में किया जा सके ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में भूमि आवंटन के लिये सरकार द्वारा सुझाया गया नया तरीका क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) से (ग) : भारत के संविधान के अन्तर्गत भूमि एक राज्य विषय है और आवंटन कार्यक्रम सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित है। उन राज्य की समस्याओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को भूमि आवंटन के नियम बनाए जाते हैं। विभिन्न सरकारों के भूमि आवंटन नियमों के सारांश जानकारी के लिए अनुलग्न हैं (अनुबंध)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–52/71]**

पूर्व रेलवे पर जसिदीह तथा बैद्यनाथधाम (देवघर) की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों पर चुंगी-कर

43. श्री शिव चण्डिप्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष-भर सभी धार्मिक उत्सवों पर बड़ी संख्या में तीर्थ-यात्री तथा पर्यटक बिहार स्थित संथाल परगना जिले के जसिदीह तथा वैद्यनाथधाम (देवघर) की यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या जसिदीह तथा वैद्यनाथधाम (देवघर) के लिये चुंगी-कर लगाने का प्रस्ताव काफी समय से उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या जसिदीह अधिसूचित क्षेत्र कमेटी (नोटीफाइड एरिया कमेटी) देवघर नगरपालिका को तथा 'आवास गृह समिति' को सफाई की दशा में सुधार करने तथा यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधाए देने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने जसिदीह तथा वैद्यनाथधाम (देवघर) में चुंगी-कर लगाना स्वीकार कर लिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क), से (ग) : रेलों द्वारा तीर्थ स्थानों आदि को आने–जाने वाले यात्रियों पर रेल यात्री सीमा-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत लगाये गये किसी सीमा कर की शुद्ध आमदनी, संविधान के अनुच्छेद 269(1) की व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकारों के खाते में जमा कर दी जाती है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किये जाने पर ही इस कर को लगाने के बारे में विचार किया जाता है। जसिदीह और वैद्यनाथधाम (देवघर) जाने वाले रेल यात्रियों पर सीमा कर लगाने के लिए कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से रेल मंत्रालय को नहीं मिला है।

गया होते हुए वाराणसी और वैद्यनाथ धाम के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चलाया जाना

44. **श्री शिव चण्डिकाप्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी, गया और वैद्यनाथधाम को बड़ी संख्या में जाने वाले तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों को उन स्टेशनों के बीच सीधी रेलगाडी के अभाव के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उन्हें कभी-कभी गया तथा क्यूल स्टेशनों पर रेलगाड़ियां बदलते समय अवांछनीय तत्वों का शिकार होना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा हेतु गया और क्यूल होते हुए वाराणसी और वैद्यनाथधाम के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समय चलने वाली लखनऊ-हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी को शीघ्र ही पटना तथा क्यूल के बजाय गया तथा क्यूल हो कर चलाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण

46. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने ट्रैक्टरों का निर्माण करने हेतु एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है:

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इससे देश में ट्रैक्टरों की सप्लाई की स्थिति में कहां तक सुधार होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को चेकोस्लोवाकिया के मे० मोटोकोव के सहयोग से अपने वर्तमान पिंजौर एकक (हरियाना) में प्रति वर्ष 12,000 जीटर 2011/2511 (20 अश्व शक्ति) ट्रैक्टर बनाने के लिए 25 जुलाई, 1970 को एक आशय पत्र दिया गया है।

(घ) इस समय देश में 20 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों जिनकी देश में काफी मांग है, का उत्पादन नहीं हो रहा है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उत्पादन करने से इस प्रकार के ट्रैक्टरों की लगभग आधी मांग पूरी हो जाने की आशा है।

अखिल भारतीय आयकर अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्यों की भर्ती

47. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विधि तथा न्याय** मंत्री 15 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 4705 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्यों के चयन को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन नाम अर्हताएं एवं वृत्ति में उनका स्थान बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—53/71**]

मैसूर राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा घरेलू बर्तनों को बनाने के लिए वित्तीय सहायता की मांग

48. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने राज्य में, घरेलू बर्तन बनाने वाले दो एल्यूमीनियम एककों की स्थापना के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। दो एककों की स्थापना करने के लिए आयोग ने राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए अपने 1970-71 के बजट आवंटन में कुल 1.20 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

राज्यों में स्कूटर कारखाने

49. श्री डी० एस० अफजलपुरकार : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जहां स्कूटर बनाने के कारखाने स्थापित किये गये है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन कारखानों में प्रति वर्ष औसतन कितना उत्पादन हुआ ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) तथा (ख). देश में संगठित क्षेत्र में स्कूटर बनाने वाले चार संयंत्र हैं, राज्यों के नाम, प्रत्येक राज्य में संयंत्रों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों में इन संयंत्रों में उत्पादन का औसत प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	संयंत्रों की संख्या	उत्पादन का प्रतिशत		
		1968	1969	1970
महाराष्ट्र	2	98.5 प्रतिशत	99.1 प्रतिशत	98.5 प्रतिशत
तमिल नाडु	1	01.5 ,,	00.7 ,,	00.3 ,,
हरियाणा	1	कुछ नहीं	00.2 ,,	01.2 ,,

इसके अलावा, केरल में लघु क्षेत्र का एक एकक भी स्कूटरों का उत्पादन कर रहा है। यद्यपि उसका उत्पादन नगण्य है।

मैसूर राज्य में हिंसा के कारण रेलवे को हुई हानि

50. श्री डी० एस० अफजलपुरकार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा मैसूर के मध्य सीमा–विवाद को लेकर मैसूर राज्य में हुई हिंसात्मक घटनाओं के कारण रेलवे को गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितनी हानि हुई; और

(ख) इस हानि को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया):(क) जो हानि हुई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1968 में	—	कुछ नहीं
	1969 में	—	8700 रुपये
और	1970 में	—	6,70,139.50 रुपये

(ख) इस हानि को पूरा नहीं किया जा सका। इस हानि को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

इस्पात के फुटकर मूल्य

51. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात तथा भारी ईंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में इस्पात के फुटकर मूल्य क्या रहे; और

(ख) इस्पात के फुटकर मूल्यों में कमी अथवा वृद्धि के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) इस्पात के कोई थोक अथवा फुटकर मूल्य नहीं है। परन्तु निम्नलिखित सारणी में वित्त वर्ष 1969-70 के आरम्भ तथा अन्त में कुछ मुख्य श्रेणियों के इस्पात के संयुक्त संयंत्र समिति के तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के स्टाकयार्डों के आधार-मूल्य दिए गए हैं। वर्तमान मूल्य अब भी वहां है जो वर्ष 1969-70 के अन्त में थे।

सारणी

(रुपये प्रति टन)

	संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य		हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाकयार्डों के मूल्य	
	1-4-69	31-3-70	1-4-69	31-3-70
बार तथा राड़ (फ्लैट्स शामिल नहीं है) 14 मि० मी० तथा इससे कम	810	877	875	977
कड़ियां	889	977	964	1117
प्लेटें	989	1092	1064	1342
बिलेट	659	721	709	821

1	2	3	4	5
गर्म बैलित क्वायल्स (14 गेज और इससे अधिक) (परीक्षित)	999	1102	1099	1372
ठंडी बैलित चादरें (14 गेज तथा इससे कम) (परीक्षित)	1324	1427	1424	1800
जस्ती नालीदार/जस्ती सादी चादरें (परीक्षित)	1801	1866	1954	2146
स्केल्प	1009	1122	1084	1242

(ख) 1-1-70 से संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों में 77.50 रुपये प्रति टन की औसत वृद्धि की गई है। यह वृद्धि मुख्यत: उत्पादकों की लागत में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए की गई है। हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाकयार्डों के मूल्य में संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य के अतिरिक्त स्टाकयार्ड—अंश भी शामिल है ताकि स्टाकयार्डों पर होने वाले खर्च की पूर्ति हो सके। लागत में वृद्धि हो जाने के कारण और बाजार में व्याप्त मूल्य-अन्तर को समाप्त करने के विचार से 10/11 दिसम्बर, 1969 की अर्ध रात्रि से स्टाकयार्डों के अंश में वृद्धि कर दी गई है।

Alleged forcible Occupation of Polling Booths in Begusarai Parliamentary Constituency

52. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether during the recent mid-term elections to Lok Sabha, the Four-Party Alliance had forcibly occupied several polling booths with the help of antisocial elements and armed criminals in order to win the election in Begusarai Porliamentary Constituency in Bihar;

(b) whether it is also a fect that the local officers and police had supported and abetted such actions;

(c) if so, whether Government propose to hold an inquiry into this matter; if not, the reasons therefor; and

(d) the action Government propose to take to check recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Law and Justice (Shri H. R. Gokhale) : (a) In the case only one polling station viz., No. 72 (U.P. School, Hazipur), in 189 Barauni assembly segment of 32-Begusarai Parliamentary Constituency in the State of Bihar, an armed mob entered the polling station during the poll on 5-3-71, threatened the Presiding Officer and Polling Officers with revolver and pipe-gun, forcibly removed some ballot papers; marked them and inserted them into ballot box. As soon as a report regarding the incident was received

from the Retur ning Officer, the Election Commission declared the poll at that polling station to be void under section 58(2) of the Representation of the people Act, 1951, and ordered a fresh poll which was taken on 7-3-71.

(b) & (c). There is nothing to indicate that the local officers and police had supported and abetted the above action by the armed mob. The Commission does not think that an enquiry is called for into this incident as it has already taken necessary action as provided under law to declare the first poll to be void and to order a fresh poll.

(d) The Commission is considering what steps should be taken to effectively overcome this menapee in future elections.

Incidents at Polling Booths in Bihar During Mid-Term Poll

53. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the **Minister of Law and Justice be pleased** to state :

(a) whether it is a fact that many incidents of forcible occupation of polling booths in various constituencies of Bihar took place during the recent mid-term elections to Lok Sabha;

(b) if so, the number of such polling booths, constituency wise;

(c) whether it is also a fact that in many constituencies Muslims, Harijans and persons belonging to backward classes were not allowed to exercise their franchise, dispite the assurance of the Election Commission;

(d) if so, whether Government propose to look into this matter and take steps to prevent the recurrence of such incidents in future; and

(e) the details of the steps proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Law and Justice (Shri H. R. Gokhale) : (a) & (b). The Election Commission received reports from the Returning Officers concerned in the State of Bihar that in 42 cases the polling stations were either forcibly occupied by unruly mobs or the ballot boxes were removed from the polling stations. The Commission ordered fresh poll in all these cases, A list of such polling stations is attached. **[Placed in Library See** No. LT 54/71]

(c) to (e). The Election Commission received a few complaints alleging that the votees of the minority communities and backward classes were not allowed to exercise their franchise, Attempts to disrupt the poll by resort to violent means were thwarted effectively by the timely action taken by the Commission to order fresh poll or for the postponement of the poll whenever necessary, The Commission had taken special care to save the voters belonging to the backward sections of the community from intimidation and coercion in the free exercise of their franchise by the stronger sections by providing additional polling stations in the very heart of the localities in which they reside. The Commission had also revised the counting procedure so that nobody would know how a particular polling area had voted. This additional secrecy also gave courage to the harijans and other weaker sections to turn out at the polling stations and exercise their vote without fear.

Project Allowance for Railway Employees at Barauni, Bagusarai, Mokameh and Hathidah

54. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fect that the Central Government has paid Project Allowance to the employees working in the P & T officers Barauni, Begusarai, Mokameh and Hathidah since 1967;

(b) wheter it is also a fact that the Railway employees working at these places have not been paid any such allowance;

(c) if so, the reasons for this discrimination;

(d) whether Purvottar Railway Mazdoor Sabha has submitted any memorandum to Government demanding the said project allowance; if so, the details thereof; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Ministry of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) (a) Yes.

(b) & (c). This allowance is not admissible to Railway employees under the extent rules applicable to them.

(d) Yes stating that an agitation will be resorted to from 25-3-1971.

(e) The situatian is under consideration.

Rehabilitation of Muslim Emyloyees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

55. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the **Minister of Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Muslim employees in the Heavy Engineering Corporatian, Ranchi who became victims of communal riots during 1967, have not been rehabilitated fully so far;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) The manner in which and the time by which Government propose to solve this problem ?

The Minister in the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The Muslim employees who were affected in the riots in August, 1967, were temporarily accommodated in two hostels of the Company. Since then, a number of them have already moved into the Company's quarters.

(b) and (c). This is a delicate social problem requiring the willing cooperation of all concerned and will take some more time. Earnest efforts in this regard are being continued.

नई दिल्ली रेल्वे सार्डिंग पर कोयले का जमा होना

56. **श्री पी० के० देव :** क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रेल्वे साइडिंग पर हाल में कोयले का भारी स्टाक जमा हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हां।

(ख) नयी दिल्ली स्टेशन की खनिज साइडिंग में कोयले की निकासी और उठाने का काम कम हुआ जिसकी वजह से साइडिंग में स्टाक जमा हो गया था। जमा स्टाक को दिल्ली प्रशासन की सहायता से हटा दिया गया है। अब स्थिति प्रायः सामान्य है।

धनबाद में रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

57. श्री पी० के० देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के निकट रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी जिससे कोयला क्षेत्रों से कोयला बाहर भेजने की सम्पूर्ण व्यवस्था ठप्प हो गई थी;

(ख) क्या उक्त हड़ताल के पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ था;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 9 फरवरी, 1971 को इस सम्बन्ध में नई दिल्ली में वक्तव्य दिया था; और

(घ) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य का आधार क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) धनबाद मण्डल के रेल कर्मचारियों के एक भाग ने 3 फरवरी से 10 फरवरी, 1971 तक हड़ताल रखी थी।

(ख) से (घ) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 9–2–71 को एक प्रेस व्यक्तव्य में यह कहा था कि इस हड़ताल के पीछे कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्वों का हाथ था, जो देश के हित को पीछे रखते हैं और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिनके विचार कुछ और ही है। यह व्यक्तव्य उन्होंने स्वयं के आकलन के आधार पर दिया था।

कोयले की कमी के कारण पश्चिम रेल्वे में कुछ यात्री रेलगाड़ियों का बन्द किया जाना

58. श्री पी० के० देव : क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की अत्यधिक कमी के कारण पश्चिम रेलवे ने हाल में कई सौ यात्री रेलगाड़ियों का चलाना बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो रेलवे में कोयले की कमी के क्या कारण थे; और

(ग) रेलवे को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल में 2-2-1971 से 11'2-1971 तक रेल कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के फलस्वरूप कोयले की सप्लाई ठप्प हो गयी, जिसके कारण कोयला बचा कर रखने के उद्देश्य से फरवरी, 1971 में पश्चिम रेलवे पर 191 कम महत्वपूर्ण यात्री और मिली-जुली गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं।

(ग) हड़ताल के दौरान बाहरी कोयला क्षेत्रों से पश्चिम रेलवे और दूसरी रेलों को इंजन के कोयले की अधिकतम सप्लाई की गयी। हड़ताल समाप्त होते ही बंगला और बिहार के कोयला क्षेत्रों से भी इंजन के कोयले का लदान फिर शुरू कर दिया गया।

Construction of Overbriege at Railway Crossing, Landhaura Railway Station

59. **Shri Mulki Raj** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several accidents have taken place while crossing the Railway line at Landhaura Railway Station, Distt, Sharanpur (U.P.);

(b) whether Government propose to construct an overbridge there in order to check such accidents ; and

(c) if so, by what time the construction work will commence?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) During the last three years there has been only one accident on 28.9.1968 when a beggar woman fell down while trying to get down unauthorisedly from a train.

(b) and (c). At present there is no proposal to provide a foot over-bridge at this station.

Import and Export Prices of Steel

60. **Shri Laxmi Narain Pandey** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether there is a vast difference between the prices of indigenous steel exported to foreign countries and the prices of steel imported from abroad despite the fact that the quality of steel is the same ; and

(b) if so, the import and export prices of steel ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) : As, by and large, the categories exported have not been imported in significant quantities, a meaningful comparison of prices is not easy to make. Prices of categories imported also include a freight element, which varies from country to country. Some average f. o. b. export realisations and corresponding approximate price levels quoted in certain foreign countries are tabulated below :

Average F O B Indian Export Prices on actual exports during April-December,1970.

		Price in Rs. per tone
1.	M. S. Pillets	522
2.	M, S. Bars and Rods	847
3.	M. S. Structurals	1014
4.	M S. Rails	664

Average foreign prices during April-December, 1970 (as reported by the Joint plant Committee)

	U.K.	U.S.A.	Japan	(In rupees Per tonne) Europen Common Market
	(Average domestic prices, ex-works)			(Average expoort prices, ex-works)
M. S. Billets	686	868	—	558
M. S. Bars & Rods	844	1,126	946	813
M. S. Structurals	874	1,147	944	1,008
M. S. Rails	858	997	—	—

Setting up of Industries in Rae-Bareli with Russian Collaboration

61. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of Industrial Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a factory is being set up in Rae-Bareli with Russian Collaboration;

(b) if so, the saliant features of the agreement concluded in this regard;

(c) whether any other factory is also proposed to be set up with Russian collabration at some other place in Uttar Pradesh; and

(d) if so, the details there of ?

The Minister of Industrial Development (Shri Moinul Haque Choudhury) : (a) & (b). A letter of intent has been granted to M/s. Insov Auto Limited, Calcutta for the establishment of a new industrial undertaking at Rae-Bareli in Uttar Pradesh for the manufacture of light commercial vehicles with a capacity of 12,000 Nos. per annum in collaboration with V/o Prommashexport, Moscow. The details of the collaboration between the two private parties are yet to be finalised,

(c) & (d). An industrial licence has been granted to M/s Harsha Tractors, New Delhi for the establishment of a new industrial undertaking at Loni in Uttar Pradesh for the manufacture of Agricultural Tactors (Model T/25) with an annual capacity of 10,000 Nos.

As regards other factories. if any, proposed to be set up in Uttar Pradesh with Russian collaboration, information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार तथा अन्य राज्यों में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

62. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छै महीनों की अवधि में विभिन्न राज्यों में तथा विशेषतर बिहार में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है, और

(ख) मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इसे रोकने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : कुछ केन्द्रों को जिनमें बिहार भी सम्मिलित है, कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की अगस्त, 1970 से जनवरी 1971 तक की खुदरा कीमतों का दिशा सूचक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 55/71]** विवरण में इस अवधि में उल्लेखनीय कीमत वृद्धि के कारण भी दिये गये हैं।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किये गये हैं :—

1. कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी वस्तुओं की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किये गये यथा आवश्यक आयात का आश्रय भी लिया जाता है।
2. खाद्यान्न का बफर स्टाक जमा करना ;
3. आम खपत की वस्तुएं जैसे ; खाद्यान्न, चीनी, दूध आदि की जनता में वितरण व्यवस्था का गठन ;
4. मूल्य नियंत्रण लगाना, जैसे वनस्पति पर सांविधिक रीति से टायर ट्यूबों, माचिस, ड्राई सेल, साबुन आदि पर औपचारिक रूप से ;
5. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विनियमनकारी नियंत्रणों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं का सही और समान वितरण ;
6. सहकारी माध्यमों जैसे ; सुपर बाजार। उपभोक्ता सहकारी स्टोरस आदि के द्वारा अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि सुनिश्चित करना ; तथा
7. अत्यधिक मांग का राजकोषीय तथा वित्तीय उपायों से नियंत्रण करना उदाहरण के लिए सट्टे के कारण मूल्य वृद्धि रोकने के लिए बैंकों से अग्रिम धन दिये जाने पर कड़ाई।

Drinking Water Facilities for Harijans in Bihar

63. **Shri Gianeshwar Prasad Yadav** ; Will the Minister of **Education and Social Welfare** (Social Welfare) be pleased to state :

(a) the number of Harijan and tribal villages in Bihar where drinking water facilities are not available:

(b) whether the people living in these villages have to fetch water from distant places; and

(c) if so, the time by which Government propose to provide drinking water facilities in these villages ?

The Minister of Education & Social Welfare (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) to (c)The information is being collected from the Government of Bihar and it will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Demands of the Engineer to Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

64. **Snri Gianeshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state the demands of the engineers of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi and the action taken by Government thereon so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : This is a matter primarily within the purview of the Board of Directors of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi The factual position, however, is that the Engineering Diploma Holders went on strike over non-acceptance of their demands by the Management of the Company but they have now unconditionally called off the strike and have agreed to accept the decision of the Board of Directors on their demand.

Casual Labourers working on North Eastern Railway not made permanent

65. **Shri Gianeshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a casual labourer on the Railways is not declared permanent despite his putting in 3-4 years service :

(b) The number of such casual labourers working on the North Eastern Railway;

(c) whether it is also a fact that thousands of casual labourers working in Katihar Bihpur section are not being made permanent; and

(d) if so, the time by which Government propose to make them permanent ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल में काजू का कारखाना बन्द होना

श्री ए. सी. जार्ज (मुकुन्दापुरम्) : श्रीमान्, मैं वैदेशिक व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"केरल में 168 काजू के कारखानों को एक साथ ही बन्द किये जाने और इसके परिणाम स्वरूप डेढ़ लाख से अधिक श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने का समाचार।"

बैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, कच्चे काजूओं का आयात 1 सितम्बर, 1970 से भारतीय काजू निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया था। काजू निगम ने **साधित करने वाले एककों** को वितरण हेतु उपयुक्त मात्राओं में कच्चे काजूओं का आयात सफलता पूर्वक किया है। साधित करने वाले अधिकांश एकक जो सितम्बर तथा अक्टूबर के महीनों में बन्द हो जाते हैं जनवरी तथा फरवरी तक खुल जाते है। मुझे पता है कि साधित करने वाली कतिपय फैक्टरियां अभी तक पुनः नहीं खुली है। इसका कारण कच्चे माल की कमी नहीं है। वास्तव में इन एककों मे से अधिकांश ने भारतीय काजू निगम द्वारा कच्चे काजू के आवंटनों को स्वीकार करने से इस आधार पर इंकार कर दिया है कि उनके पास काजू की गिरियों के प्रचुर भंडार हैं जिनके लिए उन्हें अभी विदेशी खरीदार नहीं मिल रहे।

2. सरकार को इस स्थिति पर गंभीर चिंता है और काजू की गिरी के भंडारों को निवटाने के लिए भरसक प्रयत्क किये जा रहे हैं। विदेशी व्यापार मंत्रालय ने हाल ही में उद्योग तथा व्यापार के साथ परामर्श करके इस मामले की समीक्षा की थी जिससे यह निष्कर्ष निकला कि काजू की गिरियों का भंडार जमा हो जाने का प्रमुख कारण यह है कि सोवियत संघ द्वारा माल की अपर्याप्त खरीदारी की गई है। विदेशी खरीदारों तथा हमारे व्यापार तथा उद्योग दोनों में ही ऐसा प्रचलन है कि वे 2–3 महीने की आवश्यकताओं का भंडार आगामी वर्ष के लिए रख लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आयातक आगे आयात के सौदे करने से पूर्व अपने भंडारों को निबटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः उद्योग को अब जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह अस्थायी स्वरूप की है। हम नए बाजारों का पता लगाने के लिए भी विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। एक दीर्घावधि विपणन नीति तैयार की जा रही है और काजू निर्यात संवर्धन परिषद से अपने निर्यात संवर्धन प्रयत्नों को तेज करने के लिए कहा गया है।

3. मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा कि भारतीय काजू निगम तथा निर्यात सम्वर्धन परिषद पर्याप्त रूप में काजू उद्योग तथा व्यापार को सेवाएं तथा सहायता प्रदान करे।

श्री ए० सी० जार्ज : काजू तैयार करने के उद्योग का हमारे वैदेशिक व्यापार नथा केरल की अर्थ व्यवस्था तथा रोजगार की स्थिति के संदर्भ में बड़ा महत्व है और इस पुराने उद्योग से एक लाख से अधिक दैनिक श्रमिक तथा लगभग दश हजार मासिक रूप से कार्य करने वाले श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। इनमें से अधिकांश उद्योग बन्द ही रहते हैं। मंत्री महोदय ने यह ठीक ही कहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति ही अफ्रीकी देशों से कच्चे काजूओं का आयात करते है इसीलिये उन्हें राज्य व्यापार निगम द्वारा अपना व्यापार बढ़ाये जाने पर अप्रसन्नता हुई तथा वे लोग इस निगम पर दबाव डाल रहे हैं। कई मास तक इस उद्योग के कर्मचारी बैरोजगार रहे। केरल काजू विकास निगम ने नौ कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। क्या सरकार उन उद्योगपतियों की चुनौतीं का सामना करने को तैयार है जो कि राज्य व्यापार निगम पर नाजायज प्रभाव डाल रहे है? केन्द्र सरकार केरल काजू विकास निगम को वित्तीय सहायता दें ताकि वे अधिकाधिक कारखानो को अपने नियंत्रण में ले सके तथा बैरोजगार श्रमिकों को उनकी दुर्दशा से उबार सके और उन्हें राहत दे सके।

श्री एल० एन० मिश्र : यहां किसी को धमकाने या परेशान करने का कोई प्रश्न नहीं है। विदेशी मांग में कमी होने के कारण उद्योगपतियों ने अपने एकक नहीं खोले हैं। सोवियत रूस हमारा प्रमुख क्रम कर्ता है। परन्तु इस बार हमारा निर्यात 10 हजार टन कम हुआ है। प्रयास कर रहे है कि हमारे माल का बाजार बढ़े। ज्योही हमें विदेशी खरीदार मिल जायेंगे यह उद्योग पुनः खुल जायेगा। इस उद्योग को अपने अधिकार में लेने का जहां तक प्रश्न है, यदि केरल सरकार कोई सुझाव पेश करती है तो हम सहर्ष उसे सहायता देंगे। साथ ही हम निगम तथा रिजर्व बैंक से भी उद्योगपतियो को पर्याप्त ऋण सुविधायें दिलाने का प्रयास करेंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुझा) : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय इस समस्या को एक तो उद्योगपतियों की समस्या समझते हैं तथा दूसरे इस समस्या से उत्पन्न स्थिति का भी उन्हें अनुभव नहीं हुआ। केरल में गत सात महीनों से लगभग डेढ़ लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। इस संबंध में एक विधायक ने तो भूख हड़ताल करने का भी नोटिस दिया है। वहां स्थिति विकट होती जा रही है। प्रश्न तो यह है कि इस समस्या को कैसे हल किया जावे तथा उद्योगपतियों की कठिनाइयों का भी समाधान कैसे हो।

मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि एक तो कच्चे काजू की कमी नहीं है, दूसरे प्रबधक-गण कच्चे माल को उठाते नहीं हैं तथा तीसरे कि वे लोग उस माल को बेच नहीं पा रहे हैं। अब क्योंकि माल उठाया नहीं जा रहा है, तैयार नहीं किया जा रहा है इसलिये मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है।

मुख्य समस्या अब यह है कि क्या राज्य व्यापार निगम बिकने से शेष रही गिरियों को प्राप्त कर सकता है। क्या यह निगम इस माल के लिये विदेशों में बाजार उपलब्ध करा सकता है; और इस प्रकार इन कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त करा सकता है ?

इस समस्या का हल यही है कि राज्य व्यापार निगम निर्यात व्यापार को बढ़ायें, गिरियों को खरीदे तथा फिर उन्हें बेचकर इस स्थिति की जटिलता दूर करें। यहां लाखों व्यक्तियों के निर्वाह का प्रश्न है जो कि गत छः माह से भूखों मर रहे हैं। ऐसी स्थिति को अस्थाई स्थिति कहना जुल्म है। इस संबंध में सरकार को आगे आना ही होगा।

यहां 50,000 टन काजू आ चुके है और इस मात्रा को तैयार करने के लिये तीन महीने की अवधि चाहिए। परन्तु उद्योगपति, न्यूनतम वेतन व्यवस्था से बचने के लिये, अनधिकृत क्षेत्रों में इस माल को तैयार करा रहे हैं और इस प्रकार मजदूरों को भूखों मार रहे हैं। केरल के मजदूर चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम इन काजुओं को खरीदे तथा स्वयं विभिन्न कारखानों को, उपभोक्ता एकक समझकर, इन काजुओं को तैयार करने हेतु वितरित करे।

परन्तु राज्य व्यापार निगम इसे एक सामाजिक समस्या नहीं समझता और कर्मचारियों के हितों को नहीं देखता। मंत्री महोदय यह सुनिश्चय करें कि राज्य व्यापार निगम का प्रवेश बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का तथा केरल की अर्थव्यवस्था के हितों के विरुद्ध होने का कारण न बने। यह निगम काजू खरीदे, स्वयं कारखानों को उपभोक्ता समझकर स्वयं उन्हें यह माल वितरित करें तथा फिर स्वयं ही इन गिरियों को खरीदे ताकि इस उद्योग की चुनौती का सामना हो सके तथा मजदुरों को बचाया जा सके।

श्री एल० एन० मिश्र : श्री स्टीफन की भांति मुझे भी गरीब मजदूरों से सहानुभूति है। परन्तु विदेशी मुद्रा में मांग न होने के कारण कुछ कारखाने नहीं खोले जा सके। इस संबंध में और अधिक संभावनाओं का पता लगाने के लिये मैं एक शिष्ट मंडल को भी अन्य देशों के दौरे पर भेज रहा हूं।

हम चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम इस व्यापार में आगे आये। हम तो काजू निगम तथा सट्टे निगम को भी अपने अधिकार में लेकर सारे के सारे व्यापार को सरकार के अधीन करना चाहते हैं। यह व्यापार केवल सरकारी क्षेत्र में ही हो यही हमारा मन्शा है, हमारा लक्ष्य है।

परन्तु पहले वर्ष इस संबंध में एक ठोस कठिनाई है। एक आध वर्ष के बाद काजू निगम आंतरिक तथा बाह्य दोनों व्यापारों को संभाल सकेगा। इस वर्ष के निर्यात के बारे में मैंने संबंधित लोगों तथा विदेशों से भी बातचीत की है। राज्य व्यापार निगम भी तैयार करने के व्यापार में यथा समय आ जावेगा। परन्तु हम अभी तक अपना बाजार नहीं पा सके हैं और इसीलिये हम असंतोषजनक तरीके से कार्य करके अपनी विदेशी मुद्रा को नष्ट नहीं करना चाहिते।

मै ने अपने व्यक्तव्य में भी यह आश्वासन दिया है कि सरकार मजदूरों को काम देने तथा कारखानो को चालू करने का भरसक प्रयास करेगी। पूंजी की कमी में सरकार प्रत्यक्षरुप से अथवा राज्यों सरकारों के माध्यम से आवश्यक सुविधायें भी देगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे मे प्रश्न
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE QUERY

श्री कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : तीन लाख से अधिक गन्ना उत्पादकों के लिए बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मैने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी है। आज मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है। अतः मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों ध्यानाकर्षण सूचनायें दी हैं और मैं एक दिन के लिये केवल एक सूचना का ही चयन कर सकता हूँ। यदि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आता है तो मै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दूंगा। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभापटल पर रखे.गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3767 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 नवम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य संबंधी संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं। **(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल. टी. संख्या 43/71)**

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विधान परिषद निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 223 में प्रकाशित हुआ था। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल.टी. संख्या 44/71)**

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मतदाता पंजीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 1970, में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4098 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 45/71)**

(4) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :–

(एक) निर्वाचनसंचालन (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी, 1971 में अधिसूचना सख्या एस० ओ० 353 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 46/71)**

(दो) निर्वाचन संचालन (दूसरा संशोधन) नियम 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 479 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निर्वाचन संचालन (तीसरा संशोधन) नियम 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 575 में प्रकाशित हुए थे। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 46/71)**

(5) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 क की उपधारा (5) के अन्तर्गत, अधिवक्ता के रूप में प्रवेश (प्रशिक्षण और परीक्षा) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस० ओ०

4101 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 47/71)**

(6) हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 17 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 360 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी आदेश दिया हुआ है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 48/71]**

संसद कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री हनुमन्तैया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा (अ) 82 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेल दुर्घटना (प्रतिकर) (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस० ओ.3768 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 49/71]**

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 50/71]**

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 3 (13) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूपमें कार्य करने के लिए निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, अपने में से चार सदस्य निर्वाचन करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

'कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 3(13) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, अपने में से चार सदस्य निर्वाचन करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित

STATE OF HIMACHAL PRADESH (AMENDMENT) BILL INTRODUCED

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और इलेंक्ट्रोनिक्स, अणु शक्ति और विज्ञान तथा तकनीकि विभागों के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जावे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 का संशोधन करने बाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन)

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE. STATE OF HIMACHAL PRADESH (AMENDMENT) ORDINANCE

ग्रह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और इलेक्ट्रोनिक्स, अणु शक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्म मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : जैसा कि सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) में अपेक्षित है, मैं हिमाचल प्रदेश राज्य संशोधन अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के एक व्याख्यात्मक विवरण की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तर) सभा पटल पर रखता हूँ।

आयात और निर्यात नियन्त्रण संशोधन विधेयक

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) AMENDMENT BILL

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाय।"

इस विधेयक को 25 मार्च, 1971 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। माननीय सदस्यों को ज्ञात ही होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वैदेशिक व्यापार को नियन्त्रित करने की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी 1947 में थी। देश का तीव्रता से औद्योगिकरण हो रहा है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें भी अब पहले की अपेक्षा ज्यादा हैं। अत: इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा का संग्रह करने की अत्यधिक आवश्यकता है। आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की वर्तमान अवधि 31 मार्च, 1971 को समाप्त हो रही है। अत: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस अधिनियम को स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में विचार किया जाये।"

श्री एन० श्री कान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा एक संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार विधेयक पर पहले सामान्य चर्चा होती है और खण्डवार विचार करते समय संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं।

श्री एन श्री कान्तन नायर : मेरे संशोधन पर सामान्य चर्चा के दौरान ही विचार करना होगा, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि विधेयक को स्थायी रूप देने के स्थान पर इसकी निश्चित अवधि निर्धारित की जाये। मैं विधेयक की भावना का विरोध नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि इस विधान की अवधि 28 वर्ष होनी चाहिए। आम चुनाओं में जनता ने भारी बहुमत के द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए निदेश दिया है। 28 वर्ष की अवधि में सरकार आयात तथा निर्यात सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यापार को अपने हाथ में ले सकती है और फिर इस विधान में अत्यधिक परिवर्तन करना होगा अथवा इसे समाप्त ही करना होगा।

आयात तथा निर्यात विभाग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। आयात तथा निर्यात नियन्त्रक के रूप में मन्त्रालय का एक संयुक्त सचिव कार्य कर रहा है। इस व्यक्ति के विरुद्ध गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगपतियों से साठगांठ करने की शिकायतें मिली हैं। मुख्य आयात तथा निर्यात नियन्त्रक के पद पर एक ऐसे योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो समाजवादी समाज की स्थापना में विश्वास रखता हो और मन्त्रालय में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो गैर सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के विकास में रुचि रखते हों।

कड़े दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें शक्ति से लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 8 (ख) के अन्तर्गत अधिकारी किसी भी आवेदन पत्र को बिना 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये अनिश्चित काल तक अनिर्णित रख सकते हैं। यह बहुत अनुचित है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि 2–3 महीने की अवधि निर्धारित की जाये।

अब मै काजू उद्योग की महत्वपूर्ण समस्या और काजू निगम का उल्लेख करना चाहूँगा। राज्य व्यापार निगम ने ब्यौरे जाने बिना ही इसका व्यापार शुरु कर दिया। तन्जानिया से इस निगम ने भारी मात्रा में खरीद की। इस व्यापार में खरीद और बिक्री दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह वैदेशिक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में ले लें जिससे कि उद्योगपति निर्माता ही रहे और वे लागत तथा कमीशन ही प्राप्त कर सकें। इस प्रकार केरल काजू निगम जैसे ईमानदार उद्योगपतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्योगपतियों ने काजू खरीद लिया है और अब वे उसे कुटीर उद्योग के आधार पर बेचेगें। यह अनुचित है। अनेक क्षेत्रों में बिखरे उद्योग के लिए समान न्यूनतम वेतन के बारे में विधान बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अगर उद्योगपतियों को लागत और कमीशन देकर उनसे काजू खरीद लिया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर आधारित होता है। वर्तमान मूल्य पर खरीद करने के लिए रुस पर दबाव डालना होगा और तभी अमेरिका भी आगे आयेगा।

उद्योग के विशेषज्ञ व्यक्तियों से निगम को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। निगम के अधीन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो निगम के उद्देश्य को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। अतः इस विधेयक को स्थायी रूप नहीं दिया जाना चाहिए। हम एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना चाहते हैं जिसमें आयात तथा निर्यात व्यापार पर सरकार का पूर्ण आधिपत्य हो।

श्री ज्योतिमयबसु (डायमण्ड हार्बर) : पिछले एक वर्ष से समाजवाद, अनेक कार्यों के राष्ट्रीकरण और वैदेशिक व्यापार के राष्ट्रीकरण आदि के बारे में कांग्रेस पार्टी द्वारा बहुत प्रचार किया गया है, परन्तु कोई भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। आज भी वैदेशिक व्यापार की वही प्रथा लागू है जो दो सौ वर्षों के ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के अन्तर्गत लागू की गई थी। ब्रिटिश शासको का मुख्य उद्देश्य यहां के सस्ते कच्चे माल की खरीद करना था और महंगी परिष्कृत सामग्री को हमारे ऊपर वे थोप देते थे। यह तथा कथित समाजवादी सरकार कच्चे माल को 'परम्परागत सामग्री' कहती है। विदेशी हमारे परिष्कृत और निर्मित सामग्री की खरीद में रुचि नहीं रखते, वे तो सस्ते मूल्य पर कच्चा माल खरीदना चाहते हैं। कमाये हुए चमड़े, हस्तशिल्प की वस्तुओं,हस्तनिर्मित गलीचों,कीमती पत्थरो आदि के निर्यात में गिरावट आई है, मगर फिर भी दावा यह किया जाता है कि कुछ निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है।

बिना पालिश की हुई और बिना ब्राण्ड की सिलाई मशीनें 5 पौंड की कीमत पर ब्रिटेन को निर्यात की जाती हैं और वे ही सिलाई की मशीनें पालिश आदि के पश्चात 25 पौंड की बेची जाती हैं। वे फर्में अपना नाम मशीनों पर छापती हैं और भारत का कहीं कोई भी उल्लेख नहीं होता। 1970–71 वर्ष के प्रथम आठ माह के दौरान सरकारी आंकड़ों के अनुसार निर्यात एक प्रतिशत कम रहा है। 1970 के अन्तिम आंकड़ों और अप्रैल-नवम्बर 1970 के दौरान पुनर्निर्यात के आंकड़ों को मिला लेने पर कुल राशि 931.8 करोड़ रुपया होती है, जो वर्ष 1969–70 के पहले आठ महीनों के दौरान कुल आंकड़ों से केवल 8.2 करोड़ ही ज्यादा है। अप्रैल से अक्टूबर 1970 तक की अवधि के लिए आयात की राशि पिछले वर्ष

की समवर्ती अवधि से 6.9 करोड़ ज्यादा है। यह सरकार देश को विनाश की ओर अग्रसर कर रही है।

निर्मित माल की दृष्टि से भी वैदेशिक व्यापार में भारी ह्रास हुआ है। अप्रैल-अगस्त 1961 में 94.9 करोड़ रुपये मूल्य के 3.53 लाख टन से घटकर चालू अवधि में 51.9 करोड़ रुपये मूल्य के 1.6 लाख टन ही रह गया। मात्रा की दृष्टि से 37 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 45 प्रतिशत का ह्रास हुआ है।

इस आशय के समझौते के बावजूद कि चाय के विश्व मूल्य को स्थिर किया जाय, सभीआधीन अवधि के दौरान भारत द्वारा चाय का निर्यात केवल 34.34 करोड़ रुपये की राशि तक ही सीमित रहा। अप्रैल अगस्त, 1969 की इसी अवधि के निर्यात की अपेक्षा इसमें 13.4 करोड़ रुपये का ह्रास हुआ है। अपनी गलत आर्थिक नीतियों के कारण इस सरकार ने सारे देश को विदेशी पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा के 45 प्रतिशत अंश को ब्याज और सेवा शुल्क के रुप में अदा करना पड़ रहा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष मैकनमारा के अनुसार एक दिन ऐसा आयेगा, जब 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा को केवल ब्याज और सेवा शुल्क के रुप में अदा करना पड़ेगा।

राज्य व्यापार निगम का कुल वैदेशिक व्यापार में 4 प्रतिशत का ही अंश नहीं है। राज्य व्यापार निगम दवाओं व रसायनों का विदेशों से आयात कर रहा है और अत्यधिक मूल्य पर उन्हे बेचा जा रहा है। इसके लिए सारे विश्व के देशों से टेण्डर नही मांगे गये। इस समाज वादी कांग्रेस का राष्ट्रीयकृत संस्थान–राज्य व्यापार निगम विदेशी एकाधिकार वाले पूंजीपतियों का हित साधन कर रहा है। जिन औषधियों की कीमत अमेरिका में 700 रुपये किलो है, उन्हें 11000 रुपये किलो के भाव पर आयात किया जा रहा है।

चाय के पैकेजिंग कारपोरेशन के बारे में उप-समिति नियुक्त की गई। वैदेशिक व्यापार मंत्री ने आश्वासन दिया था कि दो महीने के अन्दर निगम की स्थापना की जायगी, परन्तु छः महीने हो चुके हैं, परन्तु निगम बनाने की दिशा में कोई भी कार्य नहीं हुआ।

पत्ती तम्बाकू विकास निगम 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फ्लू-क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू किसान से खरीदता है और 120 रुपये प्रति किलो के भाव से इस देश मे बेचता है और इसी भाव पर उसका निर्यात करता है।

लौह अयस्क के निर्यात के लिए श्री बलिराम भगत ने समझौता किया था। हम अपने देश की बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा का अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं। लौह अयस्क के निर्यात में हमें 15 रुपये प्रति टन के हिसाब से घाटा हो रहा है।

हमारी सरकार ने अमरीका की डेढम प्रयोगशाला को अनुसंधान हेतु 33 लाख रुपये दिये थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जूट से मानवीय उपयोग के लिए वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है ; परन्तु उस प्रक्रिया पर अमल नहीं किया गया।

जहां तक काजू उद्योग का सम्बन्ध है, हम कच्चे माल के आयात पर पूर्ण रुप से निर्भर हैं। सरकार काजू की खेती करने के लिए राज सहायता क्यों नही देती ?

हम 90 करोड़ रुपये मूल्य की रूई का आयात कर रहे हैं। बीस वर्ष पहले जिस कमीज की कीमत केवल 5 रुपये होती थी आज उसकी कीमत 20 रुपये है और निकट भविष्य में उसका मूल्य 45 रुपये हो जाएगा। कपास की खेती की वृद्धि के लिए सरकार को राज सहायता देनी चाहिए ; परन्तु इस सरकार के अमरीकी मालिक उन्हें ऐसा नहीं करने देते।

नारियल जटा उद्योग में मुट्ठीभर एकाधिकार प्राप्त ऐसे पूंजीपतियों को लाइसेन्स दिये गये हैं जो कारखानों का ठीक से संचालन भी नहीं करते। अपेक्षित मात्रा में अनुसन्धान भी नहीं किया जा रहा। विदेशी एकाधिकार सम्पन्न व्यक्ति हमसे कच्चा माल चाहते हैं और इस प्रकार हमारा शोषण करते रहना चाहते हैं। इस उद्योग में 1,25,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

जहां तक अधि-बीजकांकन और न्यून-बीजकांकन का सम्बन्ध है, प्रशासन सुधार आयोग ने भी स्वीकार किया है इसमें काफी कदाचार करने की गुंजायश है। इस प्रकार के कदाचार से 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का प्रति वर्ष घाटा हो रहा है। बर्ड एण्ड कम्पनी ने इस प्रकार के कदाचार द्वारा 80 करोड़ रुपये कमाये हैं।

लोक लेखा समिति के 56 वें प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कच्ची खाल और चमड़े के आयात में 1,03,500 रुपये के मूल्य के सामान को 1,54,32,438 रुपये मूल्य का दिखाया गया। 31 अगस्त, 1963 तक चालू निर्यात प्रोत्साहन योजना की कुछ खामियों और प्रक्रिया सम्बन्धी दोषों की वजह से ये घोटाले हुए। लाइसेंस देने की स्थिति में अधि-बीजकांकन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते समय भी कोई जांच नहीं की गई।

अब मैं वैदेशिक व्यापार मंत्री से अपने कुछ प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। क्या वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जायगा, यदि हां तो कब तक ? पश्चिम बंगाल के लिए जूट जांच आयोग के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ? पैकेजिंग कारपोरेशन की स्थापना कब तक की जायगी ? काजू, रेशम और कपास की खेती के लिए क्या सरकार सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : एक पंक्ति के संशोधन के लिए मासरम करते समय सभी विषयों को समेट लिया गया है। संशोधन के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Speaker, Sir, the Amendment Bill brought here has created a sense of disappointment in the members. It was expected that a Bill would be brought before the House providing for the nationalisation of the entire foreign. Before general election, an ansurance was given by the willing party to this effect. But now Government perhaps think it better to please the big business houses.

The problem of under-invoicing or over-invoicing has been there for several years but the Government has not been able to solve it by now. It should also be

understood that through the proposed means this serious problem can never be solved in future. The proper solution of this problem is nationalisation of entire foreign trade. This is the only measure through which smuggling of foreign exchange can be curbed.

Now I would like to point out certain basic problems being faced by the country. In view of the fact that the goods produced indigenously can not compete with the imported ones in the market, it is highly obligatory on the part of the Government that import of such goods be stopped out right.

For example, pharmaceutical units in Rishi Kesh and Hyderabad have been facing difficulties in this connection.

Mention has also been made here about the shortage of steel in the country. It is a matter of great concern that the best quality of iron-ore is being exported to foreign countries. I am not against earning foreign exchange through this item, but the point is that we should export steel and not iron ore to foreign countries. I request the hon. Minister to seriously consider this matter otherwise Government will be deprived of power in future.

It should also be pointed out as to why certain goods which can be imported from rupee-countries are being imported from hard currency areas, thus creating foreign exchange crisis in the country. I suggest that this practice be discontinued immediately.

The officers of the state trading corporation are the pawm in the hands of the monopolists, as a result of which success has not been achieved by the state trading corporation in the field of foreign trade. All of us including the hon. Minister are aware of the fact that the problem of over-invoicing or under invoicing has not been solved as yet. I demand therefore, that the foreign trade be fully nationalised.

I want to know whether Government intend to nationalise foreign trade fully in the next budget session, if not, at present ? We want an assurance from the Government in this connection.

According to a letter received from Shri Maruganantam State Trading Corporation is taking over the trade of onion that is exported to Cylone from Madras. In principle I am not opposed to it. But the question is that the Government are ignoring vital and important commodities while they are taking so much interest in taking over the trade of little importance such as that of onion If they intend to nationalise the entire foreign trade I will certainly support them but it they adopt a partial attitude, I will oppose that vehemently.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : विचाराधीन विधेयक के संदर्भ में सभा का ध्यान बेरोजगारी, मुद्रास्पति आदि की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। आयात व्यापार नियंत्रण का उद्देश्य केवल राष्ट्रीयकरण ही नहीं होना चाहिये। कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होता है तथा इसी भांति अन्य वस्तुएं भी वहीं से प्राप्त होती हैं। अनुभव से यह ज्ञात होता है कि अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये ही वस्तुओं का आयात किया जाता है। यह कम्पनियां केवल आयातित कल-पुर्जों को जोड़कर नये उत्पाद तैयार करती है जिसका परिणाम यह होता है कि देश में उत्पादन तथा रोजगार सीमित रह जाता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्यान्ह भोजन के उपरांत अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock)

(मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past Fourteen of the clock)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir Ganesh Flour Mill has declared lock-out which has affected over fifty thousand families I request the Government to get the lock -out lifted soon.

श्री डी० डी० देसाई : महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत सी ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाता है जिनका उत्पादन देश में होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है कि किस समय तक ये उपक्रम आत्म-निर्भर हो जायेंगे। अतः इस नियंत्रण को लागू करने से पहले सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में कुछ सजगता बरतनी चाहिये।

राज्य व्यापार निगम आदि सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के बारे में भी विचार प्रकट किये गये हैं। इन संस्थाओं के द्वारा अधिक लाभ कमाने के कारण अन्त्य उत्पादन की किस्म पर प्रभाव पड़ता है तथा उसके मूल्य भी अधिक होते हैं।

देश के सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उनके आयात बन्द कर देना चाहिये। इसके लिये भारतीय मानक संस्थान या उसी प्रकार के स्वतंत्र संस्थानों को यह अनुमति दी जानी चाहिये कि वे उचित किस्म की देश में उपलब्धि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दें।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को आयात के लिये लाइसेंस देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनसे इस आशय के बाँड भरवाये जायें कि आयातित उत्पाद से उत्पादन में रोजगार और प्रति व्यक्ति आय की दर में वृद्धि होगी।

मेरे विचार से आयात नियंत्रण देश के हित में है तथा उसकी व्यवहार्यता पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Sir, I rise to support this Bill. No body can deny that the circumstances and the conditions pertaining especially to the trade in 1947, when this Act was passed have changed now completely. In the present situation, therefore, it is essential to amend this Act and for that purpose Government should bring a comprhensive Bill in the House very soon. I demand that the entire foreign trade be taken over by the Government. We have received so many complaints against the persons

whom import or export licences have been given. This is a system which leads to monopoly and corruption in the trade. Several industrialists and traders are taking undue advantage of this system. Therefore, it is highly essential for the Government to take over the entire imports and exports trade.

Shri R. R. Sharma (Bandar) : In 1957, Mathur Committee was appointed to look into the imports and exports acts and that Committee submitted its recommendation after carefully studying the Acts. I am sorry to say that no Bill has been introduced on the basis of those recommendations. The existing Act has failed to stop corruption and smuggling.

We have failed to achieve export targets fixed at the begining of this plan. The Government is now talking of establishing a Trade Development Authority on the lines of the export agencies of Japan and some other countries. They hope that in this way they will be able to achieve the export targets. In this connection, I would like to say that the Government have not tried to find out as to why we have failed to achieve our targets. The Government have not taken any new steps for the promotion of our exports. No new goods have been enlisted for export purposes. The Government have also not made available sufficient funds for the exportable goods. We should have sent our men to foreign markets for study so that we would have been able to increase our exports. But nothing of this sort has been done. On the other hand, export of traditional items such as Tea, Jute textiles etc is also on the decline. May I know whether the Government have ever taken any steps to look into the causes of this decline ?.

The export of carpets is also decreasing day by day. Iranians are purchasing carpets from us and re-exporting them with their own markings to European countries. The Government have not provided any facilities to our own Carpet manufacturers where by they could have exported their products directly to European countries.

The small entrepreneurs are facing acute difficulties as the Bank are not granting loans for sufficient time. As a result, these persons have to depend on the money landers and they have to pay high rates of interest.

Similar in the case of shoe Industry in Agra and Kanpur small entrepreneurs manufacture shoes and these shoes are exported to other countries through the state trading corporation. But in between these two, some three or four agencies have developed which take away all the profit which should go to the original manufacturers.

The freight is also increasing. I want to know the steps taken by the Government to reduce the same. Due to the increase in freight rates and the cost of storing, cost of manufacturing has gone up. As a result, we have failed to compete with foreigners. Storing facilities are not available in Bombay. Wagons are not available for transporiting goods from one place to another. If Government really interested in promoting our exports, we should give export incentines to Traders at a time when they deposit their documents in the Bank. The small producers are getting incentines of two to five thousands of rupee. I would like to say that this amount is so meagre that this is spent while reaching Bombay from the place of manufacture.

Much time is taken in issuing licences. Corruption in sampant; Irregulaties are committed so often. I would therefore, suggest that work relating to import and export should be entrusted to an independent corporation so that there may not be any mis use of the authority of issuing licences. I would like to know from the hon. Minister the number of import and export licences issued during this mid term elections to various parties along with their names and the value of the licences which they have been given.

Is it a fact that a licence has been issued to Sheikh Abdulla to enable him to bring a press from foreign country where by he may be able to indluge in anti-Indian propaganda.

श्रीमती तनकप्पन भार्गवी (अट्टूर) : केरल में लगभग 168 काजू के गैर-सरकारी कारखाने बन्द पड़े हैं। इसके परिणामस्वरूप एक लाख से अधिक कर्मचारी बैकार हो गये हैं। वह अपनी जीवन याचिका कमा नहीं पा रहे हैं। बिना वेतन के वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। केरल की आज यह ज्वलन्त समस्या है।

केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता देनी चाहिये जिससे राज्य विकास निगम ये कारखाने स्वयं चला सके।

श्री सी० ई० भट्टाचार्य (गिरिडीह) : पिछले अवमूल्यन के कारण अभ्रक उद्योग को बहुत क्षति हुई है। बिहार में अभ्रक उद्योग बहुत बड़े पैमाने का उद्योग है और इसमें बहुत अधिक संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। इससे इस उद्योग में लगे लगभग 1 लाख व्यक्तियों के रोजगार पर प्रभाव पड़ता है।

सरकार ने पटसन उद्योग से, जो एक नियोजित उद्योग है, निर्यात शुल्क हटा लिया है लेकिन अभ्रक उद्योग के बारे में भेदभाव बरता गया है। अभ्रक उद्योग को यह लाभ नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप बड़े-बड़े अभ्रक निर्यात कर्त्ता नेपाल के माध्यम से बड़ी मात्रा में अभ्रक का तस्कर व्यापार कर रहे हैं। सरकार इस तरह की तस्करी को न रोककर विदेशी मुद्रा की हानि उठा रही है।

अभ्रक उद्योग की प्रतिस्पर्धा शक्ति को बहुत कम आंका जा रहा है। यह एक श्रम प्रधान उद्योग है। यदि इस सम्बन्ध में हम आवश्यक कार्यवाही नहीं करते तो भय है कि इस उद्योग का शीघ्र ही शोचनीय स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस उद्योग की जटिल समस्याओं पर पर्याप्त विचार न किये जाने के कारण इस उद्योग का एकाधिकार, जो कई दशाब्दियों से हमारे पास था, हमारे हाथों से धीरे-धीरे निकलता जा रहा है।

****श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : देश की अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह आश्चर्य की बात है कि देश का आयात और निर्यात व्यापार, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है, कुछ ही हाथों में हैं। सरकार इसको अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेती ?

इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं कि मंत्रियों के अपने आदमियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं। क्या हम वास्तव में इस बात पर विश्वास करते हैं कि सरकार देश में विद्यमान व्यापक आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने में सफल हो सकेगी और कुछ व्यक्तियों के हाथों में आयात

**तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

**Summarised Translated version baseo in English Translation of the speech delivered in Tamil.

और निर्यात व्यापार जारी रखने पर समाजवाद ला सकेगी ? यदि वास्तव में हम अपने देश में समतावादी समाजवाद लाने के इच्छुक हैं तो सबसे पहला कदम हमें यह उठाना चाहिये कि आयात और निर्यात के लिये लाइसेंस जारी करने की प्रणाली समाप्त कर दी जाय और आयात और निर्यात व्यापार को सरकारी क्षेत्र में लाया जाय, आयात और निर्यात व्यापार से होने वाले लाभ को जनता को दिया जाना चाहिये तभी जनता सत्तारूढ़ दल के कार्यों में विश्वास रख सकेगी।

चाय, तम्बाकू तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं के निर्यात में काफी बड़े पैमाने पर कदाचार हो रहा है। यह व्यापार कुछ समृद्ध व्यापारियों के हाथ में है। अपने लिये काफी मात्रा में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वे इन वस्तुओं के उत्पादकों को काभी कम लाभ देते हैं। समाज के निम्नतम आय वर्ग के लोग केवल तभी अपने उत्पादन से लाभ प्राप्त कर सकेंगे जब सरकार आयात और निर्यात व्यापार अपने अधिकार में ले लेगी। लाइसेंस देने के मामले में बिचौलियों को खत्म किया जाना चाहिये।

वर्तमान अधिनियम के सभी दोषों और त्रुटियों के होते हुए भी इसकी अवधि को बढ़ाने के लिये सभी की सहमति प्राप्त करने की बजाय सरकार को उक्त अधिनियम को रद्द कर देना चाहिये और आयात और निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। यदि चुनाव में दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं किया जायेगा तो लोगों का लोकतन्त्र से विश्वास उठ जायेगा।

Shri Laxminarain Pandey (Mandsaur) : Our import and export policy requies a number of changes. Our exports are for less as compared to other countries. it is because of the fact that we have not been following correct procedure in this respect.

We can earn a great deal of foreign exchange by exporting. Tea, Coffee, Cashew nuts, Opium and tobacco, which are produced in large quantities in our country. There is certainly some defect in our import and export procedure and the procedure followed for issued licences. Government should lake steps to remove those elefects. Government should also see whether the licences issued to the people have been properly utilised or not. It has been stated several times that the licences have been misused.

I am of the view that if greater attention is paid towards the export of tabacco. Government can earn more foreign exchange. In the same way Cocain industry should also be given proper protection.

श्री एल० एन० मिश्र : यह विधेयक सर्वप्रथम 1947 में पारित किया गया था और उसके बाद इसे पांच-पांच वर्ष के लिये बढ़ाया गया है। अब इसे स्थाई कानून बनाया जा रहा है।

सदन् में बहुत शीघ्र ही इस बारे में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें आयात और निर्यात के विषय में विस्तृत रूप से व्यवस्था होगी। अनेक सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र में आयात और निर्यात के क्षेत्र को बढ़ाने की मांग की है। कुछ समय पश्चात् आयात व्यापार भी सरकार अपने अधिकार में ले लेगी। आगामी वित्तीय वर्ष में 70 प्रतिशत आयात व्यापार सरकारी क्षेत्र में होगा और कुछ समय पश्चात् 30 प्रतिशत आयात व्यापार भी सरकार अपने अधिकार में ले लेगी। निर्यात व्यापार को भी बढ़ाया जायेगा। निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में गैर सरकारी उद्योगों को भी बहुत बड़ा काम करना है।

यह आदेश जारी किये गये हैं कि लाइसेंसों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जाये जिस प्रयोजन के लिये वे जारी किये जाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा अनिश्चित काल तक करने के लिये नहीं कहा जा सकता।

केरल में काजू निगम की हाल ही में स्थापना की गई है। काजू के निर्यात में कठिनाइयां हैं। रूस की काजू की मांग कम होने के कारण वर्तमान कठिनाई उत्पन्न हुई है। मांग में 10,000 मीटरी टन की कमी होने के कारण बहुत से कारखाने बन्द हो गये हैं। हम कारखानों को उधार देने की सुविधा देने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कर्मचारी काम में लग जायें। सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यालय के संयुक्त प्रभार को मंत्रालय के संयुक्त सचिव को सौंप देने के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था। इस समय मंत्रालय के एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यालय का अतिरिक्त भार उठाये हुए हैं। संयुक्त सचिव बहुत परिश्रमी हैं और वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। लेकिन यह केवल अस्थाई प्रबन्ध है। इस काम के लिये हम पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह विधेयक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की सब आवश्यकताएं पूरी नहीं करता। निर्यात-आयात व्यापार के सम्बन्ध में हमारी ठोस योजना है। अन्त में इसे सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायगा। ब्रिटेन को भेजी जाने वाली सिलाई की मशीनों के मामले की मैं जांच करूंगा।

तम्बाकू के बारे में यदि आवश्यक हुआ तो एक निगम की स्थापना की जायेगी। इस समय हम इस बारे में जांच कर रहे हैं। जहां तक इसका निर्यात करने का मामला है यह बात मैं अभी गैर-सरकारी क्षेत्र पर छोड़ता हूँ क्योंकि उन्होंने इस बारे में मंडी का पता लगाया है और इस व्यापार का उन्हें अनुभव भी है। पटसन के निर्यात के सम्बन्ध में हमें कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है हमारे माल की किस्म पाकिस्तान के माल की तुलना में कुछ घटिया है। पाकिस्तान में आधुनिकतम पटसन मिलें हैं। हमें अपनी मिलों को आधुनिक बनाना है। इस सम्बन्ध में कलकत्ते में अनुसंधान किया जा रहा है।

इस वर्ष हमारी कपास की फसल अच्छी नहीं हुई है और कपास का मूल्य बढ़ रहा है। इस समस्या का हल आयात द्वारा नहीं किया जा सकता। कपास की खेती करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा अच्छे किस्म के बीज और सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं देकर इस समस्या को काफी सीमा तक हल किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सिफारिशें देने के लिये हमने एक समिति का गठन किया है। हमारे देश में कपास का उत्पादन पाकिस्तान और संयुक्त अरब गणराज्य की तुलना में लगभग आधा है।

निर्यात व्यापार को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का भी उल्लेख किया गया है। मैं इस बारे में सरकार की नीति से सदन् को पहले ही अवगत करा चुका हूँ। श्री भोगेन्द्र झा ने कहा कि हम ऐसे कच्चे माल का भी आयात करते हैं जो अपने देश में ही उपलब्ध है। उनका विचार ठीक है परन्तु प्रश्न यह है कि जब कोई कच्चा माल देश में काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उसका आयात करना आवश्यक हो जाता है। इस सम्बन्ध में कोई लाइसेंस जारी करने से पूर्व डी० जी० टी० डी० नामक संगठन इस प्रकार के मामलों की जांच करता है। माननीय सदस्य ने कहा था कि आयात

के मामले में ऐसे देशों को तरजीह दी जानी चाहिये जहां रुपये में भुगतान किया जा सके, हम इस बात का ध्यान पहले ही रख रहे हैं। जब कभी कच्चा माल सुलभ मुद्रा वाले देशों में उपलब्ध होता है, हम उसे दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से आयात नहीं करते। सरकार की यह एक निर्धारित नीति है क्योंकि दुर्लभ मुद्रा की व्यवस्था करना सरल बात नहीं है। हम श्रीलंका को प्याज का निर्यात करते हैं। इसके निर्यातकों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हमारे उच्चायुक्त का विचार था कि सरकारी क्षेत्र को यह कार्य करना चाहिये जिससे श्रीलंका की जनता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसीलिये इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई है। मैं इस मामले पर फिर विचार करूंगा। श्री शिवनाथ सिंह ने कहा कि आयात और निर्यात के समस्त व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। श्री रामरतन शर्मा का कहना है कि निर्यात में चार प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा। यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है। फिर भी यह ठीक है कि हमारे निर्यात की स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है। गत 6 महीनों में हमारे निर्यात की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। गत दिसम्बर में सब से अधिक अर्थात् 151.27 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। अप्रैल-सितम्बर की अवधि में निर्यात में 3.2 प्रतिशत की कमी हुई थी। परन्तु दिसम्बर में स्थिति सुधर जाने से अप्रैल–दिसम्बर की अवधि में निर्यात में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। मुझे आशा है कि जनवरी–मार्च में स्थिति में और भी सुधार होगा। इसलिये मेरा विचार है कि हम 7 प्रतिशत के अपने योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

गत 6 महीनों में वैदेशिक व्यापार के क्षेत्र में कुछ नये सरकारी निगमों और संगठनों द्वारा अपना कार्य आरम्भ किया गया है। सर्वप्रथम भारतीय रूई निगम प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये के आयात का काम सम्भालने के लिये स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय काजू निगम है तो प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये के कच्चे काजू का आयात करेगा। फिर भारतीय पटसन निगम है जो पटसन के मूल्यों को स्थिर करेगा और इस व्यापार में गैर-सरकारी क्षेत्र के कदाचारों को रोकेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना तथा उपकरण निगम है जो भारत से आधुनिक उपकरणों के निर्यात के सम्बन्ध में विशेष अध्ययन करेगा। एक व्यापार विकास प्राधिकरण भी है जो लघु तथा मध्यम क्षेत्र के निर्यात के लिये माल तैयार करने वाले कारखानों को सहायता देने के लिये स्थापित किया गया है। राज्य व्यापार निगम के औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र ने भी अच्छी प्रगति की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने पेकेज टी कारपोरेशन के बारे में कुछ बातें कही हैं। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समिति में जो सिफारिशें की थी उनके सम्बन्ध में सभी कागजात तैयार हैं और वे मंत्रिमंडल के सम्मुख रखे जायेंगे। यह संगठन शीघ्र स्थापित हो जायेगा।

दो वर्ष पूर्व जब पश्चिम बंगाल में साम्यवादी दल (मार्कसवादी) की सरकार थी तब पटसन जांच समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है परन्तु अभी वह हमारे पास नहीं पहुँचा है। यदि इस प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई तो वह अवश्य की जायेगी।

यह आरोप लगाया गया है कि लोक सभा के विघटन के बाद के दो महीनों में बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी किये गये। इस वर्ष जनवरी–फरवरी में लगभग 289 करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी किये गये थे जबकि वर्ष 1970 में इसी अवधि में 200 करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये गये थे। इस प्रकार उपर्युक्त अवधि में केवल 89 करोड़ रुपये के मूल्य के अधिक लाइसेंस दिये गये। इस वृद्धि में से 57 करोड़ रुपये तो केवल राज्य व्यापार एजेंसियों को दिये गये हैं जबकि सरकार क्षेत्र की एजेंसियों को 18 करोड़ रुपये मिले हैं। इस प्रकार 75 करोड़ रुपये तो सरकारी क्षेत्र के लिये नियत किये गये हैं। इसी अवधि में लघु उद्योगों को 4 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाइसेंस दिये गये हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र को केवल 10 करोड़ रुपये के अधिक लाइसेंस मिले हैं न कि 300 या 400 करोड़ रुपये के जैसाकि आरोप लगाया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या वैदेशिक व्यापार के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना है और यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक की जायगी ?

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : The hon'ble Minister has not said anything about opiun and fall in the exports of carpets.

Shri Sarjoo Pandey (Ghajipur) : Opimum is produced in Madya Pradesh and Uttar Pradesh on a large scale. May I know the steps taken to encourage the formers to produce more opium and to remove their grievences.

Shri L. N. Mishra : I do not have any information in regards to opium at present. I shall look into this matter.

वैदेशिक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, आगामी वित्तीय वर्ष तक इसका 70 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र में होगा और अन्त में सरकार समस्त आयात व्यापार को अपने हाथ में ले लेगी। हम चाहते हैं कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों निर्यात व्यापार के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करते रहें जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयात और निर्यात (नियत्रण) अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय को पटसन जांच आयोग के बारे में कुछ बताना होगा। हमें पता है कि उन्होंने पटसन के बड़े बड़े व्यापारियों से गत चुनाव में 50 करोड़ रुपये लिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 2 was added to the Bill.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे । मेरे चार प्रश्नों में से उन्होंने केवल एक का उत्तर दिया है । क्या अध्यक्ष महोदय का कर्तव्य माननीय सदस्यों को संरक्षण देना है अथवा मंत्री महोदय की सहायता करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी मत्री महोदय को उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अब हम खण्ड 3 पर विचार करेंगे ।

खण्ड 3

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिय रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 3 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम बिधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill,

श्री ललित नारायण मिश्र : मुझे पता चला है कि पटसन जांच आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जब यह प्रतिवेदन हमारे पास आयेगा तब हम उस पर विचार करेंगे। जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है जो श्रमिकों या पटसन उत्पादकों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभ्रक की तस्करी के बारे में हम नेपाल सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

श्री ज्योतिर्मय बसु : पटसन जांच आयोग उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के विचार से नियुक्त किया गया था। सरकार निहित स्वार्थों को संरक्षण देने के विचार से इस प्रकार की कहानियां कर रही है। सरकार वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में काफी कुछ कहती रही है परन्तु अब पता चला है कि आयात का 70 प्रतिशत व्यापार सरकार करेगी और शेष 30 प्रतिशत व्यापार गैर-सरकारी क्षेत्र में रहेगा। समस्त निर्यात व्यापार गैर-सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में है।

मैं ने रूई की खेती के विस्तार के लिये राजसहायता के बारे में कई बार पूछा था क्योंकि प्रतिवर्ष 90 करोड़ रुपये के मूल्य की रूई का आयात किया जाता है। मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : The silk cloth made in Madhya Pradesh and other parts of the country is quite costly and earns a lot of foreign exchange but the people who make it get very little comparatively. The hon. Minister did not tell what steps have been taken for giving just remuneration to the workers. The export of carpets has declined from Rs. 12 crores to Rs. 8 crores. I would like to know the reason for this decline.

A large number of poor people grow opium but they do not get the proper price. The Government should take steps so that the growers could get proper prices of their products.

Shri L. N. Mishra : We will discuss with Silk Board the question of giving fair price to the silk cloth workers. So far as the question of carpets is concerned, we had assured in Rajya Sabha that we would take steps in that direction and try to increase the export of carpets.

The question of Tea Packaging corporation was raised. Every thing is ready in this respect. Regarding Jute we have not so far received the report. Jute corporation has helped a lot to the jute growers and labourers.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS.

Shri B. R. Bhagat (Shahabad) : This Presidential Address has come at a historic time. The poor people have given a great strength to the democratic process.

{ **श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

Shrimati Indira Gandhi understood the voice of the people and the people have extended her full support. Now a new eara has commenced and this is an era of political strength and political stability. Democracy needs a strong leadership and this leadership has been provided by Shrimati Indira Gandhi.

The country to-day faces many questions and we welcome this new strength of democracy in order to solve these questions.

President's address was brief. It mentions people's demands and our duties. A direction has been given in it for the steps we have to take. If we have to make democracy strongt, vital, active and capable, we will have to pay heed to various problems facing the country. In order to remove poverty, we will have to make effective changes in our plicies and programmes, in the absence of which we wan't be able to solve our problems. It gave me a jolt when I heard that only fifty crores of rupees have been provided for Rural works programme. This is quite an insignificant amount. Still I appreciate the fact that a fresh assessment is going to be made in respect of fourth five year plan. We will be facing many big questions while making a fresh assessment e g. the problem of unemployment A huge amount will be required for its solutions. As the problem is big we will have to add new dimenssions to our programme. A funda mental change will have to be made in order to remove countrywide proverty and unemployment. We will have to increase the tempo of growth and make administrative machinery more efficient.

We can increase the tampo of growth. It is possible to do so keeping in view the strength of our economy. In the field of agriculture, we see that the growth rate is 5% and it has been possible to bring about this growth rate at the places where the irrigation facilities are available. We are lagging behind in land reforms in spite of numerous committees having been set up for this purpose. We should arrange for joint forming for small and landless farmers.

I want to say that agricultural production can be speeded up if we hasten up our programme of land reforms. We will have to face a rural revolution if we do not implement landreforms within a period of six months.

Now, I come to non-agriculture sector.

At Present, the growth rate is 6%. Our rate of growth in industrial sphere should be atleast 10%. We are not deriving full benefit from our investment in private and public

sector. There is an overall increase in prices in industrial sector and its reason lies in the fact that there is a shortage of steel and we must speed up the progress in this respect. Prices are rising in spite of the fact that agricultural production has been equal to 105 million tons. There is only one way left. We will have to look to new avenues and increase our industrial growth rate to 10% If we do this, we will be able to fulfil our promises. For achieving this end, we will have to make our administration more efficient.

Second Problem is that of unemployment. I think our economic machinery is powerful enough with which we can prepare Rs. 10 crore plan for putting our end to unemployment. New roads should be constructed in backward and tribal areas. It will increase productive capability and give full return. Similarly, we can make plans about minor irrigation and other things. Planning commission can be of great use in this respect.

The natural question which arises is about raising an amount of one thousand crores of rupees in two years period. We will have to increase bank-rate for this purpose. Thus a big amount will be raised and it can be used for removing unemployment.

Besides, import duty differs on various articles. A uniform rate of 50% import duty should be levied on all articles of import. It can also provide us with a big amount which can be used for solving unemployment problem. Next, we should make our projects more labour oriented. All these measures will give us enough money to launch Rs. one thousand crore plan with within two years.

We have promised to bring about socialism. For this purpose growth rate will have to be increased and unemployed people will have to be given work; economic disparaties will have to be removed. But this sounds impossible unless we make fundamental changes in resources of production. We should keep this in mind that next budget should reflect socialism.

Unflinching support of the people has thrown a great responsibility on this Government because whatever the people had with them, they have given it to the ruling party without any reservations. In these Circumstances, it is over duty to fulfil the promises.

It is not possible to remove poverty in a day or in a year, but the path to be followed should be right one. We should carry people with us in our efforts to fulfil our promises and convince them that they have got right type of leadership.

We will have to raise the morale of the people. It is only possible if a clear and strong programme is put before them. No time is left for making any pretence. I am sure Shrimati Indira Gandhi shall succeed in her effort and future of democracy is bright in this country.

श्री ए० सी जार्ज (मुकुन्दपुरम) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ ।

निर्वाचन के परिणामों से प्रतीत होता है कि यह नई पीढ़ी द्वारा स्वतंत्रता की नई घोषणा है । पुरानी पीढ़ी ने विदेशी दमनकर्ताओं के प्रति विद्रोह किया था और नई पीढ़ी ने आन्तरिक दमनकर्ताओं के प्रति विद्रोह किया है ।

15 अगस्त 1947 तथा उसके पश्चात जन्म लेने वालों, जो चौथे सामान्य निर्वाचन में भाग नहीं ले सके थे, उनकी आयु के 21 वर्ष 15 अगस्त 1968 को पूरे हुये हैं । अत; यह प्रथम निर्वाचन है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जन्म लेने वालों ने भाग लिया है ।

इस निर्वाचन में नई कांग्रेस को भारी सफलता के बारे में कुछ लोग जादुई स्याही की बात कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा षड़यन्त्र है। परन्तु मेरे विचार से यह सफलता यदि जादुई स्याही के कारण है तो यह समस्त देश की ग्रामीण जनता के खौलते हुये रक्त की स्याही है। यदि इस सफलता के पीछे कोई षडयन्त्र है तो वह निर्धन ग्रामवासियों का है जिनका विचार यह है कि राजा महाराजा उनके हितों के वास्तविक शत्रु हैं। इसी षड़यंत्र के कारण यह भारी सफलता प्राप्त हुई है।

गत वर्ष लोग यही कहते थे कि हमारे देश को क्या हो गया है। हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जो कुछ देश में हो रहा है वह हमारे हितों के विपरीत है। परन्तु आज प्रत्येक स्थान पर लोगों में प्रसन्नता है, लोगों की बातों में एक आशा झलकती है। अनेकों लोगों को यह कहते हुये सुना गया है कि 'प्रधानमंत्री अब अवश्य ही कुछ न कुछ करेगी'। हमें आशा है कि जनता की यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी।

देश की जनता ने सरकार के लिये कोई बहाना नहीं छोड़ा है। हम लोगों ने एक मजबूत केन्द्रीय सरकार की मांग की, दो तिहाई बहुमत की मांग की, जनता ने सभी कुछ प्रदान किया। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार जनता की भावनाओं का स्वागत करे। दो-तीन वर्षों में हम आश्चर्य जनक परिवर्तन तो नहीं ला सकते परन्तु पांच वर्ष पश्चात जब हम जनता के समक्ष फिर उपस्थित होंगे तब हमें जनता के सामने वह सब कुछ प्रस्तुत करना होगा जो कुछ हमने किया है। (व्यवधान)

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में, उद्योगों में तथा जिस भी क्षेत्र में वेतन भोगी कार्य करते हैं, उन्हें वेतन वृद्धि तो मिल जाती है परन्तु उस वेतन का बहुत बड़ा भाग किराये में चला जाता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को अपने वेतन का 35 या 40 प्रतिशत भाग किराये के रूप में देना पड़ता है। अतः आवास कार्यक्रम के लिये सच्चा प्रयत्न करने, तथा युद्ध स्तर पर उसका क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है।

प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिये सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध में कर्मचारियों का योगदान आवश्यक है। सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हमें प्रतिदिन ही हड़ताल, तालाबन्दी की घटनायें सुनने को मिलती हैं, जब कर्मचारियों को प्रबन्ध में स्थान नहीं दिया जाता, उनके अन्दर यह विचारधारा नहीं लाई जाती कि उन्हें देश की अर्थ व्यवस्था के लिए कुछ करना है तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के योगदान का कार्यक्रम इसी वर्ष से क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध हैं, हम यही कहकर अपने आपको सान्त्वना देते हैं कि गत 23 वर्षों में उनके लिये बहुत कुछ किया गया है। बहुत सी छात्रवृतियां तथा भत्ते दिये गये हैं। परन्तु सामाजिक व्यवस्था में हरिजनों के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। छात्रवृतियों का लाभ उठाते हुये अधिकांश हरिजन बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और आगे अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाते। सरकार को इनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार को यह भी देखना चाहिये कि ये बच्चे अपनी शिक्षा अधूरी तो नहीं छोड़ जाते। इस बात की ओर

यो ध्यान दिया जाना चाहिये कि इन जातियों को अधिकाधिक सहायता दी जाय तथा जो सहायता अब तक दी जा चुकी है क्या उसका उचित उपयोग हो रहा है।

हमारे राष्ट्रपति केरल की समस्याओं से परिचित हैं। आज सुबह समाचार मिला है कि केरल में काजू के कारखाने बन्द हो रहे हैं इस प्रकार अनेकों कर्मचारी बेरोजगार हो रहे है। शिक्षित बेरोजगारी केरल में बहुत अधिक है। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोका जाना चाहिये। केरल के लोगों ने केन्द्र में स्थाई सरकार बनाने के लिये बहुत बड़ा समर्थन दिया है। प्रतिक्रियावादियों तथा समाजवाद विरोधी तत्वों का उन्होंने खंडन किया है। केरल की जनता की इच्छा है तथा उनका अधिकार भी है कि वहां पर एक इस्पात कारखाने की स्थापना की जाय। दक्षिण के चार राज्यों मैसूर, आन्ध्र, तमिलनाडु तथा केरल में से तीन में इस्पात कारखाने हैं। मुझे आशा है कि केरल की इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा। सम्पूर्ण दक्षिण भारत में केरल में ही सर्वोत्तम लौह अयस्क उपलब्ध होता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में मछली उद्योग का भी उल्लेख होना चाहिये था। बंगाल, तमिलनाडु उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश मैसूर, गुजरात तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों में मछली उद्योग के विकास की बड़ी संभावनायें हैं। अतः इस उद्योग के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये।

समुद्री उत्पादनों का 87 प्रतिशत भाग कोचीन बन्द्रगाह से निर्यात किया जाता है। कोचीन में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास निगम की स्थापना के लिये शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जाने चाहियें।

अन्त में मैं देश की विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, यद्यपि मैं भारत सरकार की विदेश नीति से पूर्णतया सहमत हूं फिर भी मैं एक दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

लातिनी अमरीकी देशों के लोग हमारे देश के लिये सच्चे अर्थों में सद्भावना रखते है। हमें भी उनकी ओर सदभावना का हाथ बढ़ाना चाहिये। हम कुछ महाद्वीपों में जनसम्पर्क बनाने के लिये बहुत बड़ी धन राशि व्यय कर रहे हैं। इनमें बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे देश के साथ शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। लातिनी अमरीकी महाद्वीप सामाजिक पहलू से, विकासशील कार्यों की दृष्टि से तथा बेरोजगारी की दृष्टि से हमारे देश के बहुत अनुकूल हैं। हमें इन देशों की ओर सद्भावना का हाथ बढ़ाना चाहिये और हमें देखना चाहिये कि अफ्रीकी एशियाई तथा लातिनी अमरीकी महाद्वीप के लोग अपनी समान समस्याओं तथा शांति प्रिय संसार और सप्राण समाज की स्थापना के लिए एक हो जायें।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव पर अनेक संशोधन हैं। माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं और अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे 15

मिनट तत्संबंधी पर्ची सभा-पटल पर भेजदें। उन पर्चियों में उन संशोधनों की क्रम संख्या लिखी होनी चाहिये जिन्हें सदस्यगण प्रस्तुत करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुये–

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त पाठ
1	2	3
1	**श्री एन०श्रीकान्तन् नायर**	परन्तु खेद है कि जन साधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा देश में समाज के सब वर्गों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई व्यावहारिक योजनाएं नहीं बनाई गईं।
2	**श्री सरजू पाण्डे**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजेवाद को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
3		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ तथा मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दङ्गों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
4		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शेष बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
5		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"
6		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
7	**श्री सरजू पाण्डे**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि उर्दू भाषा को संरक्षण देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
8		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक विकास बोर्ड बनाने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
9		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि देश मे साम्प्रदायिक दंगों पर नियन्त्रण करने हेतु एक विशेष बल बनाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
10		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि देश में गरीबों तथा हरिजनों की स्थिति सुधारने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
12	**श्री एस० एम० बनर्जी**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
13		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में श्रमिकों की आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिलाने का कोई उल्लेख नहीं है।"
14		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदार बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।"
15		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- परन्तु खेद है कि सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में संविधान का संशोधन करने के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।"
16		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

1	2	3
	श्री एस० एम० बनर्जी	"परन्तु खेद है कि देश उर्दू भाषा को उचित स्थान देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
17		कि प्रस्ताव के कन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि सामान्य बीमा, निर्यात तथा आयात व्यापार और विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
18		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि वियतनाम में हुए नग्न आक्रमण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
19		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रभावी प्रयत्नों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
24	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिमी एशिया सङ्कट पर साम्राज्यवादी शक्तियों की दखलबाजी की अभिभाषण में निंदा नहीं की गई है।"
25		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि भूमि सुधार ,के प्रसङ्ग में विभिन्न राज्यों की सरकारों की उपेक्षा की नीति का कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।"
26		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्त् खेद है कि गंडक, पश्चिमी कोशी, उपरी सीन, बागमती, पश्चिमी कोयल पनबिजली योजनाओं, राजस्थान नहर के पूर्ण विकास एवं दूसरी नदी योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के

1	2	3
	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली आवश्यक सहायता का कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।"
27		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रति वर्ष बाढ़ तथा कटाव से होने वाली अपार क्षति को रोकने के लिए कोई प्रयास करने का कोई ऊल्लेख नहीं किया गया है।"
28		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– 'परन्तु खेद है कि बिहार तथा अन्य राज्यों में बिजली की लगातार कमी को दूर करने आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
29		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– परन्तु खेद है कि देश में चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को करोड़ों रुपये का भुगतान न करने तथा चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
30		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि बुनियादी उद्योगों तथा चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने तथा उनका जनवादीकरण करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।":
31		कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– परंतु खेद है कि मतदान केंद्रों पर बलपूर्वक कब्जा करने तथा लाठियों और गोलियों के इस्तेमाल की घटनाओं को रोकने के लिए चुनाव विधिओं में संशोधन करने का अभिषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
57	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

1	2	3
	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	' परन्तु खेद है कि पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और आसाम के विकास के किसी कार्यक्रम का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
58		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:– "परन्तु खेद है कि पिछड़ी जातियों, विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों के आर्थिक विकास के कार्य को तेज करने के लिये और उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के किसी कार्यक्रम का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
59		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि भूमिहीनों को भूमि का वितरण करने और उन्हें ज़मींदारों के अत्याचारों से बचाने के किसी विशिष्ट कार्यक्रम का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
60		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसा कानून बनाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में सरकार के सम्मुख आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके ।"
61		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि सभी विदेशी बैंकों और अन्य देशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की किसी योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
62		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

1	2	3
	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	"परन्तु खेद है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में विद्यमान नौकरशाही को दूर करने और उन बैंकों की ऋण नीतियों में परिवर्तन करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
63		कि प्रस्ताव के अन्त निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम काअ भिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
64		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि थोक व्यापार और आयात तथा निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण की किसी योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
65		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि सरकारी क्षेत्र के उपकमों में समुपयुक्त श्रमिक व्यवस्था करने तथा उस पर नियन्त्रण रखने की अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है।"
66		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:— "परन्तु खेद है कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में श्रमिक-विरोधी रवैय को रोकने के लिये उठाये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है।"
67	**श्री कमला मिश्र मधुकर**	कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, "परन्तु खेद है कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में श्रमिकों की छंटनी तथा तालाबन्दी को रोकने सम्बन्धी नीतियों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

1	2	3
68	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'**	कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा संबंधी नीति में सुधार करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है जिससे देश की शिक्षा पद्धति को समूचे तौर पर सुधारा जा सके।"
69		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करने और उनका ध्यान रचनात्मक कार्यों की ओर आकृष्ट करने और उनमें फैले हुए असन्तोष को दूर करने के किसी ठोस कार्यक्रम का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
70		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:— "परन्तु खेद है कि शिक्षित तथा अशिक्षित नवयुवकों में फैली बेरोजगारी को दूर करने के लिए किसी निर्धारित तथा क्रमबद्ध कार्यक्रम का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
71		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि देश में समाजवादी लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करने का अभिभाषण में को उल्लेख नहीं है।"
72		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक तन्त्र को लोकतन्त्रीय रूप देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है जिससे समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।"
73		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात्:—

1	2	3
	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	"परन्तु खेद है कि समस्त प्रशासनिक ढांचे में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किये जाने वाले नये उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
74		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि मंत्रियों पर होने वाले व्यय में कमी करने तथा उनमें सादगी लाने के नये कदमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
75		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ पूर्ण राजनैतिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
76		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि यूरोप सुरक्षा संधि के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
77		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस आदि से साम्राज्यवादी शक्तियों की फौजों को अविलम्ब हटाने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही वियतनाम सम्बन्धी भारत की ढुलमुल नीति के बारे में कोई उल्लेख किया गया है।"
78		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि पूर्वी पाकिस्तान-बंगला देश की जनता द्वारा किये जा रहे जनवादी आन्दोलन

1	2	3
		के प्रति भारत की सहानभूति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
79	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'**	कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि एशिया में शान्ति के लिये चीनी जनवादी गणतंत्र के साथ सम्मानपूर्वक सम्बन्ध सुधारने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
80		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि भूमि संघर्षों में भागलेने वाले हजारों किसानों का दमन करने और उन्हें परेशान करने हेतु उनके विरुद्ध चलाये गये मुकदमों को वापस लेने और कानूनी सहायता देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
81		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि भूमिहीनों तथा श्रमिकों को न्यायालयों में कानूनी एवं अन्य सहायता प्रदान करने सम्बन्धी किसी नीति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
82		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि किसानों के कच्चे माल की पूंजीवादी बाजार में लूट को रोकने तथा कीमत को सन्तुलित रखने सम्बन्धी किसी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
83		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि रासायनिक खादों के मूल्यों को घटाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं

1	2	3
	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	किया गया है ताकि ये खाद किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सके ।"
84		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि इजारेदार पूंजी के प्रभाव को दृढ़तापूर्वक रोकने के निश्चय का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
85		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
86		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि साम्प्रदायिक दलों, साम्प्रदायिक प्रचार और साम्प्रदायिक साहित्य पर प्रतिबन्ध लगाने के संकल्प का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
87		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि रंग भेद की नीतियों को परास्त करने के लिए सभी प्रगतिशील शक्तियों को एकत्रित हो जाने के लिए अपील करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
88		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाजवाद की सुस्पष्ट नीतियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
89		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

1	2	3
	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	"परन्तु खेद है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की भाषा, संस्कृति और उनके अन्य अधिकारों की सुरक्षा के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
111	**श्री मधु दन्दावते**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में उपयुक्त संशोधन करके संसद को संविधान में संशोधन करने के पूर्णप्रभुत्व अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है जिससे कि संसद सामाजिक परिवर्तन लाने में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके।"
112		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि दल-परिवर्तन और भीतरी आघात की राजनीति को, जिससे हमारे राजनीतिक जीवन के लोकतन्त्री ढांचे की प्रतिष्ठा कम हो रही है, रोकने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"
113		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि और अधिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता, जोकि समाजवादी नीतियों और कार्यक्रमों का आधारभूत सिद्धांत होना चाहिये, का कोई उल्लेख नहीं है।"
114		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि पूर्वी पाकिस्तान में हुई हाल की घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
115		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अनाज और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक-व्यापार और विदेशी-व्यापार के समाजीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
116		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

1	2	3
	श्री मधू दन्दावते	"परन्तु खेद है कि औद्योगिक और खेतीहर मजदूरों के लिये आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"
118	श्री राम रत्न शर्मा	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के चुनाव जीतने सम्बन्धी अवसरों को बढाने के लिए सरकारी तंत्र, विशेषकर आकाशवाणी तथा टेलीविजन का बड़ा दुरुपयोग करने और इस सम्बन्ध में उच्च शक्ति प्राप्त स्वतंत्र जांच के माध्यम से जनता की गलत फहमियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
119	श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– परन्तु खेद है कि जबकि समस्त भारत में संसदीय जनतत्र की सरहाना की गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में पुलिस, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस, सेना, भाड़े के गुंडों और नौकरशाही के माध्यम से जनता के जनतंत्रिय फैसले को दबाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने अथवा परोक्ष या अपरोक्ष रूप में किन्हीं भी प्रकार के तरीकों से कांग्रेस की सत्ता स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जा रहा है।
130	डा० लक्ष्मीनारायण पांडे	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि बैरोजगारी की समस्या हल करने के लिये किये जाने वाले ठोस उपायों के बारे में तथा ऐसे कार्यक्रम के बारे में जिससे बैरोजगारी की समस्मा एक निश्चित अवधि में हल की जा सके और बैरोजगार व्यक्तियों को जीवन यापन योग्य भत्ते के रूप में तब तक एक निश्चित धनराशि देने, जब तक कि उन्हें रोजगार न मिल जाये, के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
131	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— 'परन्तु खेद है कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में तथा एक ऐसी कालावधि निर्धारित करने के बारे में, जिसमें उन्हें रोजगार दिया जायेगा और इस विचार से शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
132		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि भूमि सुधारों, छोटे किसानों की समस्याओं को हल करने के लिये स्पष्ट मार्ग दर्शक सिद्धन्तों और अलाभप्रद जोतों को लाभप्रद जोतों के रूप में परिणत करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
133		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि छोटे किसानों को सुविधायें प्रदान करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलता तथा इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली युक्तिसंगत प्रक्रिया के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
134		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि किसानों को सिंचाई के लिये बिजली के पम्प सेट प्रदान करने की योजनाओं की असफलता तथा इन योजनाओं के केन्द्रीयकरण के कारण दूरवर्ती गांवों को लाभ न पहुँचाने में असफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
135		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि शहरों, छोटे कस्बों और गांवों में गंदी बस्तियों के स्थान पर स्वच्छ आवास बनाने तथा आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास देने के किसी निश्चित कार्यक्रम का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
136	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि जिस निश्चित कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के अन्दर आवास दिये जायेंगे, ऐसे किसी कार्यक्रम का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
37		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी निवश के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
138		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी का उल्लेख करते समय किसानों को कृषि उपज का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
139		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि श्रमिक संघों के गठन तथा उनका मान्यता देने सम्बन्धी प्रक्रिया को बनाने तथा औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने की घोषणा द्वारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
140		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि प्रशासनिक तन्त्र में सुधार लाने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा उस कालावधि का, जिसके अन्दर सुधार लाया जाना है अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
141		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि प्रबन्धक संवर्ग बनाने के लिये

1	2	3
	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
142		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि मूल्य-वृद्धि और आर्थिक असंतुलनों को रोकने के उपायों, तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं हैं।"
143		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में फैली अव्यवस्था तथा हिंसा, जिसके फलस्वरूप देशवासियों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है तथा देशवासियों की रक्षा करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
144		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि चीन द्वारा बलात कब्जे में की गई भारतीय भूमि तथा विदेशों द्वारा अधिकृत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को वापस लेने के लिये उठाये जाने वाले कदमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
145		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से अणुबम बनाने के कार्यक्रम का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
146		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
147		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में शीघ्र लागू करने तथा इस सम्बन्ध में की

1	2	3
	डा० लक्ष्मीनाराय पाण्डे	जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
148		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि विदेशों के प्रति भारत के रवैये तथा उनके साथ भारत के सम्बन्धों और पड़ौसी देशों से भारतीयों के निष्कासन पर चिन्ता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
149		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि भारतीय विमान अपहरण की हाल की घटना के पश्चात् पाकिस्तान के साथ हमारे भावी सम्बन्धों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
150		कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी तंत्र, आकाशवाणी, तथा टेलिविजन सेवा का दुरुपयोग किये जाने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
219		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि हाल में हुए आम चुनावों के दौरान सरकारी सत्ता के दुरुपयोग तथा चुनाव-परिणामों में हुई हेरा फेरी के बारे में देश के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त करने के संबंध में अभिभाषण में कोई संकेत नहीं दिया गया है।"
220		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि देश के अन्दर और देश के बाहर कार्य करने में केवल अपनी राष्ट्रीय भाषा का ही प्रयोग करने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
221	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी और मिलें और फैक्टरियों में उन्हें हिस्सेदार बनाने के संबंध में अपनाये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
222		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि चीन के पास अणु-बम और प्रक्षेपास्त्र होने तथा उसकी पाकिस्तान के साथ मित्रता के सन्दर्भ में देश की सुरक्षा के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
240		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि योजना को स्वदेशी स्वरूप प्रदान कर प्राप्त की जा सकती है और इसके क्रियान्वयन के लिये विदेशी धन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं ।"
241		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि 18 और 21 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्तियों को मतदान का अधिकार देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
242		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि इण्डियन एयर लाइन्स के विमान का अपहरण किये जाने और बाद में उसे जला दिये जाने के बारे में उठाये जाने वाले कदमों और पाकिस्तान द्वारा अपहरणकर्त्ताओं को भारत को सौंपने से इनकार और अपहरण किये गये तथा बाद में जलाये गये विमान के लिये

1	2	3
	श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे	क्षतिपूर्ति के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
243		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों और अन्य व्यक्तियों को जो अपना कारोबार करना चाहते हैं परन्तु ऋण लेने के लिये जमानत का प्रबन्ध नहीं कर पाते, ऋण देने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अभिभाषण मे कोई उल्लेख नहीं है ।"
246		"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खद है कि किसानों और ग्रामीण लोगो को सस्ती दरों पर बिजली देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
247		"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि कृषि से भिन्न उत्पादों की तरह किसानों को भी उनके उत्पाद के उचित दाम दिलाने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
249		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि चीन के अनधिकृत कब्जे में हजारों वर्ग मील भारतीय क्षेत्र को वापस लेने के लिये की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
151	**श्री सरदीश राय**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि राज्यपाल पद तथा राज्यों में राष्ट्रपति का शासन समाप्त करने का अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है ।"

1	2	3
152	**श्री सरदीश राय**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि राज्यों की शक्ति को वास्तविक रूप देने के लिये केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों तथा कृत्यों के पुनर्वितरण के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
153		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :- "परन्तु खेद है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों को राज्यों को स्थानांतरित करने के बारे में अभिभाषण में कोई सकेत नहीं है ।"
154		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि राज्य सरकारों का अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा अपने सभी कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण के बारे में अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है ।"
155		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि धनी व्यक्तियों पर अधिक करभार डालने तथा निर्धन व्यक्तियों को काफी राहत देने के विचार से कराधान नीतियों में पूर्ण तया परिवर्तन करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
156		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :- "परन्तु खेद है कि राजाओं के सभी विशेषाधिकारों और निजी थैलियों को बिना मुआवजा दिये समाप्त करने तथा गांवों में सभी सामन्तों और बड़े जमीदारों के हितों को पूर्ण रूप से समाप्त करने, जमींदारों और अन्य सामान्य भूस्वामियों को अभी भी देय मुआवजे की राशि रद्द करने, और बड़े जमींदारों की भारी संपदा पर नियंत्रण करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
157		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् ;-

1	2	3
	श्री सरदीश राय	परन्तु खेद है कि निर्धन तथा मध्यम वर्गीय किसानों और अधिकांश उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए खरीद तथा मूल्य सम्बन्धी नीतियों को पूर्णतया बदलने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
158		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि मुद्रास्फीति और बढ़ते हुए मूल्य की समस्याओं को शीघ्र हल करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
159		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद हैं कि 18 से 21 वर्ष के आयु-वर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
160		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद हैं कि कांग्रेस शासन के 23 वर्षों के परिणामस्वरूप उत्पन्न निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्याओं पर अभिभाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।"
161		कि प्रसातव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- परन्तु खेद है कि भारी संख्या में हो रही दल-बदल तथा इस पर अंकुश लगाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
162		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के प्रति किये गये वायदों को पूरा न किये जाने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
163		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने

1	2	3
	श्री सरदीश राय	तथा कोरिया और क्यूबा लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ व्यापार बढ़ाने सम्बन्धी कदमों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
164		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि रोडेशिया के मामले तथा दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्र सहायता और जाति भेद पूर्ण आप्रवास कानूनों के बाद भी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल छोड़ने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं हैं।"
165		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- परन्तु खेद है कि हिन्दहासागर क्षेत्र में ब्रिटिश और अमेरिकी अड्डों की स्थापना के कारण इस क्षेत्र के लोगों की शांति तथा स्वतंत्रता को उत्पन्न खतरे के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
166		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि समूचे भारत में बंद कारखानों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
167		कि अभिभाषण के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद हैं कि गांवों में बेरोजगारी दूर करने के लिए जोरदार कार्यक्रमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
168		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :- "परन्तु खेद है कि मूल्यों में वृद्धि, चोर बाजारी जमाखोरी आदि पर अंकुश लगाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
215	**श्री सरदीश राय**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :— "किन्तु खेद है कि निवारक निरोध अधिनियम

1	2	3
	श्री सरदीश राय	तथा औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम सहित सभी दमनात्मक विधियों के निरसन के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
216		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् : — "किन्तु खेद है कि श्रमिकों की हड़ताल तथा जल्दवादी संघर्ष को रोकने के लिए निषेधाज्ञाओं तथा सुरक्षात्मक कार्यवाहियों को रोकने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
217		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :— "किन्तु खेद है कि संविधान में उल्लिखित मूल-भूत अधिकारों में आवश्यक संशोधन करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ताकि संसद तथा राज्य विधान मण्डलों के लिए यह सम्भव हो कि वे जन साधारण के लोकतत्रात्मक अधि-कारों जिनमें भूमि का अधिकार उपज के साधन तथा उनकी अन्य अल्प सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार शामिल हैं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विदेशी तथा भारतीय एकाधिकारियों, बड़े-बड़े जमींदारों और समाज के उच्चतम वर्ग के व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति के विरुद्ध कानून बना सकें।"
218		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :— "किन्तु खेद है कि समस्त भारी उद्योगों तथा अर्थ-व्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्रों, चाहे वे विदेशियों के अधिकार में हों अथवा भारतीय पूंजीपतियों के, का राष्ट्रीयकरण करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
169	**श्री ए० के० गोपालन**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि सामन्ती सम्पत्ति मालिकों तथा बड़े एकाधिकारी पूंजीपतियों के मुआविजा प्राप्ति के अधिकार की समाप्ति के संबंध में सरकार के किसी निश्चय का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
170	**श्री ए० के० गोपालन**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि विदेशी गैर-सरकारी पूंजी के उन्मूलन के उपायों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
171		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि बड़े भारतीय व्यापार-गृहों के विस्तार को रोकने के लिये किये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
172		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करने, जिससे कि वे केन्द्र पर निर्भर रहे बिना तथा केन्द्र की रुकावटों के बिना अपना विकास कर सकें, के उपायों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
173		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि पश्चिम बंगाल की जनता का फासिस्ट तरीके से दमन होने देने और राष्ट्रपति शासन काल में भारत सरकार द्वारा उस राज्य की लोकतंत्रीय शक्तियों के विरुद्ध हत्याओं तथा मारकाट की राजनीति आरम्भ की जाने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
174		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इसमें किसानों की ऋणों की अदायगी की अवधि को बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है ।"
175		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो लोकतन्त्रीय संसदीय प्रणाली का एक मात्र आधार है की व्यवस्था करने के लिये निर्वाचन विधियों में संशोधन करने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

1	2	3
176	श्री ए० के० गोपालन	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि राज्यों में राज्यपालों के पद समाप्त करने तथा राष्ट्रपति शासन लागू न करने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
177		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि लोकतंत्रीय आन्दोलनों को दबाने के लिए सशस्त्र सेनाओं का अधिक तथा बार-बार प्रयोग करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
178		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों को बिना मुआवजा दिये समाप्त करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नही है।"
179		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि वियतनाम जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य, जर्मन जनवादी गणराज्य को साम्राज्यवादी शक्तियों के दबाव तथा धमकियों में आकर पूर्ण राजनयिक मान्यता देने के प्रश्न का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
180		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया में अमरीकी आक्रमण करने और दक्षिण कोरिया के सैनिक कब्जा की अभिभाषण में कोई भर्त्सना नहीं की गई है।"
184	श्री रामावतार शास्त्री	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात :— किन्तु खेद है कि गत मध्यावधि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की घोषणा के बावजूद बिहार की संविद सरकार द्वारा हरिजनों, मुसलमानों एवं पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को मतदान में

1	2	3
	श्री रामावतार शास्त्री	सुविधा प्रदान न किये जाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।"
185		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात ;- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से गरीबी मिटाने के लिए कोई ठोस एवं स्पष्ट कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।"
186		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात:- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास के वर्तमान पूंजीवादी रास्ते को छोड़कर गैर पूंजीवादी रास्ता अपनाने सम्बन्धी नीति का उल्लेख नहीं है।"
187		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारी पूंजीवाद को तोड़ने का उल्लेख नहीं है।"
188		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये अर्थात :- किन्तु खेद है कि देश के बेकारों को काम देने या बेकारी भत्ता देने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
189		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम या बेकारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार संविधान में जोड़ने का उल्लेख नहीं है।"
190		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेकारी को दूर करने के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे को खोलने का उल्लेख नहीं है।"
191		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि देश के द्रुत विकास के लिए निजी उद्योग धंधों के स्थान पर देश में सरकारी

1	2	3
	श्री रामावतार शास्त्री	उद्योगों का जाल बिछाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।"
192		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि बुनियादी उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण करने के अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।"
193		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का उल्लेख नहीं है।"
194		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का उल्लेख नहीं है।"
195		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।"
196		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
197		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मंहगाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।"
198		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "किन्तु खेद है कि मंहगाई बढ़ाने वाले तथा चोर बाजारी करने वाले बड़े व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।"
199		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

1	2	3
	श्री रामावतार शास्त्री	"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महंगाई पर रोक लगाने या महंगाई के अनुपात से महंगाई भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।"
200		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये अर्थात् :— "किन्तु खेद है कि सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों एवं मजदूरों को आवश्यकता के आधार पर आधारित वेतन निर्धारित करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।"
201		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात्:— "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कारगर कदम उठाने का उल्लेख नहीं है।"
202		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :— "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।"
203		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :— "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चोर बाजारियों को राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण न देने का कोई उल्लेख नहीं है।"
204		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :— किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिये जाने वाले कर्ज की अधिकांश राशि को किसानों, बेकार इंजीनियरों साधारण बेकारों छोटे-छोटे व्यवसाइयों कुटीर उद्योगो का उल्लेख नहीं है।"
205		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात :— "किन्तु खेद हैं कि अभिभाषण में इजारेदार पूंजीपतियों की तिजोरियों में छिपे काले धन को निकालकर देश के विकास कार्यो में लगाने का उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
206	श्री रामावतार शास्त्री	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :– "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे बड़े पूंजीपतियों एवं व्यवसाइयों के पास बचाया टैक्स की करीब पांच अरब रूपये की राशि को वसूल करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"
207		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात :– "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूंजीपतियों द्वारा मुनाफे की रकम को अपने देशों में ले जाने से रोक देने का कोई उल्लेख नहीं है ।"
208		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात :– "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं है ।"
209		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोक सभा के गत मध्यावधि चुनाव के दौरान बिहार में हुई धांधलियों की जांच के लिए कोई जांच आयोग नियुक्त करने का उल्लेख नहीं है ।"
210		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :– "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक प्रचारों एवं दलों पर रोक लगाने सम्बन्धी बातों का उल्लेख नहीं है ।"
250		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि खाद्यान्नों के आयात को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
251		कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
252		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि किसानों को सस्ते दामों पर

1	2	3
	श्री रामावतार शास्त्री	खाद बीज, बिजली तथा अन्य कृषि उपकरण देने की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है ।
253		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि जमींदारों द्वारा अपनी जोतों से खेतीहरों को बदखल किये जाने को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है ।
254		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा भूमिहीनों एवं गरीब किसानों के बीच फाजल भूमि का वितरण करने के लिए कोई अवधि निर्धारित करने बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
255		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि हरिजनों तथा भूमिहीनों के बीच सरकारी परती भूमि का वितरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
256		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात्:— परंतु खेद है कि अलाभप्रद जोतों को भूमि लगान मुक्त करने तथा धीरे-धीरे कृषि धनकर लागू करने के बारे में उल्लेख नहीं है ।"
257		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि किसान तथा मजदूर आन्दोलनों के सम्बन्ध में की गई कानूनी कार्यवाहियों को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
258		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— परन्तु खेद है कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"

1	2	3
259	श्री रायावतार शास्त्री	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि 25,000 की आबादी वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक शाखा खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
260		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर घटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
261		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात्:— "परन्तु खेद है गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अनुदान देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
262		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि कलकत्ता शहर की तरह अन्य राज्यों की राजधानियों का विकास तथा उनका कायाकल्प करने का उत्तरदायित्व लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
263		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये मकानों के वितरण में भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद, पक्षपात तथा जातिवाद को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
264		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि भूमिहीन काश्तकारों को बने बनाये मकानों के आवंटन की व्यवस्था के बारे कोई उल्लेख नहीं है ।"
265		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि देने के के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"

1	2	3
321	श्री रामावतार शास्त्री	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "किन्तु खेद व्यक्त हैं कि अभिभाषण में सरकार की पुरानी श्रम विरोधी नीति को छोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
322		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधित्व का स्वरूप निश्चित करने के लिये गुप्त मतदान पद्धति प्रारम्भ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
323		कि प्रस्ताव के कन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्धकों के रुख में परिवर्तन लाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
324		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त नौकरशाही प्रवृत्ति समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।"
325		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में आई० सी० एस० अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है ।"
326		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में नरेशों की निजी थैलियों को बिना मुआवजा के समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
327		कि प्रस्स्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा वियतनाम पर बम्बारी करने की निन्दा नहीं की गई है ।"

1	2	3
328	श्री रामावतार शास्त्री	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में हिन्द-चीन समस्या के समाधान के बारे में किसी ठोस सुझाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
329		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात:— "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में जनवादी चीन और पाकिस्तान के साथ झगड़ों के निपटारे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
330		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में समाजवादी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध तथा व्यापार सुदृढ़ करने और बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
331		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में व्यक्तिगत सम्पति अधिकार को षीमित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
332		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में देश से अकाल को हमेशा के लिये दूर करने के लिये कोसी, गंडक, सोन, स्वर्ण-रेखा, नागार्जुन, राजस्थान नहर आदि जैसी बड़ी सिंचाई योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
333		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में व्याप्त भ्रष्टाचार.

1	2	3
	श्री रामावतार शास्त्री	प्रांतीयता, जातीयता, और घाटे, समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
334		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में मंत्री-मंडल के सदस्यों द्वारा आत्मसंयम तथा मितव्यता का उदाहरणीय स्तर के अपनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
335		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में मितव्यता की नीति अपनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
211	**श्रीमती विभा घोष(गोस्वामी)**	"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :– "किन्तु खेद है कि समाजवादी चीन तथा पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा में भारत की ओर से किये जाने वाले किसी साहसिक प्रयत्न का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।
212		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– किन्तु खेद है कि विदेशों के साथ किये गये सांस्कृतिक करारों के उन सभी उपबन्धों को समाप्त करने के लिए जिनसे कि विदेशी शक्तियों राष्ट्र के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं, पुनर्विचार करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।
213		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– किन्तु खेद है कि हिन्द चीन के तीन देशों, कोरिया पश्चिमी एशिया जर्मनी तथा क्यूबा के प्रति साम्राज्यवादी (विशेषकर अमरीकी) नीति के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करने, वियतनाम, कोरिया, जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा क्यूबा की सरकारों को पूर्ण मान्यता देने तथा

1	2	3
	श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	इनमें से प्रत्येक देश के साथ पूर्ण दौत्य सम्बन्ध स्थापित करने और दक्षिणी वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने के लिए अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।''
214		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— किन्तु खेद है कि सभी साम्राज्यवाद विरोधी देशों का सामूहिक सघर्ष छेड़ने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।
223	**श्री ललिया**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि गत आम चुनाओं के दौरान हुई अनियमितताओं और अपनाये गये भ्रष्ट तरीकों जैसे धन का दुरुपयोग नई कांग्रेस के पक्ष में रेडियो और टेलीविजन द्वारा प्रचार चुनाव आयोग द्वारा मत पत्रों की गिनती देरी से आरम्भ किए जाना, मत पत्रों की गिनती करने के तरीके में अकस्मात परिवर्तन करना सही मतदाता सूचियां उपलब्ध की जाना चुनाव में बलप्रयोग किये जाने के मामलों की उपेक्षा करना और शातिपूर्ण निष्पक्ष तथा स्वतंत्र मतदान के लिये व्यवस्था करने के सर्वथा अभाव पर अभिभाषण में प्रकाश नहीं डाला गया है।
226		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि हाल के मध्यावधि चुनाओं में हुई अनियमितताओं और अपनाये गये भ्रष्ट तरीकों विशेषकर केन्द्र में सतारूढ़ दल द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किये जाने और गलत मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
244		"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि देश में बेरोजगार अथवा अपूर्ण रोजगार वाले शिक्षित व्यक्तियों, विशेषज्ञों

1	2	3
	श्री ललिया	और अन्य व्यक्तियों की संख्या और नारे बाजी की बजाय उन्हें रोजगार दिलाने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।''
245		''कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— ''परन्तु खेद है कि हिन्दमहासागर में बड़ी शक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।''
248		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— ''परन्तु खेद है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा दल परिवर्तन को प्रोत्साहन के लिए किये जा रहे प्रयासो को रोकने के बारे में उठाये जाने वाले कदमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।''
268		कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— ''परन्तु खेद है कि देश में बढती हुई हिंसात्मक घटनाओं तथा साम्प्रदायिकता और प्रथकता वादी तत्वों को सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन को रोकने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।''
308		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— ''परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में देश में लाखों गांवों में पीने का पानी उपलब्ध न होने की समस्या का समाधान करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।''
309		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात्:— ''परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कृषि उपकरणों, बीजों और उर्वरकों की खरीद के लिये किसानों

1	2	3
	श्री ललिया	को ब्याज मुक्त ऋण देने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है जिससे देश थोड़े समय में ही आत्मनिर्भर हो जाये ।
310		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कांग्रेस के 23 वर्षों के शासन के फलस्वरूप गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करने के लिये किये जाने वाले उपायों तथा संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों में रोजगार का अधिकार शामिल करने के लिये संविधान में संशोधन करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"
311		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कि अभिभाषण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं के लिये व्यवस्था, भूमि के कटाव को रोकने, मीनक्षेत्र नौवहन के विकास, गंगा नदी के सम्बन्ध में, जो 1500 वर्ग मील के क्षेत्र में बहती है और 21 करोड़ लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है, एक बृहत योजना तैयार करने के साथ साथ नहरें खोदने के एक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में असफल हुआ है ।"
312		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में भूमि के कटाव से पीड़ित नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के पुनर्वास और शहरों में झुग्गियों में रहने वालों को उनकी नौकरियों के स्थान के निकट आवास सुविधाएं देने का कोई उल्लेख नहीं है ।"
313		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि नई कांग्रेस ने गत आम चुनावों में मुस्लिम लीग के साथ

1	2	3
	श्री ललिया	गठबन्धन कर देश का और विभाजन करने का आधार तैयार किया है ।''
314		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– ''किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस आरोप का कि आकाशवाणी और टेलीविजन जैसे सरकारी तत्र का केन्द्र में सत्ताधारी दल की विजय के अच्छे अवसर बनाने के लिये व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया, कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।''
315		कि प्रस्काव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् -: ''किन्तु खेद करते हैं कि अभिभाषण में इस बात बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि हाल के मध्यावधि चुनावों में मतदाता सूचियों दोषपूर्ण थीं जिसके परिणामस्वरूप लाखों प्रमाणिक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया ।''
316		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– ''किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में बेरोजगारी और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीमतों की समस्याओं का समाधान करने के लिये अपनाये जाने वाले ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ''
317		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– ''किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में अपहरण किये गये जहाज के संबंध में क्षतिपूर्ति तथा अपहरणकर्ताओं को भारत को सौंपने के लिये पाकिस्तान को बाध्य करने के प्रयत्नों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।''
318		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– ''किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में

1	2	3
	श्री ललिया	स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का कोई उल्लेख नहीं है ।"
319		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में स्वतंत्र विदेश नीति तथा तथा स्वतंत्र रक्षा नीति के लिये भारत का आणुविक शक्ति बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
320		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में आत्मनिर्भरता, गतिशील स्थिति तथा योजना-प्रधान देश बनाने के लिये चौथी योजना का नवीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है ।"
372	**श्री वरकी जार्ज**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि समुद्री संसाधनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अत: अनाज की सप्लाई को बड़ाने तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने के लिए समुद्री संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करने के लिए प्रयास किये जाने चाहियें ।"
376	**श्री एम० कतामुत्तु**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि देश के गरीब और पिछड़े वर्गों विशेषकर हरिजनों के उत्थान के लिये ठोस योजनाओं का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"
377		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि कृषि-मजदूरों की मजदूरी निश्चित करने के किसी कार्यक्रम तथा सभी राज्यों में उसके क्रियान्वयन का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।"

1	2	3
378	**श्री एम० कतामुत्तु**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि अभिभासण में तमिलनाडु, मैसूर और केरल के बीच अन्तर्राज्यीय नदियो जैसे कावेरी नदी के विवाद का कोई उल्लेख नहीं है।"
379		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांवों में मकानों की व्यवस्था करने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम और कृषक मजदूरों के लिये सामाजिक बीमा योजना की व्यवस्था करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।'
380		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात:— "परन्तु खेद है कि ब्याज की सस्ती दरों पर छोटे किसानों को ऋण-सुविधायें प्रदान करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।
381	**श्री एस० एम० मोहम्मद शरीफ**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ तथा मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
382		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि उर्दू भाषा को संरक्षण देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
383		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए एक विशेष बल तैयार करने के बारे मेंअभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
384		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि देश में गरीब लोगों तथा हरिजनों के उत्थान के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
400	**श्री इरास्मो-द-सेक्वीरा**	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात:– "परन्तु खेद है कि इस सिद्धान्त को स्वीकार करने का, कि राष्ट्रीय प्रगति समूचे राष्ट्र का उत्तर-दायित्व है और राष्ट्रीयकृत, प्रत्याशित तथा विश्वशनीय क्षेत्रों की, जिसमें सरकार उत्तर दायित्व ग्रहण करेगी, परिभाषा करने का कोई इरादा अभिभाषण में नहीं दर्शाया गया है।"
401		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केवल भारी बहुमत का ही उल्लेख किया गया है और उसके साथ–साथ ठोस आलोचना का स्वागत नहीं किया गया तथा मत–भेद के लिए आदर का भाव नहीं दर्शादा गया है।"
402		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि (क) राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद् की राष्ट्रीय व्यवस्था करने वाली एक कुशल टीम का रूप देने, (ख) आयोजना को नया रूप देने (ग) कर्मचारियों में सक्रियता एवं कुशलता लाने, (घ) जुटाये जाने वाले संसाधनों को परिवर्तन का साधन बनाने, (ङ) केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रत्येक के उत्तर-दायित्व के अनुसार राजस्व का पुनः आवंटन करने, (च) पूंजी निवेश में प्राथमिकता पुनः निर्धारित करने, तथा (छ) संसद् को नियंत्रण कार्य में योगदान के अवसर और शक्तियां प्रदान करने के बारे में अभिभाषण में किसी भी ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
491	श्री इरास्मो-द-सेक्वीरा	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने के इरादे का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
411	श्री एम० कल्याणसुन्दरम	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटाये गये भारतीयों, विशेषकर तमिलियों के पुनर्वास के मामले में, जिससे तमिलनाडु सरकार पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है, भारत सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।"
412	श्री सी० के० चन्द्राप्पन	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि ग्रामीण क्षत्रों तथा शिक्षित युवावर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के उन्मूलन के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं।"
413		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि हमारे देश में एकाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
414		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि आयात और निर्यात् व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
4.5		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि भारत में स्थित विदेशी बैंकों तथा सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
416		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि भारत में अति तेजी से बढ़ रहे मूल्यों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
417	श्री सी० के० चन्द्राप्पन	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि आर्थिक विकास के मामले में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
418		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि प्रशासनिक ढ़ांचे में आमूल परिवर्तन लाकर शीघ्र तथा उद्देश्यपूर्ण ढ़ंग से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने के किसी योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
419		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– परन्तु खेद है कि देश में सभी विश्वविद्यालयों के सभी प्रशासनिक तथा शैक्षणिक निकायों में छात्रों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
420		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि समस्त शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
421		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि कारखानों, खानों, रेलों, प्रशासन, सेवाओं आदि में प्रभावी ढ़ंग से समयोपरि कार्य को रोक कर रोजगार के नये अवसरो को जुटाने तथा नये लोगों को रोजगार देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
422		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों मे से अंशकालिक अध्यापक नियुक्त करके तथा सरकारी, गैर-सरकारी और स्वयं-सेवी अभिकरणों के माध्यम से वयस्क शिक्षा को

1	2	3
	श्री सी० के० चन्द्राप्पन	बढ़ावा देकर निरक्षरता को समाप्त करने की किसी प्रभावी योजना के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
423		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में, जो पुरानी पड़ चुकी है, जनजीवन से जिसका सम्बन्ध नहीं रहा है तथा जो आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है, शीघ्रकारी उद्देश्यपूर्ण तथा आमूल परिवर्तन करने के किसी ठोस प्रस्ताव का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
424		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:- "परन्तु खेद है कि हमारे देश की एकता तथा साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और शिव सेना जैसे साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिये किये जाने वाले उपायों संबंधी किसी ठोस प्रस्ताव का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
435	**श्री एस० एन० सक्सेना**	कि अभिभाषण के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :- "परन्तु खेद है कि शासन और जन-जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मार्गोपाय के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
436		कि अभिभाषण के अन्त में यह जोडा जाय, अर्थात् :- परन्तु खेद है कि भूमि जोतों की अधिकतम सीमा कम करके तथा फालतू सरकारी भूमि का वितरण करके भूमिहीन लोगों में भूमि वितरण करने की किसी निश्चित योजना के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

1	2	3
437	श्री एस० एन० सक्सेना	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि नवम्बर, 1969 को श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में बम्बई में हुए कांग्रेस अधिवेशन द्वारा निर्णय लिया गया था, के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
438		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि नवम्बर, 1969 से वेतन वृद्धि की बकाया राशि देने से इन्कार करके और चीनी कारखानों के श्रमिकों को गैर पिराई काल में 50 प्रतिशत मजूरी देने की घोषणा करके चीनी वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
459	श्री भोगेन्द्र झा	कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि तीन विदेशी तेल कम्पनियों के शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने का अभिभाषण में कोई उल्लेउ नहीं है।"
460		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि विदेशी बैंकों तथा गैर-सरकारी बैंकों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने के लिए किसी निश्चय का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
461		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि समूचे विदेशी व्यापार का शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
62		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात्:–

1	2	3
	श्री भोगेन्द्र झा	"परन्तु खेद है कि सामान्य बीमा का शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
463		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:– "परन्तु खेद है कि औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि उपज के मूल्यों में निरंतर संतुलन बनाये रखने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
464		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि सभी शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
465		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात्:— "परन्तु खेद है कि किसानों और खेतीहर श्रमिकों को, उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, उनकी सम्पत्ति की कोई गारंटी मांगे बिना ऋण देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
466		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि बढ़ते हुए मूल्यों को पूरी तरह रोकने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
467		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगला देश की जनता द्वारा अपने लोकतन्त्रीय अधिकारों के लिए वीरतापूर्वक चलाये जा रहे संघर्ष के लिये सहानुभूति प्रदर्शित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"
468		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि वियतनाम लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध

1	2	3
	श्री भोगेन्द्र झा	स्थापित करने के लिये किसी निर्णय का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
469		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि नेपाल के साथ व्यापार समझौता पुनः आरम्भ करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
470		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात् :— "परन्तु खेद है कि अभिमाषण में अमेरिका द्वारा हिन्द महासागर में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया जाना एक शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं बताया गया है।"
471		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु हमें खेद है कि अभिभाषण में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को छोड़ देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"
472		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि समस्त अमरीकी सैनिक दल की इण्डोचीन से शीघ्र वापिसी की मांग के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"
473		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध शीघ्र स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं।"
474		कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :– 'परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता प्रदान करने के निर्णय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ बोलने से पूर्व मैं पूर्वी बंगाल अथवा पूर्वी पाकिस्तान में हो रही गंभीर घटनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बंगला देश में गणतन्त्र घोषित कर दिया गया है और अस्थाई सरकार बना ली गई है।

{श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए}
{Shri K. N. Tiwary *in the Chair*}

वहां पर भयंकर लड़ाई हो रही है तथा हमने बंगला देश को नैतिक समर्थन दिया है परन्तु हमें उन्हें वास्तविक समर्थन भी देना चाहिये। हम मांग करते हैं कि बंगला देश गणतंत्र को तुरंत मान्यता दी जाये और हमें वहां सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिये।

हमने स्पेन में गृह-युद्ध के समय गणतान्त्रिक सेनाओं को अपना समर्थन दिया था। अब हमें बंगला देश का शब्दों में तथा कार्य रूप में साथ देना चाहिये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से आर्थिक संकट दूर किये जाने का कोई आभास नहीं मिलता है। गत 23 वर्ष से हम लोग तकलीफें पाते रहे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मिथ्या प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। यदि शीघ्र परिवर्तन नहीं किया गया तो स्पष्ट जनमत प्रदान करने वाला जन-समुदाय स्वयं कुछ करेगा चाहे वह शांतिपूर्ण हो अथवा अशांतिपूर्ण।

यह स्पष्ट है कि 23 वर्ष से चल रही बुनियादी नीति में परिवर्तन नहीं होने वाला है। यह वह नीति है जिसने एकाधिकारियों, भूस्वामियों तथा अफसरशाहों की सेवा की है।

मैं वर्ष 1952 से राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक पैरा देखता हूं कि बेरोजगारी हटायी जायेगी।

बजट में सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए 9.5 करोड़ रुपये बढ़ाये हैं। क्या सामाजिक प्रगति और सामाजिक न्याय लाने के लिये प्रतिज्ञा इसी प्रकार पूरी की जाती है ?

मैं यह नहीं कहता कि प्रतिज्ञायें पूरी नहीं की जायेंगी परन्तु सदन के 18 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि प्रतिज्ञायें की तो जाती हैं पर उन्हें पूरा नहीं किया जाता। केरल की जनता को वचन दिया गया था कि वहां दूसरा जहाज बनाने का कारखाना स्थापित किया जायेगा। वहां पर एरणाकुलम के लोगों ने सरकार द्वारा स्टील की बनी हुई नहीं वरन् कागज की बनी एक नाव उस वचन का 10 वां वार्षिकोत्सव मनाने के लिये पानी में छोड़ी। ये प्रतिज्ञायें इस तरह पूरी की जाती हैं।

जहां तक फाइरो-केमिकल कारखाने का सम्बन्ध है, इस सिलसिले में न केवल वचन ही दिया गया था वरन् थोड़ी प्रगति भी की गई। इस के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया ताकि लोग सन्तुष्ट हो सकें। परन्तु कोई कारखाना नहीं खोला गया।

कांग्रेस ने अपनी नीति में बेरोजगारी की समस्या से लोहा लेने के बारे में घोषणा की है, परन्तु यह बात आज की भारत की वस्तु स्थिति का उपहास है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 200 लाख से अधिक व्यक्ति 1970 तक बेरोजगार थे और चौथी योजना के अन्त तक यह संख्या 315 लाख तक बढ़ेगी। अब इन वचनों से जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता है।

नारियल जटा, काजू, सूती कपड़ा उद्योग आदि नष्ट हो रहे हैं क्योंकि सरकार एकाधिकारियों और निर्मातकों से मुक्ति पाने से इन्कार करती है। इस कारण हजारों लोग बेरोजगार

हो रहे हैं। धागे की कीमत में वृद्धि से तमिलनाडु, बंगाल और महाराष्ट्र आदि में कारखाने बंद कर दिये गये हैं।

केरल में नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों द्वारा संघर्ष और वहां के मंत्री द्वारा इस उद्योग को पुनः चालू करने के लिये केन्द्र से तीन वर्ष के लिये 15 करोड़ रुपये की मांग की गई थी परन्तु केन्द्र ने उक्त मांग को ठुकरा दिया। यदि उस समय 15 करोड़ रुपये दे दिये जाते तो 1,25,000 श्रमिक बेरोजगार नहीं होते और रोजगार देने के लिये 52 करोड़ रुपये की राशि नियत करने की आवश्यकता नहीं होती।

इसी प्रकार काजू उद्योग भी खटाई में है। इस का कारण धन की कमी नहीं है वरन् सरकार द्वारा एकाधिकारियों को इस उद्योग से मुक्ति न दिलाना है। इन उद्योगों पर राज्य की ओर से गहन सावधानी बरती जानी चाहिये और इन उत्पादों में आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

मेरे विचार से मंत्री महोदय हस्तकरघा उद्योग की समस्या से भिज्ञ हैं। अकेले केरल में लगभग 1.5 लाख व्यक्ति हस्तकरघा उद्योग में काम करते हैं। धागे की कीमत बढ़ने से इस उद्योग को बहुत हानि हुई है। अतः सरकार को धागे के वितरण के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

शहरी बेरोजगारी से ग्रामीण बेरोजगारी कहीं अधिक है। उद्योगों में यंत्रीकरण के माध्यम से सरकार बेरोजगारी को दूर नहीं कर रही है बल्कि और अधिक बढ़ा रही है। लोगों को कोई दूसरा काम देने से पूर्व सरकार को यंत्रीकरण की कार्यवाही समाप्त करनी चाहिये।

मैं भूमि सुधार के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। प्रत्येक सत्र में भूमि सुधार के बारे में कहा जाता है तथा जब कभी कोई समस्या आती है तो कोई समिति नियुक्त कर दी जाती है और फिर उस समिति को भुला दिया जाता है। जब वही समस्या दुबारा उठती है तो एक और समिति नियुक्त कर दी जाती है। गत वर्ष मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें मुश्किल से दो तीन मुख्य मंत्रियों ने कहा था कि वे भूमि की सीमा कम नहीं कर सकते हैं। गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये अध्ययन दल के 100 पृष्ठ के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भूमि सुधार कानून को लागू करने के बारे में कुछ नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर किरायेदारों को बलपूर्वक निकाला जाता है। कुछ राज्यों में, विशेषकर जहां किरायेदारों को निकालने के कार्य को रोकने का प्रयास किया जाता है, वहां स्वेच्छा से भूमि समर्पण करने के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर किरायेदारों को निकाला गया है। कुछ राज्यों में राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि समर्पण की जांच करने की व्यवस्था की गई है।

पद दलित कृषि श्रमिकों की अवस्था में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा केवल मेरा ही कहना नहीं है अपितु यह गृह-कार्य मंत्री का भी कहना है कि कृषि श्रमिकों की अवस्था में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है और कुछ सीमा तक भूमि सुधार के स्थान पर स्थिति अधिक बिगड़ी है। न्यूनतम मजूरी की तो बात ही क्या है। अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि

श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी कोई आठ-दस वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। उसके पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के लिये बिल्कुल लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ है।

सरकार ने अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जो अधिकारी वहां गये उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या को सक्रिय रूप से बड़े पैमाने पर सुलझाना होगा।

हमारे दल का विश्वास है कि अफसरशाही और न्यायालयों के रहते कोई भी वास्तविक भूमि सुधार नहीं होता है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कानून लागू करने से पूर्व वह यह बताये कि वह क्या करने जा रही है और किन लोगों को इस कानून से लाभ मिलने वाला है। प्रतिदिन उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छोटे किसानों से सम्बन्धित कानून को रद्द कर दिया जाता है। अतः सरकार को संविधान में परिवर्तन करना चाहिये ताकि जो कोई भी कानून वह बनाये, उसे न्यायपालिका बिना किसी बाधा के लागू कर सके।

जहां तक भूमि सुधार कानून के लागू करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में केरल में एक निर्णय लिया गया जिसके अनुसार भूमि का कुछ भाग झोंपड़ी में रहने वालों को दिया जाना था, परन्तु जब वे लोग भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे तो सरकार ने उन्हें उसकी इजाजत नहीं दी। इस सम्बन्ध में 50,000 मुकदमे न्यायालय में लम्बित पड़े हैं।

हमारी मांग है कि भूमि की सीमा पश्चिम बंगाल के भूमि के स्तर तक कम की जानी चाहिये और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गंगानगर और आन्ध्र प्रदेश में जहां जमींदार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या सशस्त्र दस्तों की सहायता से कृषि श्रमिकों को कुचलते हैं, सरकार को चाहिये कि वह उन्हें जमींदारों की ऐसे कामों में सहायता न करें। भूमि सुधार कानून के मामले में अदालतों की शक्तियों पर भी थोड़ी रोक लगाई जानी चाहिये।

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय, विधायिनी और कार्यकारिणी, सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं। राज्य सरकारें राज्यपालों के माध्यम से केवल मंत्रिमंडल बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। भारत संघ के बहु राष्ट्रीय स्वरूप को दृढ़ बनाने के लिये हम राज्यों की स्वायत्तता के लिये मांग करते हैं।

राज्यों की शक्तियों को सही रूप प्रदान करने के लिये केन्द्र द्वारा एकत्रित धन का 75 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाना चाहिये तथा संविधान के सातवें परिशिष्ट के अधीन विषयों में से बहुत से विषय राज्यों को अन्तरित किये जाने चाहिएं।

काश्मीर की समस्या सैनिक साधनों से नहीं सुलझेगी। काश्मीर को स्वायत्तता प्रदना की जानी चाहिये। वहां के निवासियों को अपने चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने देना चाहिये। अन्य राज्यों को भी स्वायत्तता दी जानी चाहिये और उन राज्यों के विकास के लिये केन्द्र के समन्वय से सहायता भी मिलनी चाहिये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण देने की नीति छोटे उद्योगपतियों और गरीबों के हित में नहीं है।

विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये तथा भारतीय एकाधिकार गृहों का बिना कोई मुआवजा दिये अधिग्रहण किया जाना चाहिये।

मूल अधिकारों में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिये कि काम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार दिये जायें।

सरकार ने विदेशी फर्मों का अधिग्रहण करने के स्थान पर उन्हें लाइसेंस देकर बढ़ावा दिया है। वर्ष 1963-64 और 1967-68 के बीच 20 बड़े एकाधिकार गृहों की परिसम्पत्तियां 54.6 प्रतिशत तक बढ़ गईं जबकि मजदूरों की सही मजूरी कम होती रही। अपने विकास कार्यक्रमों के लिए हम विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। 1951-52 में हमने विदेशों का 32 करोड़ रुपये का ऋण देना था, परन्तु 1970 में यह ऋण बढ़ कर 7,000 करोड़ रुपये हो गया है। आज हम बिस्कुटों, प्रसाधन सामग्री तथा होटल आदि बनाने के लिए अमरीका आदि देशों से सहयोग ले रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की भला इससे बढ़कर और दुर्दशा क्या हो सकती है! परन्तु जब इन्हीं पूंजीपतियों के सहयोग से चल रहे उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिक अपने वेतनों में वृद्धि की मांग करते हैं तो उन्हें पुलिस से पिटवाया क्यों जाता है?

जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है, हमारी सरकार गुट-निरपेक्ष तथा स्वतन्त्र विदेश नीति का दावा करती है। परन्तु हम सदा ही सामराज्यवादियों के सम्मुख घुटने टेकते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गुट-निरपेक्षता का दावा करने वाली सरकार ने दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने से इन्कार क्यों किया? अमेरिका ने वियतनाम पर जो अमानवीय आक्रमण किया, उसकी निंदा क्यों नहीं की गई? इसी प्रकार हमारी सरकार ने कोरिया सम्बन्धी राष्ट्रसंघ के संकल्प का खण्डन नहीं किया और न ही दक्षिण कोरिया से अमरीकी सैनिको को वापिस बुलाने की मांग ही की। इसने उत्तर कोरिया और जर्मन जनवादी गणराज्य की पूर्ण मान्यता देने से भी इन्कार कर दिया।

सरकार ने कम्बोडिया और लाओस में अमेरिका के हाल ही के आक्रमण की निन्दा नहीं की। इसने सिंहानूक सरकार को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मान्यता नहीं दी। जबकि श्रीलंका जैसे देशों ने उसे मान्यता प्रदान कर दी। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री के बारे में हमारी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अपितु हमारी सरकार अभी तक औपनिवेशिक राष्ट्रमंडल की सदस्य बनी हुई है। हमारी सरकार ने अफ्रीका की पीड़ित जनता के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने से भी इन्कार किया है। इसका कारण यही है कि हमारी सरकार पश्चिमी देशों की सहायता पर बहुत अधिक निर्भर करती है और उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने का दम उसमें नहीं है।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं हत्या की राजनीति के बारे में एक दो शब्द कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में हत्या की राजनीति को दृढ़ता से कुचलने का संकल्प किया है। परन्तु मैं सरकार को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हत्या की राजनीति की पहल करने और उसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। श्रीकाकुलम में 120 से अधिक गिरिजन नेता नक्सलवादी के रूप में गिरफ्तार किये गये थे या उन्हें गोली से उड़ा दिया गया था। इसी प्रकार पंजाब पुलिस ने भी तथाकथित नक्सलवादी नेताओं को गिरफ्तार किया, उन्हें यातनायें दीं और अन्ततः उन्हें गोली से उड़ा दिया गया।

पश्चिम बंगाल में सरकार ने समाज-विरोधी तत्वों और नक्सलवादियों के साथ षड़यन्त्र किया हुआ है। वहां पुलिस की मिलीभगत से मार्क्सवादी साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस हत्या की राजनीति में हमारे 250 से भी अधिक कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। श्री हेमन्त कुमार बसु भी इसी प्रकार के किसी षड़यन्त्र का शिकार हुये हैं। अब चुनावों के समाप्त हो जाने पर भी वहां आतंक का साम्राज्य बना हुआ है। परन्तु सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि जनता की भावनाओं को अधिक देर तक दबाया नहीं जा सकता। हमारी सरकार को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से सबक सीखना चाहिये।

जो सरकार हत्या की राजनीति को रोकने की बात करती है, वही सरकार बंगाल और केरल में पुलिस की सहायता से वहां आतंक फैला रही है। बंगाल में चुनावों के बाद तो पुलिस और सैनिक आक्रमणों में और अधिक वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल को व्यवहारिक दृष्टि से पुलिस और सैनिक शासन के अन्तर्गत रखा गया है। राज्य में धारा 144 प्रायः लगी रहती है। वहां का राष्ट्रपति शासन लोकतन्त्र के लिए भारी खतरा बना हुआ है।

इसी प्रकार केरल में पुलिस द्वारा किये गये हमलों में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। आज वहां स्थिति यह है कि चीन ही यह नारा लगा रहा है कि "चोरी बन्द करो।" मैं सरकार को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की सभी चीजें लाद सकती है, परन्तु वहां की जनता सदा ही बंगला देश की जनता की तरह ही इसका विरोध करती रहेगी। मुझे आशा है कि सरकार बंगला देश की सी घटनाएं यहां नहीं होने देगी।

Shri Govind Dass (Jabalpur). Mr. Chairman. Sir, I was surprised to hear the lengthy speech of Shri Gopalan. His speech was pessimistic and indecent. He concluded his speech by paying a tribute to the public but he forgot the verdict given by them recently. The success of Smt. Indra Gandhi is every nook and corner of the country has evidenced firm faith of the public in her. So it does not behave Shri Gopalan to plead for public.

I appreciate the two points raised by Shri Gopalan during the course of his speech. Firstly, that import of huge machines should be discouraged because it leads to unemployment. Secondly, many of our Government plans and programmes are not implemented by Government machinery. It is a fact and I hope the Government will pay proper heed to it.

I, bring a man of literary taste, would like to stress upon the importance of words. Some time hack our late Prime Minister, Jawahar Lal Nehru, gave us the expression' 'Democratic Socialism' This experssion was highly appreciated by Shri Vinoba Bhave also. I would like to add one more word to it and that is 'Decentralised' Thus the complete expression should be decentralised Demoractic socialism' I want to sum up the entire policy and programme of our Government in these three words. We must implement all our policies keeping in view the ideal of decentralised democratic socialism. This ideal will not be translated into real fife simply by passing laws in the parliament. We will have to give a practical shape to this ideal at these different levels. The very first level will be the parliament, which is likely to pass every legislation which relates to decentralised democratic socialism. Secondly, we will have to call upon those officers and employees who are committed for giving a practical shape to this ideal. The third level should consist of such Non Government youth organisation which should not only verify

the figures but also observe whether the policies and programmes of the Government are being implemented in each state and district. We will have to call upon disciplined students to work in such organisations.

Mr. Chairman : The Hon. Member should conclude now as there are still 26 more hon. Members who want to speak.

Dr. Govind Dass : It will be unjust if I am not given sufficient time to express my view point.

Secondly, I want to stress that material progress is not going to solve all our problems. Gandhiji wanted that spiritual progress should be the basis of all our material progress in free India. For this, our education policy must be modified. We must implement the recommendations and suggestions of the various commissions and committes which have so far been appointed to study the defects of our educational system.

Now, I would like to say a few lines about Hindi. I want to make it clear that Hindi should not be imposed upon any state. The time is approaching fast when such states will themselves realise that work on all India dasis cannot go on without Hindi. When the motion regarding the use of English for an indefinite time was passed, certain references of Hindi were also made in it. I want that those references must be implemented. I would like to give these suggestions for that : Firstly, Government must correspond in Hindi with all Hindi-speaking states. Secondly, Hindi and other Indian languages should be given their due in the competitions conducted by the Union Public Service Commission. The people should give up the misconception that I only support Hindi. They must know that, alongwith Hindi, I am a staunch supporter of other Indian languages also. Thirdly, I want to stress that cow slaughter must be put an end to as early as possible. The decision of the Supreme court about Cow slaughter must be implemented by the Government. The slaughter-houses of Bombay and Culcutta must be closed down immediately

Before I conclude, I have to say a few words about Indian culture. Secularism is the salient feature of Indian culture and it has been accepted in our constitution also. But the happenings of Salem city of Tamil Naidu are contrary to our culture and civilization Idols of lord Rama and Krishana were beaten with shoes in a procession. The people of North India wanted to pay Shri Naicher in the same coin. But as it is against our culture, we will not allow them to do so. I want to emphasise that Government should be very much alert about such happenings. The central Government must intervene where a state Government fails to perform its function in such matters.

With these words, I fully support the motion.

श्री फतहसिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : दस साल तक मैं मत-विभाजन सं० 24 की सीट पर बैठता रहा और चार साल तक मन्त्री रह चुकने तथा इस सदन से अलग रहने के बाद अब मैं आज मत-विभाजन सं० 366 की सीट से अपना भाषण कर रहा हूँ। देश के हित में बावक किसी भी सरकारी कदम की आलोचना करने मे मैं नहीं चूकूंगा और मेरी आलोचना रचनात्मक तथा निस्पक्ष होगी। इसी दृष्टि कोण से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण करूंगा।

यह घोर लज्जा की बात है कि गरीबी समाप्त करने पर जोर दिये जाने के बावजूद भी पिछड़ी जातियों विशेषकर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों की आर्थिक प्रगति की गति

में तीव्रता लाने के लिए किसी भी कार्यक्रम का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। स्वाधीनता के उसाकाल से ले कर आज तक इन समुदायों के व्यक्तियों के विकास के सम्बन्ध में किये गये वायदे धोके और झूठे ही सिद्ध हुए हैं और उनका घोर शोषण आज भी जारी है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। स्वाधीनता के 24 वर्षों के पश्चात् और इस देश में राष्ट्रीय सरकार होने के बावजूद भी हरिजन और दलितों की स्थिति सर्वाधिक दयनीय है। हरिजनों को आज भी उच्च कुलीन व्यक्ति अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते। उच्च अधिकारियों के गांव में आने पर हरिजन उन कुओं से पानी पी सकते हैं, परन्तु उनकी अनुपस्थिति में अगर कभी उन्होंने ऐसा करने का साहस किया, तो उन्हें अपने गांव से हाथ धोना पड़ता है।

गुजरात के उस गांव में, जिसे हरिजनों और अन्य जातियों में एकता के लिए पुरस्कार दिया गया था, उच्च कुलीन समुदाय के कुंए से हरिजनों द्वारा पानी पीने पर उनकी पिटाई की गई।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद शहरी क्षेत्रों का काफी विकास हुआ है और गन्दी बस्ती सुधार संबंधी योजनाओं को भी क्रियान्वित किया गया है। इन क्षेत्रों में भी हरिजनों के लिए अलग आवास-गृहों का निर्माण किया गया है।

समयाभाव के कारण मैं उनकी स्थिति पर कुछ अधिक इस समय नहीं कह सकता। इस विषय पर मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा के समय विस्तार पूर्वक बोलूंगा। यद्यपि यह रिपोर्ट भी साल दो साल विलम्ब से प्रस्तुत होती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है और वे हैं—जल, वायु और भू-दूषण के बारे में खतरों की ओर संकेत। 1967 में केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया था कि वे अपनी-अपनी विधान सभाओं में प्रस्ताव पारित करके इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कानून बनाने के लिए अधिकार दे दें। गुजरात विधान सभा ने अपने पहले ही सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया था; परन्तु केरल की सरकार को ऐसा प्रस्ताव पारित करने में तीन वर्ष लग गये। महाराष्ट्र की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने जल-दूषण रोकने के लिये कानून बनाया है।

पिछले वर्ष के राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह उल्लेख किया गया था कि इस सम्बन्ध में एक विधेयक संसद में पेश किया जायगा। राज्य सभा में विधेयक पेश किया गया था और तत्पश्चात् एक संयुक्त प्रवर समिति को इसे सौंप दिया गया था। नई लोक सभा आने पर वह समिति भंग हो गई। मुझे आशा है कि जल, वायु और भू-दूषण को रोकने के लिए एक विस्तृत विधेयक शीघ्र ही लाया जायेगा।

वातावरण के सर्वेक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रकृति का साम्य इस देश में बहुत बुरी तरह बिगड़ गया है। वनों का तीव्र गति से विनाश किया जा रहा है। गुजरात ही एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने राज्य वातावरण परिषद् की स्थापना की है। मैं केन्द्र से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूँ कि वह भी केन्द्रीय स्तर पर एक ऐसी परिषद् की स्थापना करे।

अभिभाषण में नर्मदा परियोजना का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसके क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है। अब केन्द्रीय सरकार एक शक्तिशाली सरकार है और उसे नर्मदा परियोजना के क्रियान्वयन पर सर्व प्रथम ध्यान देना चाहिए।

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि इस योजना के क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश और गुजरात में कृषि क्रान्ति का उद्भव होगा, परन्तु मेरा अनुरोध यह है कि नर्मदा परियोजना तथा इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

Shri Nathoo Ram (Nagaur) : I rise to support the motion of thanks on the President's Address. All the policies and programmes which were put before the people during the elections have been included in this Address. There was an urgent need for change in the conditions which were created after the 1967 elections. The people of the country have given a mandate in favour of a middle path neither to the extreme left nor to the extreme right. We have to discard the extreme left and the extreme right, and bring about socialism in the couutry with-non violent means. We would make suitable amendment in the constitution to bring about revolutionary changes in the country.

The population of the country is 537 millions at present and it is increasing by 15 million every year. It is very difficult to provide them with food, employment and other facilities. It is, therefore quite necessary to formulate programme to check population growth.

We have to increase the rate of production in the country. Allthough the production of agricultural and industrial products has increased and national Income has also gone high, distribution of earnings has not been fair. Three fourths of the total wealth has been concentrated in the hands of just two hundred families of the couutry. We will have to remove this imbalance.

The forty one percent of the total national income consists of earnings from agricultural products. The presidential address also speaks of land reforms ceiling on land and distribution of surplus land to landless people. The programme of consolidation of holdings was ignored after the third five year plan. It should now be paid greater attention, so that scientific methods could be adopted in farming.

We should pay attention to the development of cattle wealth as well. We can save a lot of foreign exchange by exporting wool and stopping import of milk.

The farmers should be paid reasonable price for their produce. The procurement price of Bajra has been fixed at Rs. 52/- per quintal but Food corporation has stopped purchases in my area as a result of which its price has come down to Rs. 35–40 per quintal.

There should be some incentive for the farmers. In addition, warehousing and marketing arrangements should be co-ordinated.

The Finance Miuister has stated in his budget speech that some of the amounts provided in the last years budget cuold not be spent. It is the need of the hour to provide funds for much projects as the Narmada Project. Rajasthan canal Project and Nagarajun Sagar project so that agricultural production may increase repidly.

There are huge deposits of mineral wealth in Rajasthan. Nearly 100 million tons of rock phosphate deposits have been located near Udaipur. The present mining capacity

is 1000 ton per day, which could be increased to 10,000 tons per day., Thus we can save 35 crores of rupees in terms of foreign exchange.

The huge deposits of Pyrites have been located at Sikar. We can produce phosphate fertilizer at a very cheap rate by having a huge plant in Rajasthan. The imported rock phosphate costs Rs. 300/- per ton. Whereas indigenous rock phosphate will cost only Rs. 125/- to Rs. 150/- per ton.

Rajasthan has huge deposits of copper as well. There are 36 million tons of copper having one percent copper centement at Khetari and Dariba. According to Government of India, the copper plant would go into production by 1973. The capacity of Zink smelter at Udaipur is 18,000 tons which can also be increased. There are huge deposits of Zink, Lead, Manganese and silver in Rajasthan. By having new plants and by increasing present capacity of the existing plants, employment opprtunities can be increased and foreign exchange can be saved.

I would also urge the Railway Ministry to lay some broad gauze lines in the state at the places where deposits of pyrites and rock phosphate have been located.

I have been elected from Nagaur area. There is a small Chhoti Khatu village in that area. In this house as well as out side a mountain has been made of a mole hill of the sall incident at Chhoti Khatu village.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) ; It is not a small incident.

Shri Nathoo Ram : If he listens to me he would be convinced that is my area... **(Interruptions)**.

Shri Onkar Lal Berwa : * *

Mr. Chairman : It is against the decorum of the House. When an hon. member is speaking, he should not be interrupted. Whatever has been spoken without permission, would not go on record.

Shri Nathoo Ram : There are twelve scheduled caste families of Babria community. Nine of them have given up their criminal habits where as three families could not leave their habits. They had stolen a buffalo of a farmer and slaughtered it. The farmer came to know of the incident and seized leather and meat from the house. The matter was over after the signing of an agreement. Some members of Jansangh party went there and incited them. One Jansangh M. L. A. brought them to Jaipur and held false demonstration there. The Jansingh people gave it a political colour. They also made false allegations against the Pradhana. The people of that village had encroached upon the Gram Panchayat land. The creation of an atmosphere of tension is not in the interest of the country in any way.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I rise on a point of order. The discussion on the Presidential address is going on, but the hon'ble new Minister has been looking into the file and has not been taking notes.

**कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

Mr. Chairman : This is not a point of order. The hon'ble minister is listening to the debate and has been taking notes also. Please sit down.

Shri Hukam Chand Kachwai : Many members have yet to speak on the address, I would, therefore, suggest that time for discussion be increased by four hours.

श्री इराज्मुद सर्करा (मारमागोआ) : हमारे भारतीय राष्ट्र में मिलने से पहले ही हम यह चाहते थे कि गोआ, दमन और दीव को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये। गोआ के 1961 में स्वतंत्र होने पर हमने आशा की थी कि हमारी यह आशा शीघ्र ही पूरी होगी, पर हमारी वह आशा पूरी नहीं हुई।

इस क्षेत्र में कुछ भ्रम फैला कर लोगों के बीच दरार डाली गई। इसके विरुद्ध वहां की जनता ने डटकर मुकाबला किया तथा इसे उन्होंने दूर कर दिया।

हम संसद् और विशेषकर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के जनमत संग्रह कराने के लिए बड़े ही आभारी हैं। हिमाचल प्रदेश को सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है तथा मणिपुर और त्रिपुरा के सम्बन्ध में उन्होंने इसे सिद्धान्ततः मान लिया है। अब, जैसा कि कई समाचार पत्रों ने भी कहा है, गोआ को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसे चुनाव में दोनों स्थान पूर्ण राज्य का समर्थन करने वाले दल को ही मिले हैं। हमने इस बात को संसद में कहने के लिए बहुत प्रतीक्षा की है और अब मैं आशा करता हूं कि गोआ, दमन और दीव को एक मत से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा।

गोआ में आजकल अल्पमत की सरकार है। मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच हो रही है। उन्हें परेशानी से बचाने के लिए सरकार को गोआ विधान सभा को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए और राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक अगले सत्र में लाना चाहिए।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : गणराज्य के इतिहास में हम कभी एक घरेलू मामलों के सम्बन्ध में इतने एक मत नहीं हुए थे। इसलिए शासक दल को विरोधी दल के नेताओं में सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। देश में अत्यन्त गरीबी है और मुझे विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के आधार पर लोगों को गरीबी के विरुद्ध युद्ध कर उसमें विजयी होने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

{श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए}
{Shri R. D. Bhandare in the chair}

यह प्रसन्नता की बात है कि चौथी पंचवर्षीय योजना को बीच में ही एक नया मोड़ दिया गया है। अब जिला स्तर पर अलग-अलग मास्टर प्लान वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए जाने चाहिएं तथा उन्हें अन्तिम रूप केन्द्र में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार योजना बनाने से प्रत्येक क्षेत्र को अपनी-अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा।

सरकार ऋण गारंटी निगम की स्थापना करने के बारे में बहुत ही उत्सुक है। राष्ट्रीय-कृत बैंक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं तेजी से खोल रहे हैं; अतः उन्हें अपने यहां कुशल अधिकारियों की देख रेख में ऋण विभाग खोलने चाहिएं तथा ऋणों की अदायगी के

लिए किसानों के साथ-साथ उस क्षेत्र के विकास अधिकारी को भी जिम्मेदार बनाया जाये। इससे ऋण की वसूली निश्चित हो जायेगी और उसका उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह लिया गया हो। इससे बैंकों में और लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा और किसानों को भी इससे लाभ होगा।

सिंचाई साधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा राजपथों आदि के सम्बन्ध में राज्यों और केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए।

समुचित समन्वय न होने के कारण आजकल सिंचाई और सड़कों आदि के निर्माण पर योजना बद्ध रूप से खर्चा नहीं किया जाता। इसलिए दोहरा खर्च हो जाता है। इसे रोकना चाहिए।

{श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए}
{Shri K. N. Tiwary in the chair}

किसान के उत्पादों की कीमतों के बढ़ने पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की जाती है पर उसे जिन अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसके सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अतः सरकार को वर्षा ठीक होने और अनाज की कीमत और गिरने पर किसानों की सहायता करनी चाहिए।

वनों के विस्तार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। शायद इस कारण कि इसका लाभ बहुत समय के बाद मिलता है। पर हमें इस सम्बन्ध में अदूरदर्शिता से विचार नहीं करना चाहिए। इस देश के मौसम और वर्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

इस्पात का मूल्य पिछले दो तीन वर्षों में बहुत अधिक बढ़ा है। इस्पात का उत्पादन बढ़ा कर हम मूल्य का स्तर बनाये रख सकते हैं।

अब मैं इस माननीय सदन के समक्ष दो बातें रखना चाहता हूँ। एक तो उन लोगों की बात जो पूर्वी क्षेत्र में साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तथा दूसरी बात अपने देश के उन लाखों करोड़ों गरीबों की है जिन्होंने पिछले चुनाव में किस आशा से वोट हमें दिया। सीमा पार के लोग अपना खून बहा रहे हैं और देश के अन्दर हमें इस गरीबी से लड़ना है। हमें यह नहीं पता कि हमें किस पर हमला करना है। इस गरीबी के दुश्मन पर विजय पाने के लिए हमें संयम और संतोष से काम लेना होगा। हमें भी उसी विश्वास से इस गरीबी से लड़ना चाहिए जिस विश्वास से बंगला देश के लोग लड़ रहे हैं।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 29 मार्च, 1971 को पास किये गये उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 29 मार्च, 1971 को पास किये गये उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 29 मार्च, 1971 को पास किये गये मैसूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्म-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 29 मार्च, 1971 को पास किये गये मैसूर विनियोग विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 31 मार्च, 1971/10 चैत्र, 1893 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on wednesday, the 31st March, 1971/Chaitra 10, 1893 (Saka).

———

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर—द्वारा मुद्रित